खण्ड-306, अंक-4
गुरूवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1895
(21 मार्च, 1974 ई0)

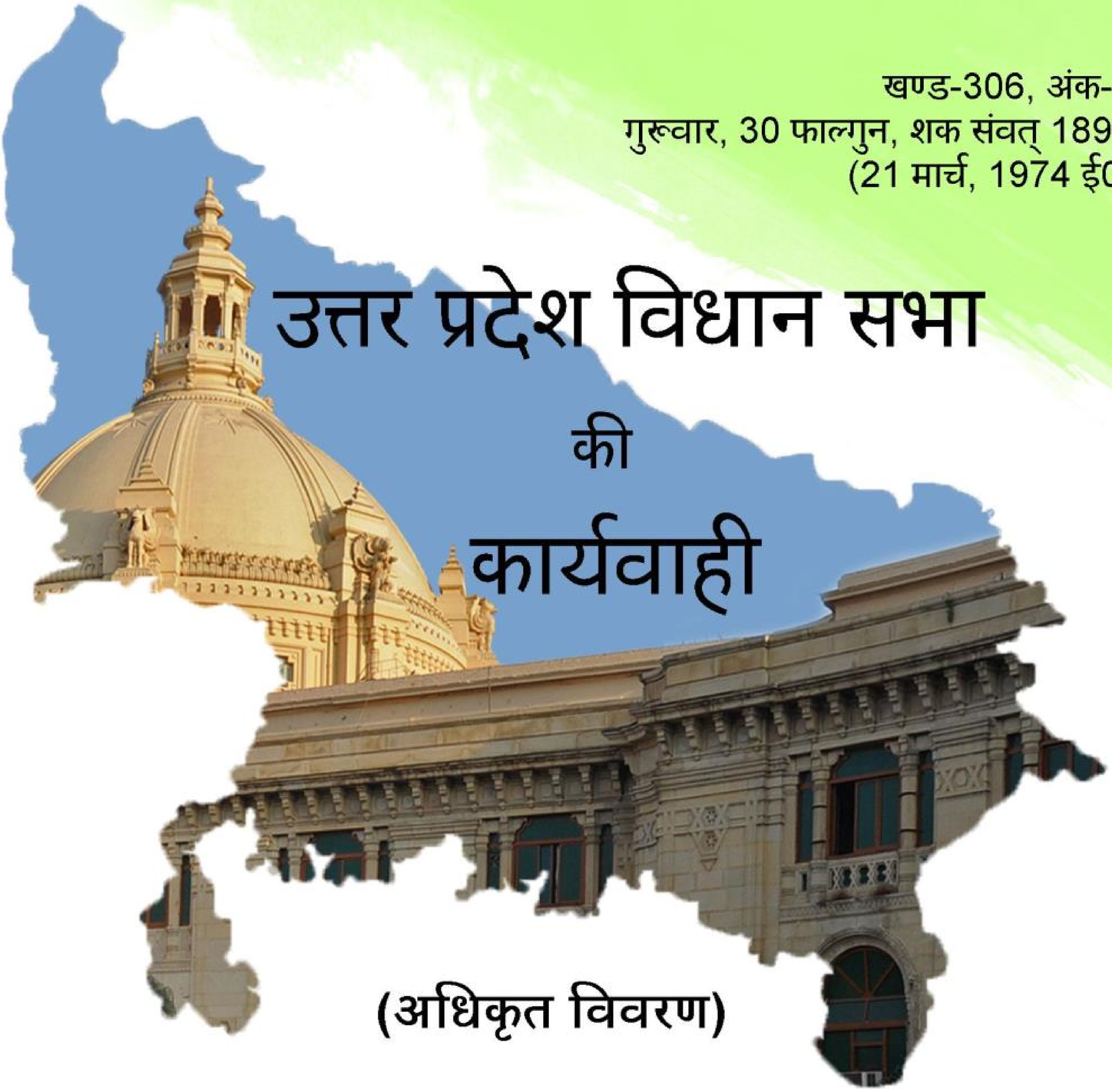

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 306 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 21 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—403

अंगन लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठईराम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ सरी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीय सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कलाश पति श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खुब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देई, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री

गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गरोला, श्री
गोविन्द सिंह, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टेहरी-गढ़वाल।)
गौरी शंकर, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरन दास सेठ, श्री
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया—जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेंद्र कुमार, अग्रवाल डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ, श्री
दीपनरायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुररहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल, तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद ,श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह, केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिश्रयार खां, श्री
मुंशी लाल, श्री
मुन्नू लाल, द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री

मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, 'जूदेव', श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी तिवारी, श्री
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेंद्र कुमार गर्ग, श्री
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री
राजेंद्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेंद्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श, सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजीलाल सेन, श्री
राम दयाल, सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति विन्द एडवोकेट श्रीमती (जिला वाराणसी)
रामरती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमन दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री

विमल प्रसाद श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुल रहमान वर्क, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्तसिंह युसूफ, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सैय्यद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

कल मैं सूचना दे चुका हूं। और कोई दूसरी सूचना नहीं है।

विधान सभा सदस्य, श्री शतरुद्ध प्रकाश की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों तथा गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया है। उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे। (श्री रामसेवक यादव के खड़े होने पर) माननीय उप नेता विरोधी दल....।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैंने भी एक विशेषाधिकार की सूचना दी है।

श्री जंग बहादुर (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय रामसेवक यादव जो हैं ये उप नेता भारतीय क्रांति दल के हैं या विरोधी दल के हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, मैंने नियम 51 के अन्तर्गत बोर्ड की परीक्षाओं के सम्बन्ध में सूचना दी है। परीक्षायें आरम्भ हो चुकी हैं और रोल नम्बर तथा दूसरे परिपत्र अभी स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं इस सम्बन्ध में मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

सदन का कार्य कार्यसूची के अनुसार ही चलेगा। जैसे पहला सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में, दूसरा विशेषाधिकार की अवलना के सम्बन्ध में, तीसरा अध्यक्ष द्वारा कोई घोषणा, उसके बाद मन्त्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, फिर नियम पर 51 के बारे में है। तो सदन का कार्य इसी क्रम से चलेगा। जब नियम 51 का आयेगा तब आप यह प्रश्न उठायें। कार्यसूची के अनुसार चलने में सुविधा होती है।

जहां तक माननीय रामसेवक यादव जी बात है कि वे उप-नेता किसके हैं तो उसके बारे में देखने की जरूरत पड़ेगी कि वे विरोधी दल के हैं या भारतीय क्रांति दल के हैं।

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, कल यहां पर जो माननीय सदस्य श्री शतरुद्ध प्रकाश के बारे में प्रश्न उठा था उसके बारे में जानकारी नहीं थी। आज जानकारी आई तो पता चला कि उन्हें आई0 पी0 सी0 188 के तहत स्पेशल पावर ऐक्ट के अधीन पकड़ा गया। इसी धारा के अधीन स्व0 डाक्टर राम मनोहर लोहिया को पकड़ा गया था। हम यह भी समझते हैं कि आप भी इस सिलसिले में किसी न किसी जेल में बन्दी रहे होंगे। वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और उसने इसे अवैध घोषित किया। उसी बन्दी धारा का प्रयोग अब भी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप कल के अखबार दैनिक जागरण और तरुण भारत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को देखें तो उससे साफ-साफ जाहिर होता है कि माननीय सदस्य को इस सदन में जानबूझ कर नहीं आने दिया गया है। उनके इस अधिकार का हनन किया गया। कल का तरुण भारत में आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं ---

"छात्रों ने हजरतगंज के सी0 ओ0 श्री इनाम अली से गिरफ्तारी का कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि जैसा हुक्म है, वैसा मैं कर रहा हूं"। किसी आदमी को गिरफ्तार करने के लिये वारेन्ट होता है जिसके तहत गिरफ्तारी होती है। कोई ऐसी चीज नहीं थी तो वे कहते हैं कि ऊपर से हुक्म है इसलिये गिरफ्तार कर रहे हैं। अब हुक्म क्यों है उसका कारण भी श्रीमन्, अच्छी तरह से आप जानते हैं। इसका सन्दर्भ इतना है कि श्री के0 के0 बिड़ला जो पूंजीपति हैं और राज्य सभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके प्रति इस देश के युवाजनों में आक्रोश है और इस दृष्टि से उन्होंने उनको रोकने के लिये जो कि संवैधानिक तरीका है, और जो उन्हें प्राप्त है, जाकर उनसे अनुनय-विनय की, उनसे बातचीत की, उसी समय उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप इस सन्दर्भ में इसी अखबार में देखें तो उसमें साफ लिखा है---इन्होंने कहा---"मुझे जैसा हुक्म है, वैसा मैं कर रहा हूं"। गिरफ्तारी के समय छात्रों के नाम जारी एक सन्देश में श्री ब्रजेश कुमार ने कहा ---कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष पर रोक लगाने की इस हरकत की प्रतिक्रिया गुजरात और बिहार की भांति सारे उत्तर प्रदेश में होगी। श्री कृष्ण कुमार बिड़ला ने जिनके साथ छात्रों ने लगभग 1 1/2 घंटे तक वार्ता की पुलिस अधिकारियों से कहा कि उन्हें छात्रों से कोई शिकायत नहीं है। इतने शांतिपूर्ण ढग से आज तक कहीं भी छात्र मिलने नहीं गये। होटल के व्यवस्थापकों ने बतलाया कि उन्होंने पुलिस को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी थी इस संवाददाता ने, जो प्रारम्भ से वहां उपस्थित था, देखा कि पुलिस उस पर छापा मार कर गिरफ्तारी की, जब कि छात्र बरामदे से निकल कर सड़क पर आ गये थे।"

तो इससे साफ जाहिर है कि गिरफ्तारी महज इसी बात को लेकर हुई क्योंकि श्री के0 के0 बिड़ला साहब यहां मौजूद थे और उनकी रक्षा में ही पुलिस को वहां भेजा गया और ऊपर के हुक्म से भेजा गया था। कल कुछ लोगों ने कहा कि वे विरोधी दल की तरफ से लड़ रहे हैं। कौन विरोधी है, कौन सहयोगी है उसके कर्मों से इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। उसकी बोली से विरोधी और सहयोगी का अन्दाजा नहीं लगा करता। तो सरकार की ओर से उनकी रक्षा में अकारण पुलिस को भेजना और विद्यार्थियों को, खासतौर से एक विधेयक को गिरफ्तार करना सरकार की मंशा का द्योतक है कि जान-बूझ कर गिरफ्तारी की गयी। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह कोई जिम्मेदार अखबार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि "दैनिक जागरण" अखबार को आप जिम्मेदार अखबार मानते हैं या नहीं? अध्यक्ष महोदय, "दैनिक जागरण" में सारी बातें' में सारी उसी तरह से छपी हुई हैं। उसमें यह कहा गया है कि श्री के0 के0 बिड़ला ने कहा कि छात्रों ने न तो उनको धमकाया और न किसी तरह का अभद्र व्यवहार किया। छात्रों ने उनसे कहा कि आप किसी भी दल के सदस्य नहीं हैं, आप किसी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ रहे हैं। आपके साथ किसी पार्टी की शक्ति नहीं है। इससे साफ है कि राज्य सभा का जो चुनाव आप लड़ रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार के तरीके से पैसे का इस्तेमाल होगा। आप स्वतन्त्र रूप से लोक सभा में चुनाव लड़ कर आयें होते तो हम इसको मान लेते कि आप स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन जिन परिस्थितियों में आप चुनाव लड़ रहे हैं उससे यही लगता है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और राजनीतिक जगत में अनैतिकता दुराचार, भ्रष्टाचार के नाम पर जो हम सभी व्यक्ति कलंकित हो चुके हैं, इसलिए नौ-जवानों ने उनसे प्रार्थना की कि आप कृपा करके चुनाव न लड़ें। तो उनको गिरफ्तार करना, और बाद में फिर स्पेशल पावर ऐक्ट और धारा 188 का इस्तेमाल करना यह कोई अच्छी

[श्री रामसेवक यादव]

नीयत की तहत नहीं किया गया है। फिर भ्रष्टाचार का पुतला जलाया जाना, अगर सरकार के कानून में अनैतिक कार्य है, अवैधानिक कार्य है, सरकार को उलटने का काम है या गैर कानूनी तरीके से उलटने का काम है, तब तो मेरे खयाल से कोई भी विरोधी दल या कोई जन समाज सेवक किसी भी काम को नहीं कर सकेगा।

मेरा विनम्र निवेदन है कि यह माननीय सदस्य के साथ ज्यादती हुई है और ज्यादती ही नहीं, बल्कि अवैधानिक तरीका अख्तियार करके माननीय सदस्य को इस सदन की सेवा करने से वंचित किया गया है, और जानबूझ कर वंचित किया गया है। तो अध्यक्ष महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समझ कर इस पर उचित कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष--

इसी सम्बन्ध में माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और माननीय मधुकर दीघे जी का भी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित मेरा भी है। मैंने कल प्रश्न उठाया था कि श्री कृष्ण कुमार बिड़ला कार्ल्टन होटल में ठहरे हुये हैं और राज्य सभा के चुनाव में कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी हैं। हमारे मुख्य मन्त्री का उनके ऊपर वरद् हस्त है। वैसे वे निर्दलीय रूप से खड़े हुए हैं लेकिन वे वोट खरीदने के लिये आये हैं और कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं। वह सारे डेमोक्रेटिक सेट-अप को भ्रष्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके प्रति जनता में बड़ा रोष व्याप्त है। बहुत से विद्यार्थी उनके पास गये और उन में शतरुद्ध प्रकाश भी थे जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये। जब मैंने कल जानकारी जाननी चाही तो यह कहा गया कि यह असत्य है, निराधार है, जो बिल्कुल सत्य था और उनके कहने से ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। मैंने सुना है कि पुलिस ने धारा 188 लगा कर उनको गिरफ्तार कर लिया लेकिन ऐसा नहीं है। उनके कहने से ही पुलिस ने गिरफ्तारी की। उन्होंने सदन को असत्य और निराधार बयान देकर गुमराह किया, वह बयान असत्य और निराधार था। अगर ऐसी बात है तो जो मैंने नोटिस दिया है उसके ऊपर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष--

पहले जो तीन सूचनायें हैं उनको मैं पढ़ दूं। पहली माननीय मोहम्मद असरार अहमद की है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

इस गिरफ्तारी से सम्बन्धित मैंने भी एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था।

श्री अध्यक्ष--

अभी विशेषाधिकार भंग का प्रश्न सदन के सामने है। नियम 51 के अन्तर्गत आप का है और एक गर्ग साहब का है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आपने क्या आज्ञा दी हम समझ नहीं पाये ?

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में एक आपका है और दो और सूचनायें हैं और तीनों एक ही विषय पर हैं।

श्री मधुकर दीघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, आज संसोपा के नेता माननीय राजनारायण जी जेल में श्री शतरुद्ध प्रकाश जी से मिले और उन्होंने माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि जब उनको हजरतगंज के दरोगा जी ने गिरफ्तार किया तो उनसे उन्होंने कहा कि हम आपको विधान भवन तक पहुंचाने के लिये ले चल रहे हैं परन्तु उनको यहां लाने के बजाय जेल ले जाकर बन्द कर दिया। यह जानबूझ कर द्वेषपूर्ण इरादे से किया गया है। इसमें षड़यन्त्र की बू आती है। मान्यवर, यह इसलिये किया गया है कि कल वे माननीय सदस्य अपने संशोधन पर बोलने वाले थे और उन्होंने कई प्रश्न उठाये थे। उन को रोकने के इरादे से ऐसा किया गया क्योंकि बिड़ला जी से मिलने के बाद जो उनकी बातचीत हुई, जो सूचनायें उनको मिलीं उससे सत्तारूढ़ दल की बहुत सी बातें सामने आने वाली थीं उनसे बचने के लिये यह कार्यवाही की गई और ऐसी कार्यवाही द्वेषपूर्ण रूप से करना माननीय सदन का अवमान है। सदन का अवमान जब हो जाये तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इसे विशेषाधिकार का प्रश्न मानकर कार्यवाही की जाये। क्योंकि आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार की कार्यवाही करने की धृष्टता शासन कर सकता है।

कल हमने देखा कि उस तरफ से लगातार इस बात की कोशिश की गयी कि विरोधी पक्ष की बातें जनता के सामने न आने दी जायं और ऐसी बातें सदन के सामने न आ सकें। ऐसा उस दल के सदस्यों के कार्यों से लगता रहा। अगर इस तरह के विशेषाधिकार के प्रश्नों पर सख्ती से कार्यवाही न की गयी तो मैं समझता हूं कि अन्य विधायकों को भी अपनी बात कहना मुश्किल हो जायगा और इस सदन की कार्यवाही ठीक तरह से चल नहीं सकेगी। इस सदन के हित में, इस सदन की मर्यादा के हित में और इसकी गरिमा के हित में यह आवश्यक है कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें और तत्संबंधी कार्यवाही करें।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

यह सब विरोधी दल का षड़यन्त्र है उन्होंने ही इस तरह की हालत पैदा की है। अगर शतरुद्ध प्रकाश विधान सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए होते तो विशेषाधिकार का सवाल हो सकता था। हाउस आफ कामन्स की तरफ विरोधी दलों का ध्यान जाना चाहिए। अगर कोई भी सदस्य क्रिमिनल कार्यवाही के सम्बन्ध में, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस ऐसा करने में सक्षम है और ऐसा करने में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता है।

जहां तक छात्रों की गिरफ्तारी का सवाल है, मैं उनकी गिरफ्तारी का विरोध करता हूं। जब हमारे सदन में राज्यपाल महोदय इतनी भीड़ में प्रदर्शन बरदाश्त कर सकते हैं तो के० के० बिड़ला कौन हैं जो उनके खिलाफ प्रदर्शन हो जाय और छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाय। मैं कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के वोट बिड़ला साहेब को नहीं पड़ेंगे एक-एक आदमी को देखकर वोट देना पड़ेगा। बिड़ला की बात श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कही कि उनके ऊपर प्रधान मन्त्री का इशारा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री और कांग्रेस का बिड़ला से कोई सम्बन्ध नहीं है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्रा]

बिड़ला के खिलाफ जो प्रदर्शन किया गया है और जो छात्रों की गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के 60 और 50 फीसदी सरकारी कर्मचारी विरोधी दल के षड़यन्त्र से मिले हुए हैं। अगर इस प्रकार की गिरफ्तारी करके सरकार की नीतियों का और जनतन्त्र की मर्यादा के खिलाफ काम किया है। इस तरह से मैं इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का विरोध करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, आपके सामने प्रश्न इस समय विशेषाधिकार का है। मैं नहीं समझता मान्यवर कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न है। श्रीमन्, बिड़ला साहब किसी दल के आदमी नहीं हैं। इस सदन के अन्दर जितने भी माननीय सदस्य हैं वे किसी न किसी दल के सदस्य हैं और वे किसी न किसी दल से सम्बन्धित हैं। आज बिड़ला साहब चाहते हैं कि पैसे के जोर पर एम0एल0एज0 को खरीद लूं और जो एम0एल0ए0, जो विधायक हैं वे अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं तथा इस सदन की गरिमा की रक्षा करते हैं। माननीय सदस्य आज बिड़ला को राज्य सभा का सदस्य खड़ा होने से रोकने के लिये आता है, वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है तथा वह संविधान की रक्षा करता है। ऐसे मामलों में अगर पुलिस हस्तक्षेप करती है और ऐसे व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो कोई अनुचित नहीं है और यहां पर ऐसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है। यह प्रश्न कोई सरकारी पक्ष का प्रश्न नहीं है बल्कि यह सदन की गरिमा का प्रश्न है।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, कल मेरी बातचीत विद्यार्थी परिषद् के जो नेता थे उनसे हुई थी। उनसे बातचीत से मालूम हुआ कि वे लोग बिड़ला साहब को यह समझाने के लिए गये थे कि आप चुनाव में न खड़े हों। बिड़ला साहब ने चूंकि बुलाया था और उन्होंने कहा कि हमको खड़े होने का अधिकार है ऐसी हालत में कोई न झगड़ा हुआ और न कोई बात हुई। परन्तु वहां से टेलीफून जाता है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस आ जाती है।

मान्यवर, बी0आर0 मोहन को राज्य सभा का सदस्य बनाया गया था। श्रीमन्, मैं आपसे खुले आम पूछना चाहता हूं कि इस आम चुनाव में खासतौर से सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कह रहा था जब कोई झगड़ा नहीं हुआ, जब कोई लड़ाई नहीं हुई आपका यह कहना कि सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी। अगर यह कहा जाय तो यह एक बिलकुल धर्म की बात है। केवल दुर्भाग्य से ऐसी बात है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रूलिंग यह है कि जब किसी सदस्य को बदनियती से गिरफ्तार किया जायगा तब विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है। जजमेंट एक दो महीने बाद होगा। माननीय सदस्य से यह कहा गया था कि आपको हम विधान सभा ले जा रहे हैं। क्या आपकी सरकार की हिम्मत थी कि आप बिड़ला साहब को गिरफ्तार कर लेते? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अगर आपकी सरकार या आपकी पुलिस चाहती तो बिड़ला साहब को जेल भेज सकती थी लेकिन उन्हें जेल न भेजकर माननीय सदस्य को जेल भेज दिया जाता है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और। उनकी पीठ ठोककर यहां पर भेजा जाता है कि जाओ इलक्शन लड़ो और किसी भी प्रकार से वोटों को प्राप्त करो। हर चुनावों में हमने सवाल किया कि किन-किन कम्पनीज से कितना पैसा लिया गया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता है। आपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिड़ला से 35 लाख रुपया लिया है तो उसके लिये आपके दिल में क्यों प्यार नहीं हो। उनको आप चुनना चाहते हैं। आप उन्हें चोर दरवाजे से राज्य सभा में ले जाना चाहते हैं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में, मान्यवर, आप अपने निर्णय को देखें जो अध्यक्ष पद से दिये गये महत्व पूर्ण निर्णयों के संहित संकलन के पृष्ठ 500 पर दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि "किसी सदस्य की गिरफ्तारी में बदनीयती सिद्ध होने पर विशेषाधिकार की अवहेलना हो सकती है।" 7 सितम्बर, 1956 को यह आपने कहा था। यह बात जरूर है कि जजमेंट होने की बात कही। जो बातें हमारे सामने आयी हैं, उनसे यह लगता है कि उस विधायक का कोई दोष नहीं था। वे वहां खड़े रहे। किसी को आप भी कह देते हैं कि बैठों, वह बैठ जाता है। जनतंत्र में यह है। आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं। सीता राम जैपुरिया को कौन कहता है। वे पूंजीपति हैं। मैं चाहूंगा कि विशेषाधिकार का जो मामला आपके समक्ष पेश किया गया है, उसे आप विशेषाधिकार समिति के पास भेज दें।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

मैं माननीय सदस्य, विरोधी पक्ष, से जानना चाहता हूं कि श्री ओवराय सहाब को जो कंटिनेंन्टल होटल के मालिक हैं, किसने खड़ा किया था। अब भी के0 के0 बिड़ला साहब विरोधी वोटों से ही राज्य सभा के सदस्य बनेंगे ?

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत है, उस सम्बन्ध में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे छात्र और हमारे सदन के माननीय सदस्य महोदय बिड़ला जी को मना करने गये या उनको परसुएड करने गये और इस पर गिरफ्तारी हुयी तो यह प्रश्न दूसरा रूप पकड़ता है। अगर किसी अन्यत्र स्थान पर किसी और अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार हुये तो दूसरा प्रश्न हो जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है 11 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय में एक सभा हुयी थी जिसको माननीय सदस्य ने सम्बोधित किया था और उस स्थिति में उन्होंने कुछ भाषण किये थे। ऐसा भाषण जिसका लब्बोलुबाब यह था कि हम उत्तर प्रदेश में गुजरात और बिहार जैसी हिन्सात्मक घटनाओं की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। तो इसम कुछ आवेश और जोश में आने की बात नहीं है क्योंकि यहां पर विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया गया है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी जो प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली है उसके नियम 59 के अन्तर्गत, मान्यवर, आप स्वयं देखें कि किसी अपराध में किसी को गिरफ्तार किया गया हो और कोई जांच चल रही हो तो, आप इसके लिये सक्षम हैं कि उस प्रश्न को स्वीकार न करें। हमारे सदन के एक साथी ने यह कहा कि बिड़ला साहब हमारी ओर से खड़े किये गये हैं या हमारे नेताओं के परसुएशन पर खड़े किये गये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद पिछले दिनों जब राज्य सभा के चुनाव होते रहे हैं उनके बारे में शायद उनको सूचना नहीं है। हमारे दल ने पृथ्वीनाथ सेठ को नहीं खड़ा किया था। उनको किसी और दल की ओर से खड़ा किया गया और वह किसी और दल के वोट के बूते पर जीते। अब किस का किन सेठों से सम्बन्ध है उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

श्री राम सेवक यादव--

बी0 आर0 मोहन को किसने खड़ा किया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामायण राय--

हमने कोई चुपके से नहीं खड़ा किया । अगर किसी को खड़ा किया होगा तो यह ध्यान में रखने योग्य है कि किसी कुल में पैदा होने से ही कोई प्रतिक्रियावादी नहीं हो जाता । माननीय राजनारायण जी मेरे रिश्तेदार हैं और काशी नरेश के वह रिश्तेदार हैं तो उनसे मैं कहूं कि वह पूंजीपति हैं और राजा हैं तो कहां तक उचित होगा । तो उपनेता विरोधी दल से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करने से कोई लाभ नहीं है । आज तो प्रश्न केवल इतना है कि क्या माननीय सदस्य बिड़ला जी को मना करने के अपराध में गिरफ्तार किये गये हैं या अन्यत्र उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें उनको गिरफ्तार होना चाहिये। मुझे इस बात से तकलीफ हुई कि अधिकारियों ने उनको वहां गिरफ्तार करके उस गिरफ्तारी को चुनाव से जोड़ दिया । उससे यह कनफ्यूजन, बुद्धि-भेद, पैदा हुआ है । लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, 18 तारीख को 11 बजे दिन में हमारे नेताओं के पुतले जलाये गये, मुख्य मंत्री का राज उलटनेके लिये हिंसात्मक और उत्तेजनात्मक स्पीचें की गयीं और क्या-क्या कहा गया तो ये सारी बातें निहित हैं, जुड़ी हैं उस गिरफ्तारी के साथ । इन तथ्यों को जब तक सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया जायगा, मैं समझता हूं इस विषय पर वास्तविक प्रकाश नहीं पड़ सकता है ।

मान्यवर, मैं आप से आग्रह करना चाहता हूं कि नियम 59 के अन्तर्गत आप इस विशेषाधिकार के प्रश्न को अस्वीकार कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, (व्यवधान) . . . मैंने इस सम्बन्ध में ऐडजर्नमेंट के लिये प्रस्ताव दिया है और मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार का भी यह प्रस्ताव आपको मानना चाहिये और सदन के सामने लाना चाहिये मैं माफी चाहता हूं कि अपने साथियों से जो इस सदन में मौजूद हैं कि इस पर बहस कुछ उलझ रही है । यहां तो सभी यही चाहते हैं कि एक दूसरे से बढ़ कर चाहते हैं कि हम बिड़ला जी का साथ नहीं देंगे । अब इस सवाल को लेकर कम से कम हम आज तमाम उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वासन दें कि प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आप एडजर्नमेंन्ट मोशन पर बोल रहे हैं . . . या विशेषाधिकार के प्रश्न पर ?

श्री अध्यक्ष--

उसको मैंने अस्वीकृत बताया, लेकिन ये सम्बन्धित विषय पर अपनी राय रखते हैं (व्यवधान) गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उनके राय है तो उनको समय दिया कि अपनी राय यहां रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव बहुत अहम और महत्वपूर्ण है । इसलिये कि आज इसके द्वारा हमको मौका मिलता है कि हम पूरे सदन की ओर से अपने राज्य की जनता और देश की जनता को इस बात का आश्वासन दें कि कोई पूंजीपति अपने पैसे से हमारे वोट को खरीद कर राज्य सभा में नहीं जायगा । आज यह सुनकर हर्ष होता है कि सभी सदस्य, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के, वह कहना चाहते हैं कि हम बिड़ला जी क पैसे के साथ नहीं हैं, हम देश की गरीबी के साथ हैं ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

संगठन कांग्रेस ने एक प्रस्ताव किया है कि हम बिड़ला जी का समर्थन करेंगे । श्री सी0 बी0 गुप्त से मिल कर के0 के0 बिड़ला ने पर्चा दाखिल किया है । तो कांगों के दस वोट उनके पक्के हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

यह बात तो मेरे इल्म में भी आयी और एक माननीय सदस्य ने कल सदन में मुझसे यह बात कही कि संगठन कांग्रेस के सब के सब वोट बिड़ला जी को जायेंगे ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)--

माननीय चन्द्रभानु गुप्त इस सदन में नहीं हैं । तो जो सज्जन यहां उपस्थित नहीं हैं उनके बारे में कोई बात कहना बहुत अनुचित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

श्री डी० के० पांडेय ने मुझसे कहा था कि मेरी पार्टी के सब वोट बिड़ला जी को जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्तुत विषय तो यह है कि विशेषाधिकार का यह प्रश्न बनता है अथवा नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मैं काशी नाथ जी मिश्र से सहमत नहीं हूं कि माननीय सदस्य की गिरफ्तारी का सवाल अलग है और विद्यार्थियों की गिरफ्तारी का सवाल अलग है । विद्यार्थियों की गिरफ्तारी से विशेषाधिकारों की यह अवहेलना और भी गम्भीर हो जाती है । सदन के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी जी अभी खामोश हैं । मैं जानना चाहूंगा कि उनका क्या रुख है इस बारे में ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न विशेषाधिकार का है । इसमें आप एक दूसरे को जवाब देने की कोशिश न कीजिये ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

रामायण राय जी ने जिस नियम को कोट किया उसमें अन्तिम शब्द है कि न्यायालय के समक्ष लम्बित हो और केस उस सदस्य के ऊपर चल रहा है । उसके आधार पर रामायण राय जी यहां विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं । दूसरे, नियमों को गलत कोट करना भी सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है । दूसरी चीज यह है कि मुझे यह स्पष्ट सूचना है कि उस दल की तरफ से बिड़ला जी खड़े किये गये हैं केवल राज नारायण जी को हराने के लिये । और उसी ध्येय की पूर्ति के लिये ये जायज और नाजायज, सभी कुछ करने को तयार हैं ।

श्री कशीनाथ मिश्र--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी आप विशेषाधिकार के प्रश्न पर सुन रहे थे और इस विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में, जिसका हवाला माननीय कुंवर श्री पाल सिंह ने दिया यह साफ है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर आप इधर और उधर के दो-चार सदस्यों को सुन कर यह निश्चय करेंगे कि यह तत्काल सदन में विचार किया जाय या समिति को भेजा जाय तो पहले इस पर आप निर्णय दें तब आगे बढ़ें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने जो कहा तो मैं बताना चाहता हूं कि नियम 66 का जो उन्होंने जिक्र किया, वे, देखें, नियम के अन्त में यह है कि यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे । वही मैं कर रहा हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वह तो आप कर चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो माननीय नेता सदन को भी नही सुना है. . .

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

सरकारी पक्ष से एक सज्जन ने यह फरमाया कि कांग्रेस (0) की तरफ से रिजोलूशन पास हुआ है कि बिड़ला जी को सपोर्ट किया जाय । यह बात बिलकुल गलत और निराधार है । हमारी पार्टी ने तो दाऊ जी गुप्त को, जिन्होंने कि अभी विधान सभा का चुनाव लड़ा था और वे हार गये, खड़ा किया है, वह हमारी पार्टी के कैन्डीडेट हैं । एक बात और मैं भी यहां सदन में बताना चाहता हूं कि यह जो कांग्रेस पक्ष में लोग बैठे हैं यह चन्द्र शेखर जी को हराने की कोशिश में हैं । अपने ही कन्डीडेट के साथ ऐसा कर रहे हैं, यह कितने शर्म की बात है ।

पर्दे में इस तरह की यहां गलत बात कही जाती है (व्यवधान). . .

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)—

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

एक मिनट मुझे श्रीमन् सुन लें. . .

श्री राम सेवक यादव—

मैं यह निवेदन करूंगा कि जब माननीय तिवारी जी बोलें तो कुछ जानकारी विशेषतौर से देने की कृपा करें । एक जानकारी हम यह चाहेंगे कि क्या गिरफ्तारी होने के समय किसी को यह बताना जरूरी है या नहीं कि एक विधायक को किस जुर्म में या किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है । (शोर). . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

व्यवस्था का प्रश्न है. . . (व्यवधान). . .

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न अभी नहीं उठता । माननीय नेता अगर सदन बैठ जाते हैं और ईल्ड करते हैं वे कुछ सुनना चाहते हैं, तो हमको उनको सुनना होगा । आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव—

अभी माननीय काशीनाथ मिश्र, विशेषज्ञ विशेषाधिकार, ने जो कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे (व्यवधान). . . अरे, सुनिये तो । (शोर) मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन से यह जानना चाहता हूं कि यह गिरफ्तारी किस धारा से अन्तर्गत हुई है । वे यह जानकारी दें कि यह दोनों—आपके विधान सभा के सदस्य महोदय और विद्यार्थी की एक ही साथ वहां कैसे गिरफ्तारी हुई है ? यदि उनके पास 11 तारीख की कोई बात थी तो जब प्रदर्शन में भी विधायक मौजूद थे तो उसी समय वह गिरफ्तार हो सकते थे । इस लिये मैं समझता हूं असलियत मालूम थी उनको, उनको गिरफ्तार किया गया और जब देखा गया कि दोनों के मामले भिन्न हैं और इसमें विधायक की भी गिरफ्तारी होने से यह विषेषाधिकार का मामला बन सकता है तो इस तरह का फर्जी केस बना दिया गया । यदि वास्तव में वैसी बात होगी तो वहीं पर उनको बता देते कि आपकी गिरफ्तारी की यह वजह है और यह वारंट है—आप इसमें गिरफ्तार किये जाते है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमन्, मुझे भी मौका दें, मेरी बात भी सदन में सुनी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

सभी तरफ के लोगों को मौका मिल गया है अपनी बात के कहने का, उधर से भी हो चुका है अब आप बैठिये समय कम है । आप कोई नई बात तो कहेंगे नहीं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

आपने बिना सुने कैसे समझ लिया कि मैं नई बात नहीं कहूंगा । माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने सदन को गुमराह किया है । इन्होंने एक पार्टी के बारे में ऐसी बात कही है जो सत्य से परे है और उन्होंने अभी कहा था कि संगठन कांग्रेस ने बिड़ला जी को खड़ा किया है । इस प्रकार गलत बयानी करके इन्होंने सदन को गुमराह किया । मैं श्री मिश्र के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना देता हूं । नोटिस दे दी और फिर लिखकर भी दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय पर जो वह बोले उससे यदि आप समझते हैं विशेषाधिकार भंग हुआ तो आप लिखकर दे दें । यहां प्रश्न यह है कि अगर ऐसे सवालों पर हम दिन भर बहस करेंगे—सबको मौका देंगे, तब तो हम एक नई परम्परा चलानी पड़ेगी । यदि आपके नेता माधव प्रसाद त्रिपाठी यह तय कर देंगे कि 2–2 को बुलाया जाय तो हम 2–2 को बुलायेंगे । अभी सदन में गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा होना है, इसलिये उसके लिये समय देने के लिये मैं इसको शीघ्र समाप्त करना चाहता हूं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

जो बिना आज्ञा खड़े हो जाते हैं बोलने के लिये, इसलिये उनको तो समय मिल जाता है अपनी बात कहने का, लेकिन हम लोगों को नहीं । आप केवल 5 मिनट का समय हमको दे दीजिये ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अभी यहां बताया गया कि यूनिवर्सिटी कैम्पस में सदस्य ने एक तकरीर की और उसका लब्बो लबाब यह था कि उत्तर प्रदेश गुजरात बनने जा रहा है । तो जो रिपोर्ट सरकार ने सी० आई० डी० से मंगाई है, उसको पूरी सदन में सुनायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, यह बड़ी प्रशंसा का विषय है, इस प्रश्न को उप नेता विरोधीदल ने प्रस्तुत किया । उन्हें सौभाग्य से संसदीय कार्य प्रणाली का...

श्री अध्यक्ष—

अभी जग बहादुर वर्मा ने यह सवाल उठाया था कि उप नेता विरोधी दल और उप नेता भारतीय क्रांति दल कौन हैं, तो मैं उस विषय में सदन को सूचित करना चाहता हूं कि एक अधिनियम के अन्तर्गत—कानून के अन्तर्गत नेता विरोधी दल को तो मान्य किया गया है और उस नियम में हम भी नेता विरोधी दल की एक हैसियत स्वीकार करते हैं । उसके अनुसार इस समय नेता विरोधी दल चौधरी चरण सिंह हैं । अब उप नेता का प्राविधान हमारे नियम उपनियम में नहीं है, इसलिये जो सवाल उठाया गया है उसका निवारण यह है कि विरोधी दल का जो उपनेता है वह उस दल का हो सकता है, किन्तु सदन के नहीं ।

[श्री अध्यक्ष]

इस लिये जो माननीय वर्मा जी ने प्रश्न उठाया उसका स्पष्टीकरण मैंने किया कि अधिनियम के अन्तर्गत मैं एक ही नेता को स्वीकार कर सकता हूं। उसमें उप नेता का प्राविधान नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, जब आप बोलते ह तो हम सदस्यों को स्पष्ट सुनायी नहीं पड़ता। लाउड स्पीकर थोड़ा नीचा करवा लें या ऐडजस्ट करवा दीजिये जिससे आवाज स्पष्ट सुनायी दे। हम आपके मुखार बिन्द से जो शब्द निकलते हैं उनको सुनने से वंचित रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस सुझाव के लिये आपको कोटिशः धन्यवाद।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सुनने में दिक्कत होती है यह बात सही है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह सौभाग्य का विषय है कि इस प्रश्न को उप नेता भारतीय क्रांति दल ने प्रस्तुत किया जिन्हें संसदीय प्रणाली और परम्पराओं का पर्याप्त अनुभव है और मुझे और इस सदन को भली भांति ज्ञात है कि उन्हें वर्षों का लोक सभा की पारलियामेंट्री परम्पराओं और प्रणालियों और प्रक्रियाओं और विशेषाधिकार के प्रश्नों की जानकारी है इसकी विधि को प्रकाश में लाने का शुभ अवसर मिला है। साथ ही साथ इस प्रश्न पर विचार प्रकट करते हुये माननीय सदस्य गोरखपुर श्री दिधे, माननीय सदस्य हरिद्वार श्री गर्ग जैसे अनुभवी और जानकार लोगों ने भी इसकी पुष्टि की है।

श्रीमन्, सबसे पहले मैं आप से यह आज्ञा चाहूंगा कि मैं तथ्यों के बारे में स्पष्टीकरण करूं। यह जो गिरफ्तारियां कल 20 मार्च, को साढ़े 11 बजे प्रातः कार्ल्टन होटल के पास हुई यह किसी भी प्रकार श्री के0के0 बिड़ला प्रदर्शन से या उनके खड़े होने या उनके वोट आदि से सम्बन्धित नहीं है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि श्री के0के0 बिड़ला से मिलना उनसे बात चीत करना या मांग करना कोई आफेंस नहीं है, न सरकार कोई आफेंस मानती है और इस सम्बन्ध में मैं अपने सम्मानित सदस्य बलिया, अपने साथी मिश्रा जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि मजबूरन जो गिरफ्तारियां करनी पड़ी लखनऊ, प्रशासन को यह किसी प्रकार से बिड़ला जी के खड़े होने या उनके सम्मुख बात चीत करने या प्रनदर्शन करने से बिलकुल सम्बन्धित नहीं है। ये गिरफ्तारियां 18 मार्च, को लखनऊ यूनिवर्सिटी में एफिजी जलाने, पुतला जलाने और धारा 144 तोड़ने के अपराध में सेक्शन 6 स्पेशल। पावर्स ऐक्ट और सेक्शन 188 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत हुई। यह वारन्ट 18 तारीख को ही निकाले जा चुके थे। पुलिस ने इन महानुभावों को तभी देख पाया और प्राप्त कर सकी और तब यह गिरफ्तारियां की गयीं।

श्रीमन्, यह हो सकता है कि इसमें दो मत हों कि इन की गिरफ्तारियां हों, या न हों। सम्मानित नेता विरोधी दल या उप नेता भारतीय क्रांतिदल यह कहते हैं कि इन की गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिये। लेकिन जिस प्रकार के भाषण हुये और जिस प्रकार वाइस चांसलर का पुतला जलाया गया जिला प्रशासन की राय में धारा 144 उल्लंघन और स्पेशल पावर्स ऐक्ट जिस की जानकारी उपनेता भारतीय क्रांति दल को दी है, उन्होंने स्वयं उल्लेख किया कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस धारा को वह अवैधानिक मानते हैं, यह विचार उनका हो सकता है । लेकिन यह धारा उपलब्ध है । इसके अन्तर्गत गिरफ्तारियां हुई। मुझे इस बात का खेद है कि श्री शतरुद्र प्रकाश एम0 एल0 ए0 वाराणसी को जिस प्रकार शासन को गिरफ्तार करना पड़ा, वह मुझसे यहीं पर मिले, उनका युवक व्यक्तित्व है । उन्होंने चौकीदार आदि के वेतन के सम्बन्ध में कुछ बातें रखीं, बडे सुन्दर ढंग से रखीं । मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता कि उन्होंने इस प्रकार का प्रदर्शन किया होगा लकिन यह इस तरह की बात है जो अदालत के सामने आयेगी। जहां तक विशेषाधिकार...

श्री रामसेवक यादव--

क्या वारन्ट 188 और 6 के तहत में इश्यु किया गया, वह उनको दिखाया गया या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो मेरी सूचना है वह यह है, जो मैंने प्रस्तुत किया । अगर आपको सूचना हो तो मुझे उपनेता भारतीय क्रांति दल प्रस्तुत करें, मैं पूरी जानकारी कर लूंगा । जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का सम्बन्ध है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा था कि श्री शतरुद्र प्रकाश की गिरफ्तारी नहीं हुई निराधार बात जो मैंने कही थी वह यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से के0के0 बिड़ला खड़े हैं, यह निराधार है, असत्य है, तथ्यहीन है और यह दोबारा कहना चाहता हूं कि उनका कल नाम लेने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । तो इस सत्य से परे उन्होंने आधार बनाकर विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया है । मैं समझता हूं कि वह सच्चाई को स्वीकार करेंगे और इसे अवमान न मानें ।

श्रीमन्, अब मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हमारा जो संविधान है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हमरे संविधान के अनुच्छेद 194 के सब-आर्टिकिल 3 के अनुसार हमार जो प्रिविलेजेज हैं, जो हमारे विशेषाधिकार हैं वह वहीं है जो हाउस आज कामन्स के, या उसके सदस्यों या समितियों के हैं । यह सर्वमान्य है, श्रीमन्, और आप इसे भलीभांति जानते है कि आर्टिकिल 194 के सब आर्टिकिल 3 के अनुसार जो प्रिविलेजे ह, जो अधिकार है वह मेज, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में स्पष्ट लिखे हुये हैं । मैं आपका ध्यान, सम्मानित उप नता भारतीय क्रांति दल और अन्य सम्मानित सदस्यों का मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के पृष्ठ 120 और 121 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है:--

'It is a contempt to cause or effect the arrest, save on a criminal charge, of a Member of House of Commons during a Session of Parliament or during the forty days preceding or the 40 days following, a session.'

इसका अनुवाद यह है कि यह अवमान होगा सदन का, अगर किसी सदस्य की गिरफ्तारी क्रिमिनल चार्ज को छोड़कर, यदि वह हाउस आफ कामन्स में आता है उनको उस समय गिरफ्तार किया जावे जब कि सदन का अधिवेशन चल रहा हो, 40 दिन पहले या बाद ।

इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी क्रिमिनल चार्ज पर सम्मानित सदस्य गिरफ्तार होता है सदन चलने के दौरान भी तो वह सदन का अवमान न माना जायेगा । इस प्रकार के दृष्टान्त श्रीमन्, पहले भी सदन के इतिहास में हैं । मेरे पास अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों की पूरी सूची है । कई बार आपने अध्यक्ष पद से इस प्रकार के निर्णय दिये है जिनके अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि फौजदारी के मामले में गिरफ्तारी के उद्देश्य से, चाहे सदन चल रहा हो या सदन में आने जाने का प्रश्न हो, यह गिरफ्तारी सदन का अवमान नहीं माना जायेगा । यह कई

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बार रूलिंग हो चुकी है । इसलिये मैं आपके माध्यम से सम्मनित सदन के सदस्यों से और नेता विरोधी दल और उप नेता भारतीय क्रांतिदल से यह आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी जो संवैधानिक परम्परा है, जो विशेषाधिकार के अवमान की परम्परा है, उससे यह अवमान के प्रश्न को न जोड़े । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मुझे इस बात का खेद है कि नवनिर्वाचित युवक सदस्य की इस प्रकार गिरफ्तारी हुई । मैं तो अब यह कहना चाहूंगा कि वह अवसर आये कि वह यहां रहे और हमारे मध्य कार्य में भाग लें । वह समय जल्दी आये और ऐसी परिस्थितियां पैदा हों, लेकिन इसका कोई सम्बन्ध अवमान से सीधा न जोड़े । मैं फिर से दुबारा सम्मानित नेता हरिद्वार, सम्मानित उप नेता कम्युनिस्ट पार्टी श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा अपने तमाम सम्मानित सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि बिड़ला साहब के खड़े होने या उनको समर्थन से और इस दुर्भाग्य पूर्ण गिरफ्तारी से तनिक भी कतई भी किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कल से यह परम्परा हो रही है कि आक्षेप लगाये जा रहे हैं कि बिड़ला जी का समर्थन करोंगे तो यह हो जायेगा, वह हो जायेगा । मैं समझता हूं कि श्रीमन्, अब इस सदन को इस प्रकार के परस्पर आक्षेप से ऊपर उठना चाहिये और हमें यह स्वीकार करना चाहिये और हममें यह नैतिक बल होना चाहिये कि हम कह सकें कि कौन सी शक्ति है इस संसार में, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमें किसी प्रकार से खरीद सके ।

यह स्पष्ट करना चाहिये । मैं समझता हूं कोई बात अपने मन से करें अलग है लेकिन इस प्रकार एक दूसरे की गरिमा या प्रतिष्ठा को गिरायें तो इससे हम सदन की मर्यादा और मान सम्मान को ऊंचा नहीं करते । यहां पर प्रत्येक सदस्य पांच साल के लिये चुन कर आया है हम सबका अपने क्षेत्र के लिये जिससे हम चुन कर आये हैं उत्तरदायित्व है, वहां के विकास का उत्तरदायित्व है । वहां लोग मांग करते है कि स्कूल बनवायें, सड़कें बनवायें । हम इसलिये नहीं चुन गये हैं कि एक महीने के बाद विधान सभा भंग हो या यहां गुजरात या बिहार का वातावरण बने । हम चुन कर आये हैं पांच साल के लिये । हमारे लिये यह उचित है कि यहां पर इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप न हों । साथ ही मैं यह भी आग्रह करूंगा कि श्रीमन् इस अवमानना के प्रस्ताव पर अध्यक्ष पद से जो रूलिंग दी गयी है उनके आधार पर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य गण, कल मैंने सदन को सूचना दी थी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल पावर की धारा 6 और भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत माननीय शतरुद्ध प्रकाश बंदी बनाये गये हैं । इस सम्बन्ध में जो आज तक की व्यवस्थायें और मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है उसके कुछ उपर्युक्त अंश आपके सम्मुख रखना चाहूंगा । जो मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है उसमें सदस्यों के अधिकारों को, आप चाहते हैं कि बन्दी न बनाया जाय, सिविल केसेज तक ही सीमित किया गया है । यानी गिरफ्तारी से उन्मुक्ति का अधिकार किसी भी सदस्य को सिविल केसेज में है। लेकिन जो अपराध की धारायें हैं उनके अन्तर्गत पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के अनुसार उन्मुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है । संसदीय प्रणाली में जो पावर्स हैं गिरफ्तारी की उनमें भी उसी बात की पुनरावृत्ति की गयी है । गिरफ्तारी से छूट फौजदारी के अपराधों में नहीं होती है। ब्रिटेन में जो स्थिति है उसी के आधार पर भारत में रिहाई से छूट का विशेषाधिकार वहां लागू नहीं होता और न उसका दावा किया जाता है जहां संसद सदस्य पर अपराध का आरोप हो । और भी इसमें जो केसेज गिनाये जागये हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता । लेकिन जो प्रश्न आपने उठाये हैं वे भी महत्वपूर्ण हैं । मान लीजिये शासन किसी बात से प्रेरित होकर किसी सदस्य को गिरफ्तार करे तो उसका जो निर्णय है वह सदन करे या अन्यत्र निर्णय होना चाहिये ।

माननीय राम सेवक जी ने जो बातें रखी हैं अगर वह सही है तो उस पर निर्णय का अधिकार न्यायालय को होना चाहिये या हम उस पर निर्णय करें तो मेरी यह दृढ़ राय है कि ऐसे मामले पर न्यायालय ही उपयुक्त माध्यम है और वह अगर किसी गिरफ्तारी को अवैध करे और ऐसे माननीय सदस्य को बदनियती से उसके अपने सदन में आने के अधिकार पर अतिक्रमण करे और बदनियती सिद्ध हो तो इसके बारे में भी प्राविधान है। उसे मैं पढ़े देता हूं। यह रूलिंग है जो हमारे पूर्वगामी अध्यक्ष ने 19 जुलाई, 1957 को दी थी।

"मैं इसके लिये स्वीकृति नहीं देता हूं क्योंकि इससे विशेषाधिकार का सवाल उठता नहीं है। जहां तक फौजदारी के मामले हैं, उन मामलों में केवल माननीय सदस्यों को यह विशेषाधिकार है कि जब कोई गिरफ्तार हो जाय किसी कानून के मातहत, तो इस सदन को उसकी सूचना मिल जानी चाहिये। जहां तक सदस्य की हैसियत से उनके ऊपर कोई हमला होता तो अवश्य एक प्रश्न खड़ा हो सकता था लेकिन सदस्य की हैसियत से नहीं बल्कि एक नागरिक की हैसियत से ही वे कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हुआ है, कोई नागरिक भी इस सवाल को उठा सकता है। एक नागरिक भी इस तरह से पकड़ा जा सकता है और उसके साधारण अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिये अदालत मौजूद है और वह अदालत में इस प्रश्न को उठा सकता है। लेकिन इस तरह से विशेषाधिकार के द्वारा किसी सदस्य और नागरिक में भेदभाव नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंन्ट में भी ऐसी पद्धति रही है।

सदन के परिसर से बाहर हुई गिरफ्तारी के सम्बन्ध में भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यह 48 नम्बर की रूलिंग है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

नं0 49 की रूलिंग है:—

न्यायालय द्वारा यह सिद्ध होने पर ही कि किसी सदस्य की दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी हुई है, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है।

19 फरवरी, 1964 को श्री टम्बेश्वर प्रसाद द्वारा अभिकथित श्री सुखलाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय देते हुये श्री अध्यक्ष ने कहा:

"मेलाफाइडी अरेस्ट हो और यदि वह किसी सदस्य को सदन में आने में बाधा डाले तो, विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित होता है। लेकिन इस सम्बन्ध में एक बात कह देना चाहता हूं और वह यह है कि जिस दिन यह प्रश्न पहले उठाया था, उस दिन माननीय गृह मंत्री जी से मैंने पूछा था कि क्या उन पर फौजदारी का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने सूचना दी कि चलेगा। मुकदमे के चलने पर माननीय सदन की प्रथा रही है और आदरणीय पूर्वगामी अध्यक्ष, विधान सभा की इस संबंध में एक रूलिंग भी मुझे मिली कि अगर कोई सदस्य यह कहता है कि उसको अकारण ही पकड़ा गया तो मेलाफाइडी ऐक्शन को सिद्ध करने का अवसर उसको अदालत में होगा। अगर यह बात सिद्ध हो जाती है तब विशेषाधिकार के इस प्रश्न पर सदन में भी विचार किया जा सकता है। इस समय चूंकि मुकदमा चलेगा अतः इस प्रश्न पर यहां विचार नहीं हो सकता—

इसलिये अब मैं इसको स्थगित करता हूं। आगे श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का है। कल विधान सभा में श्री नारायण दत्त तिवारी ने सूचना दी थी कि श्री शतरुद्ध प्रकाश को बन्दी नहीं बनाया गया है। श्री शतरुद्ध प्रकाश पुलिस घेरे में थे। पुलिस ने उनको सदन की कार्य-

[श्री अध्यक्ष]

वाही में भाग लेने से रोका था। माननीय तिवारी जी ने सदन में गलत सूचना दी है जिससे सदन का अवमान हुआ है, इसलिये श्री नारायणदत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना देता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तिवारी जी ने इस बारे में नहीं कहा बल्कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बारे में कहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते है कि वह फिर कह दे, सदन के समक्ष कह दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं दुबारा दोहराता हूं। मैंने श्री शतरुद्ध प्रकाश का नाम केवल बिरला वाले कान्टेक्स्ट में लिया था और उसी बारे में बात कही थी।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैं नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकारभंग का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दें। कल विचार करेंगे। मैंने सुन लिया है। आप श्री काशी नाथ मिश्र के विरुद्ध उठाना चाहते हैं। जो आप उठाना चाहते हैं उसकी लिखित सूचना आनी चाहिये।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् के चुनाव होने जा रहे हैं जब इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रस्ताव दिया है। उसमें और अवैधानिकता हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

56 में यह बात आ चुकी है। बहुत से माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। नियम 56 में उसे अस्वीकृत किया जा चुका है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि विधान परिषद् में जो चुनाव होने वाले है उनमें लोकल बाडीज से भी लोग चुने जाने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने 301 में उसे दिया है। मैंने उसे अभी देखा नहीं है। मैं इसलिये उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि जब मैंने उसे देखा नहीं है तो मैं नहीं जानता कि क्या मामला है?

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री सूबेदार (जिला मिर्जापुर)—

मैंने भी नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना दी है। 1200 मजदूर निकाल दिये गये हैं हैं।

श्री अध्यक्ष--

56 में मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। 51 में लिख कर दीजिये। वक्तव्य दिलवा दूंगा।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

मेरा भी एक प्रस्ताव 56 में था। देवरिया जिले में बड़ी गंडक में पानी की अधिकारियों ने छोड़ दिया है जिससे जिले के अन्दर हजारों क्विंटल धान की फसल डूब गयी है।

श्री अध्यक्ष--

56 में उसे स्वीकार नहीं किया है। 51 में वक्तव्य दिलवा दूंगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

जैसा कि मूव किया गया है पार्टी के नेताओं को 25 मिनट मिलेगा शेष सदस्यों को 10 मिनट मिलेंगे। कल श्रीमती डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी बोल रही थीं वह अपना भाषण जारी रखेंगी। जितने संशोधन हैं अब उपस्थित किये गये माने जायेंगे।

(उपस्थित किये गये माने गये संशोधन के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 181-208 पर)

*खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

अध्यक्ष जी, मुझे कितना समय मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

25 मिनट।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, कल नेता विरोधी दल ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो संशोधन उपस्थित किया है और उसको पेश करते हुये उनका जो मुख्य आरोप सरकार पर था वह यह कि चुनाव में बहुत अधिक बेईमानी की गई। बैलेट बाक्सेज को टेम्बर किया गया, जगह-जगह अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला गया और यदि इस प्रकार से न किया गया होता तो इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और ही होता। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल का ध्यान दिलाना चाहती हूं सन् 1971 में जब हमारी पार्टी को लोक सभा में भारी बहुमत प्राप्त हुआ था उसके पहले भी विरोधी दलों की तरफ से यह प्रचार था कि इस बार तो राष्ट्रीय मिली जुली सरकार बनने वाली है और इन्दिरा गांधी को बहुमत नहीं मिलने वाला है और हमारे माननीय चौधरी साहब के लिये दिल्ली के कई अखबारों में निकला कि वे शैडो कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं लेकिन बाद में भारत की जनता ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हमारी पार्टी को उसके नेता और नीतियों के कारण बहुमत प्राप्त हुआ था। तब जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने लोक सभा में और बाहर भी तथा अन्य लोगों ने भी इस बात का प्रचार किया कि कोई ऐसी जादू की स्याही आ गई थी---रूस से आ गई थी---और उसके कारण इन्दिरा गांधी को इस बार भारी बहुतमत मिला। मैंने सुना है कि चौधरी साहब ज्योतिषियों की बात पर बहुत जाते हैं। हमें लोगों ने बताया कि ज्योतिषियों ने चौधरी साहब के लिये कहा था कि वे इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बन सकते हैं और वे बहुमत ला सकते हैं।

---

†20 मार्च, 1974 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

आप अपनी माननीय प्रधान मंत्री से पूछें कि वे गले में जो माला पहनती है वह किसके कहने से पहनती हैं और किसके कहने पर किस वक्त किस रंग के कपड़ पहनती हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

हमारी प्रधान मंत्री तो मान सकती हैं लेकिन इसके माने यह हुये कि चौधरी साहब मेरी बात को भी मान रहे हैं कि वे ज्योतिषियों पर विश्वास करते हैं। ऐसा मुझे बताया गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

इसका मतलब है माननीय बाजपेयी जी भारतीय क्रांति दल की बात मान रही हैं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

अध्यक्ष जी, मैं कह रही थी कि मुझे लोगों ने बताया कि चौधरी साहब को यह आशा थी कि वे उत्तर प्रदश के मुख्य मंत्री बनेंगे। किसी भूखे आदमी के सामने यदि थाली परोस दी जाय और उससे वह छीन ली जाय तो उस आदमी की जो स्थिति होगी, वही स्थिति उनकी है। वे इस सदन के सन् 37 से सदस्य हैं और आज वे इस स्तर पर भाषण कर रहे हैं यह मैं बड़े आश्चर्य से देख रही थी। मैं भी सन् 62 से इस सदन की सदस्या हूं और मैंने चौधरी साहब को बड़े-बड़े मौकों पर बहुत सी बातों पर बहुत ही अच्छे ढंग से बात करते हुये सुना है। लेकिन। कल जब मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि जब किसी व्यक्ति की आशा निराशा में परिवर्तित हो जाती है तो वह अपना विवेक खो बैठता है। और विवेकहीन व्यक्ति तर्कसंगत बातें नहीं करता, इसी तरह की बातें यहां पर माननीय नेता विरोधी दल ने कहीं ।

माननीय नेता विरोधी दल ने जिन बातों को कहा है, उनके लिये चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, उन्होंने करीब साढ़े 3 घंटे लिया जबकि मुझे केवल 25 मिनट का समय दे रहे हैं इसलिये मैं बहुत संक्षेप में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने पहले ही शुरू में चाहे व्यंगात्मक ढंग से क्यों न कहा हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं ट्रेजरी बेंच के लोगों को बतला देना चाहता हूं कि उनकी यह धारणा ठीक है कि मैं जनतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता। जनतंत्र की रक्षा तो तब होती जबकि हिंसा का सहारा लेकर बिहार व उड़ीसा की घटनायें दोहरायी जातीं। जादू वह जो सर पर चढ़ कर बोले। चौधरी साहब का जनतंत्र में विश्वास नहीं है क्योंकि उनकी आशायें धूल में मिल गयीं। उनको यकीन नहीं है कि सही जनतंत्र की नींव जो इस देश में हमने डाली है उसमें ज्यादा मजबूती आयेगी। इसलिये आज वे जनतंत्र के खिलाफ दूसरे प्रकार के हथियार अख्तियार करके इस प्रदेश में येन केन प्रकारेण चीफ मिनिस्टर या मुख्य मंत्री फिर से बनाने के लिये वह नारा बुलन्द करना चाहते हैं जिससे इस प्रदेश के अन्दर वह स्थिति बन जाय जो गुजरात और बिहार की गफूर मिनिस्टरी के खिलाफ बनने वाली है। इसलिये उनके मुंह से इस तरह के व्यंगात्मक शब्द निकले जो वास्तव में उनके अन्दर की आवाज है। वे जनतंत्र में यकीन नहीं करते, इसीलिये उन्होंने हमारी आदरणीया नेता इन्दिरा जी के खिलाफ बहुत सी तथ्यहीन बातें कहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश में इतने अधिक शिलान्यास हुए, क्यों ? इतनी सारी चीजों की नींव जो पड़ी है, वह क्यों ? इतने विश्वविद्यालय बन गये, वह क्यों ? वकीलों के लिये जो इनश्योरेंस फंड स्कीम बनी, वह क्यों? डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस में छूट आदि जनहित के काम जो हमारी सरकार ने किये वह क्यों किये? चौधरी साहब का मतलब यह था कि सारी चीजें चुनाव तक रोक रखनी चाहिये थीं क्योंकि

चुनाव के पहले इन सारी चीजों के होने से उसका असर चुनाव पर पड़ता है। और इससे जनता के मन में यह भावना पैदा होगी कि कांग्रेस सरकार हम लोगों से वोट लेने के लिये ही ऐसी कर रही है।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई नयी सरकार नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से लेकर आज तक जो भी सरकार आयी, उसने यहां विकास का काम किया है। हां, 67 में जो संविद की सरकार बनी उसकी हमारी केन्द्रीय सरकार से ज्यादा नहीं बनी और 67 से लेकर 71 तक के बीच में यहां जिस तरह के काम हुए उससे हमारा उत्तर प्रदेश एक प्लान पीछे चला गया। इस बीच हमारे प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां आयीं, जिनसे हमारे प्रदेश को गुजरना पड़ा--सूखा पड़ा, अकाल भी आया, राष्ट्रीय संकट भी आया जब कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई जिसकी वजह से हमारे प्लान में कटौती करनी पड़ी, उन सबको हमें अब पूरा करना है। हमारी सरकार जब शासन में आयी तो हमने यह संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश के नाम के साथ जो पिछड़ापन लगा हुआ है उसको हमें दूर करना है इस पंचवर्षीय योजना में। और उस पंचवर्षीय योजना की बागबेल डाली गयी और बहुत सी स्कीमों का शिलान्यास किया गया। जो स्कीमें चल रही थीं उनका पूरी तरह से असेसमेंट हुआ, और उनके लिये रुपये की स्वीकृति हो गयी केन्द्रीय सरकार से और पहली अप्रैल से हमारी नयी योजना प्रारम्भ होने वाली है।

आज उत्तर प्रदेश का कौन नागरिक होगा जो यह नहीं चाहता कि हमारे यहां जल्द से जल्द बिजली की कटौती खतम की जाय, कौन नहीं चाहता कि हमारे खेतों को पानी मिलें में इस प्रदश की खाद्य और रसद मंत्री हूं। कल मेरे पास दो किसान आये। वे गेहूं की बालियां लिये हुए मुझे दिखा रहे थे। बालियां देखने में बड़ी खूबसूरत थीं, ऐसा लगता था कि जैसे उसमें बड़े बड़े दान हों। लेकिन जब मैंने उसे टटोलकर देखा तो मालूम हुआ कि उसमें एक भी दाना नहीं था। यह देख कर मेरा, दिल दहल गया। यह हमारी खेती की स्थिति है। हम खेती को पानी नहीं दे पाय क्योंकि हमारे प्रदेश में पानी कम बरसा, बिजली की कमी हुई और पाला पड़ गया। इससे यदि हमारी खेती में 25 प्रतिशत की भी कमी होती है तो सवाल इस बात का आता है कि हम अपने प्रदेश की 9 करोड़ जनता को अनाज सही कीमत पर कैसे द सकते हैं। इस लिये हमारे प्रदेश की धरती जो उपजाऊ है उसके लिये पानी चाहिये, बिजली चाहिये, अपने प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिये लोगों को छोटे बड़े उद्योग चाहिये। इसलिये हमारी प्रधान मंत्री ने इन चीजों की शुरुआत करने के लिये इसकी नींव डाली हैं, इसकी बुनियाद डाली है। जो काम पीछे पड़े हुये थे उनको आगे बढ़ाया गया है। इसके लिये हमारी प्रधान मंत्री धन्यवाद की पात्र हैं। हमारे प्रदेश की 9 करोड़ जनता उनके लिये आभारी है कि उन्होंने इस मौके पर हमारी मदद की है। हम इसक लिये कृतज्ञता प्रगट करते हैं। अभी तक दूसरे प्रदेशों में योजनायें जारी थीं और हमारा प्रदेश पिछड़ गया था। लेकिन इसकी बुनियाद डाल कर प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिये पहल की है।

हमारे पूज्य पंडित जवाहर लाल जी जब इस देश के प्रधान मंत्री बने तो उनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आई तो उन्होंने देश को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया था। उसी प्रकार स हमारी प्रधान मंत्री ने इन योजनाओं को लाकर कोई गुनाह नहीं किया है। हर चीज को इलेक्शन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। हमने चुनाव के दौरान में नहीं किया बल्कि उसके पहले किया है। माननीय चौधरी साहब का यह कहना कि वह तो हेलीकाप्टर पर उड़ती थीं और केवल 15 मिनट बोल कर चली जाती थीं और जनता का रुपया खर्च होता था। ऐसी बात नहीं है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है,. इसमें 54 जिले हैं। हिमालय पहाड़ से लेकर बिहार तक इसकी सीमा छूती है। हमारी प्रधान मंत्री ने 32 जिलों का दौरा किया

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

और एक जगह पर 10–15 मिनट बोलकर दूसरी जगह चली गईं। इस तरह से एक-एक दिन में कई-कई जिलों का दौरा किया। 1971 के चुनाव में भी उन्होंने इसी तरह से प्रदेश के जिलों का दौरा किया था। वह हेलीकाप्टर पर जाती थीं और एक जगह बोलने के बाद फौरन ही दूसरी जगह चली जाती थीं। आज क्या कोई ऐसा नेता है जिसने अपनी सभा में इतनी भीड़ इकट्ठी की हो और जिनकी प्रतीक्षा में जनता 8–10 घंटे खड़ी रहती हो जितनी कि इंदिरा जी की सभा में होती थी। (व्यवधान) धीरज रखिये। यह जनतंत्र की पहली चीज है। आपके नेता को जनतंत्र की बड़ी फिक्र है। इसलिये सबसे पहली चीज यह है कि दूसरे की बात सुनी जाय और सुनने के लिये सब्र होना चाहिये।

प्रधान मंत्री का ही ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके 5–7 मिनट के बोलने को सुनने के लिये जनता 8–10 घंटे तक इंतजार करती रहती है और उनके लिये यह कहा जाना कि वह केवल 15 मिनट बोल कर चली गईं, कहां तक ठीक है? उनका तो आ जाना ही हमें हिम्मत दिलाता है। जनता को उनका संदेश देना ही काफी है। उनको बुलाने के लिये हमने आग्रह किया था। हमारी पार्टी का हर उम्मीदवार चाहता था कि वह उनके क्षेत्र में आ भर जायं। इसलिये उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाने के लिये हेलीकाप्टर का उपयोग किया था। अब यह कहना कि हवाई जहाज का, हेलीकाप्टर का क्यों प्रयोग होता है? यह युग चांद पर जाने वाला है। इसलिये तेज रफ्तार से काम होना चाहिये। इस युग में बलगाड़ी से नहीं चल सकते हैं। प्रधान मंत्री जी को कहा जाता है लेकिन क्या विरोधी दल के नेता ने कभी मोटर छोड़कर बैलगाड़ी का प्रयोग किया? उनको बैलगाड़ी का उपयोग करना चाहिये और मोटर का उपयोग नहीं करना चाहिये। लोग यह बात भूल गये कि लोक सभा में यह बात बता दी गई कि जो भी इलेक्शन के दौरान में खर्चा किया गया और अनुचित व्यय किया गया वह सरकारी खर्चे से नहीं किया गया। स्पष्ट तरीके से यह बता दी गई है तो उसमें किसी तरह से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का चार्ज उठता नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि नेता विरोधी दल ने बहुत ही अपने तरीके से और कुछ पत्र पढ़कर सुनाये और जगह-जगह जो स्थिति हुई उसको भी कहा। कल यह कहा गया कि इलेक्शन में जोर दबाव डाला गया। पिछली बार जब 67 में छपरौली में चौधरी साहेब ने चुनाव लड़ा था, उस समय जो इलेक्शन पिटीशन हुआ था और उस समय के जो प्रिसाइडिंग आफीसर थे उनकी डायरी के एक्सट्रैक्स पढ़कर सुनानी चाहती हूं। माननीय नेता विरोधी दल के जो पोलिंग एजेन्ट थे उन्होंने क्या-क्या किया था। यह मैं 2–3 जगह की चीजें पढ़कर सुनाना चाहती हूं।

Extracts from the diaries of some of the Presiding Officers deputed in general election of 1967 in Chhaprauli Constituency of district Meerut from where Ch. Charan Singh contes'ed.

(1) Meaning thereby one (one Congress) of Lok Sabha and other (Congress) of Vidhan Sabha, Ch. Charan Singh. Polling Station no. 33, Uttri Kishanpur, D. A. V Inter College, Diary no. 19480, Para 1.

In spite of repeated instructions, agents specially of Raghubir Singh Shastri, Nawab Singh and Ikbal Singh marked votes with their own hands of several voters. Police strength being less. It was not advisible to stop election or to arrest any one.

Page 2 :

From 10 a. m. to 12 a. m.

Rush was heavy during the period and no. of women voters was very good. There were some instances of more than 150 present at a time but

discipline among the voters was good they were waiting all in queue for their turn impatiently. From 12 a. m. rush was at peak. During this period there were more than 150 voters at a time line. Number of women voters was also large, but discipline among voters was good. In spite of repeated requests all agents Nawab Singh and Ikbal Singh marked votes themselves even in open. Facts were again told to Deputy Collector, who visited the place at about 12.30 p.m. and was told of the facts that agents are marking votes themselves. Police could not take any action. Their strength being very less and riot was feared, if any action was taken against the defaulters.

Page 5:

4 p. m. to 5. p. m.

and conclusion of polling.

Same positon of agents marking votes themselves remained. At times agents were even sending the voters already voted 3-4 times to vote again.

Page 6:

Whole day deposition.

Total votes caste during whole polling day.

Assembly 771. Parliament 771

All agents specially Nawab Singh and Ikbal Singh of Raghubir Singh marked at least 80 per cent themselves and violated all rules of democracy as well as election rules. In spite of repeated requests the agents did not stop this bad practice. They at times threatened the polling officers.

Now the polling neither could be adjourned, nor police action could be taken, police strength being less, as riot, disorder was feared if any police action on the spot had been taken. All facts were disclosed to the visiting Deputy Collector at about 12.30 p. m.

All the polling is bogus.

Re-polling is requested with large police force to suppress any riot.

Matter on form—Uttri Kishunpur.

Against Heading no. 19 Electoral offences with dates. All polling bogus as menoned in diary. Agents mentioned marked votes themselves in spite of repeated instructions but no police action could be taken, police strength being very less, otherwise riot was feared.

Polling Station no. 52 Chhaprauli.

Diary no. 8675.

My simple observation regarding polling is this that the majority community terrorised the rest of the voters who might have abstained themselves from exercising their right to vote. Only 517 persons have turned up to vote out of 1,200 voters. Mostly they belonged to majority community of that area.

Polling agents did not observe the rules etc.

Polling station no. 62 Sabga. Diary no. 18542.

In all, worst conditions ever experienced by me and my polling officers, is carried out my assignment and in some way giving away to my own conscience and I worshipped the agent like God and when it could be pos-

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

sible to carry out the polling, otherwise here it was all danger even to my life and that to my polling officers. There is nothing more important to mention.

* * *

आखिर में केवल यह है—

It was a sort of free for all so far as polling of votes was concerned. The polling officials did not report for duty at the polling station.

माननीय नेता विरोधी दल जो 1967 में बहुत भारी बहुमत से चुन करके आये थे और जबकि उन्होंने वह हथकंडा अपनाया था जो आज वह हम लोगों के लिये कह रहे हैं। उनका यह विचार है कि जो हथकंडा उन्होंने अपने 67 के चुनाव में अपनाया था और काफी बहुमत से आये थे तो उसी हथकंडे से कांग्रेस भी आज बहुमत से जीत करके आयी होगी। जो हथकंडा उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनाये थे उसको हमारे ऊपर लादने की कोशिश की गई है।

इस इलेक्शन में केवल चौधरी साहब ने कहा था कि मथुरा में अरेस्ट हुए और तमाम चीजें हुई, गोकुल को माननीया श्रीमती गायत्री देवी माननीय नेता विरोधी दल की धर्मपत्नी हैं उनके कार्यकर्त्ताओं ने कांग्रेस की एक जीप को जला दिये और जिन लोगों ने जलाया उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। मैं मथुरा व गोकुल के बारे में यह बतलाना चाहती हूं कि मथुरा में जो यह पोलिंग स्टेशन्स हैं जहां पर वोट डालने ही नहीं दिया गया। उसमें यह है कि गोवरधन (सुरक्षित), हाटा फैजाबाद में लोगों को वोट डालने तक नहीं दिया गया। इन स्थानों पर यह देखा गया कि बी० के० डी० के अतिरिक्त लोग अन्य पार्टी को वोट डालना चाहते हैं, तो वहां पर लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया गया और हजारों की संख्या में बी० के० डी० के एजेन्ट्स ने गलत ढंग से वोट डलवा दिये और उनकी पार्टी के लोगों ने लोगों को डरवा करके बैठाल दिया। यहां तक कि वोटरों को वोट डालने से लौटाल दिया गया।]

जो बात मेरे सिलसिले में कही गई जो मैंने कल कहा था वह मैं यह बता देना चाहती हूं कि मेरे चुनाव में जहां तक सवाल था कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी वगैरह की बात, इस बारे में बड़े ही कड़े शब्दों में यह कहना चाहती हूं कि न तो मेरे विचार में ही किसी बात की गड़बड़ी करने का रहता है और न ही किसी प्रकार गड़बड़ी मेरे क्षेत्र में हुई ही है। मैं तो यह बात मान करके चलती हूं कि अगर किसी कार्यकर्त्ता ने यह कहा कि उसको शराब लेना है वह वोट ठीक कर देंगे तो मैं तो इस विचार की हूं कि मैं एलेक्शन हार जाऊंगी परन्तु शराब पिलवाऊंगी नहीं। हरिजनों को साफ कह देना चाहिये कि हम ऐसे लोगों को वोट नहीं करूंगा। (शोर) जिन बक्शों की बड़ी चर्चा हुई है कि यह बक्से जो हैं खोले गये, मैंने कल भी कहा था मेरे पास वे आंकड़े भी हैं। आखिर में 2 बक्से खोले गये। नं० 109, उसमें 165 मेरे और श्री रामाधार के 178 वोट निकले। उसी प्रकार से 118 नं० में मेरे 127 और रामाधार के 275 थे। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि मैं वह बात कह रही हूं जिसके लिये मैं जिम्मेदार हूं। (शोर)। जिन बक्शों का यहां पर जिक्र किया गया उनमें अधिक वोट मेरे नहीं निकले बल्कि श्री रामाधार के ही निकले। जिन बक्सों की चर्चा हो रही थी, उनको सील करके इसीलिये रखवा दिया गया है। मेरे इलेक्शन में एक बात और यह हुयी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके सेक्रेटरी आये और उनके सामने मत गणना हुयी। मेरे इलेक्शन के दौरान तो यहां तक हुआ कि बी० के० डी० के गुन्डे कार्यकर्त्ताओं ने हमारे कार्यकर्त्ताओं को डराया धमकाया और फिर उनको उठाकर जीप में ले जाते थे और गायब कर देते थे और बाद में उन्हें परेशान भी करते थ। इतनी ज्यादतियां मेरे इलेक्शन के दौरान हुयीं।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

मेरे चुनाव में एक सार्वजनिक इन्सपेक्टर पडरौना कांस्टीटुएन्सी में खुले रूप से कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रहे थे।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने कल भी दुहराया कि कहां पर सरकार कमीशन की बात मानती है। यह तो मंत्रि-परिषद् ही तय करेगा। मैं उसकी एक सदस्य हूं लेकिन नागरिक के रूप में जो आक्षेप मेरे ऊपर किया गया, मेरा जो सच्चाई का राजनीतिक जीवन रहा है उस पर कलंक लगाने की बात कही गयी है, उसकी मैंने सफाई दी है। मैं माननीय चौधरी साहब से भी अपील करूंगी कि मैं उनकी व्यक्तिगत बात मानने के लिये तैयार हूं लेकिन इलाहाबाद में जो बात की गयी है उसके बारे में वे सर्वप्रथम मि0 सैन से पूछ लें, उन्हें सब मालूम है (व्यवधान) हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। मेरी प्रार्थना है कि माननीय चौधरी साहब मि0 सेन को पत्र लिखकर पूछ लें, उनके सामने बक्से खुले। जितने बक्सों के बारे में कहा गया उनमें उन्हीं के प्रत्याशी के वोट ज्यादा निकले। तथ्यों के आधार पर माननीय चौधरी साहब पूछ-ताछ कर लें।

माननीय चौधरी साहब ने बड़े भ्रष्टाचार की बात कही। इसके बारे में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की खाद्य मंत्री होने की हैसियत से मैंने शासन व्यवस्था में कड़ाई करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं। इस अर्से में अब तक 256 तस्करी के अभियोग, 174 जमाखोरी के अपराध, 390 ब्लेकमार्केटिंग के अपराध तथा 888 अन्य मिश्रित अपराध पकड़े गये हैं, जिनकी कुल संख्या 1,708 होती है। इन अपराधों के सम्बन्ध में 1,821 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 1,026 लाइसेन्सी निलंबित किये गये, 1,012 लाइसेंसेज को निरस्त किया गया तथा 994 मामलों में लाइसेंसीज द्वारा दी हुयी जमानतों को जब्त किया गया। इस समय 504 मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। इन अभियोगों से संबंधित सीमेंट, वनस्पति, मिट्टी का तेल, डीजल, चीनी, टायरों का मूल्य लगभग 15 से 20 लाख रुपये तक आंका गया है।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

आपके विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। सीमेंट, डाल्डा, और डीजल व मिट्टी के तेल के लिये हाहाकार मचा हुआ है। सबसे भ्रष्ट विभाग अगर कोई है तो वह खाद्य विभाग है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।

इन्हीं शब्दों के साथ, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उस पर आभार प्रकट करती हूं और मैं आपकी भी आभारी हूं कि आपने मुझे इतना वक्त दिया।

श्रीमती गायत्री देवी (जिला मथुरा)—

अभी राजेंद्र कुमारी जी ने गोकुल क्षेत्र का जिक्र किया। मैं बहिन जी को बताना चाहती कांग्रेस वालों ने अपनी जीप जला दी और मेरे 8 कार्यकर्ताओं को पकड़वाया और उनकी जमानत भी नहीं होने दी। 22 तारीख की बात है। उन्होंने ऐसे-ऐसे हथकंडे अपनाये जिससे मेरे कार्यकर्ता मेरा काम न कर सकें, ऐसे-ऐसे कांग्रेस वालों ने कार्य किये। मेरे क्षेत्र में कम्बल बांटे, रजाई बांटी, जा जाकर रुपया बांटा। यह राजेंद्र कुमारी ने जो गोकुल क्षेत्र के विषय में कहा यह बिलकुल झूठ है और मेरे आदमियों को अब भी वह पकड़ रहे हैं झूठे-झूठे इल्जाम लगाकर। मेरे क्षेत्र के लोग यहां आये हुए हैं। मैं अध्यक्ष जी के पास उन व्यक्तियों की बात लिख कर दूंगी तब इन बातों का जवाब दूंगी।

श्री चन्दन सिंह (जिला मथुरा)—

बाजपेयी जी ने कहा कि नौगांव, आवाखेड़ा और छिनपारी में गड़बड़ हुई तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आचार्य जी ने उस क्षेत्र में इतने अत्याचार किये हैं चमारों से और जाटों पर कि वह बयान नहीं किये जा सकते । अब भी उन पर अत्याचार किये जा रहे हैं । दरोगा का पूरी तरह मिस्यूज किया गया । एस0डी0एम0 भगतसिंह ने बड़ा पक्षपात किया । लक्ष्मीरमण आचार्य फिर भी हार गये । मेरे पास उन्होंने खेत लिखा कि चन्दन सिंह तुम्हें मरवा दिया जायगा और मेरे पास एक डकैत को भिजवाया और मुझे धमकी दिलाई गई कि तुम्हें मरवाया जायगा, तुम ठाकुर के बल पर चुनाव जीतने चले हो । यह बिलकुल निराधार है कि नौगांव आवागढ़ क्षेत्र में चुनाव में गड़बड़ी हुई ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी.... (व्यवधान)
माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी को मैंने समय दिया है, वह बोलेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि मुझे आपने अपना संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अध्यक्ष जी, वह पढ़कर सुनाऊं ?

श्री अध्यक्ष—

वह प्रस्तुत किया हुआ माना गया । आप भाषण दें ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, कल से मैं इस प्रस्ताव पर इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं उन्हें मैं सुन रहा हूं । एक विषय जिधर सबका ध्यान बहुत केंद्रित है वह उधर से इस सदन के सामने आया है कि विपक्ष के लोगों ने या विपक्ष की ओर से ऐसी बातें कही गयी हैं जिससे हिंसात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है और बिहार और गुजरात की स्थिति विपक्ष के लोग पैदा करना चाहते हैं । मान्यवर, मैं उसको भी ध्यान में रख कर कुछ आपके समक्ष रखना चाहता हूं । पहले इतनी बात कह दूं कि इस राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वायुमंडल में जो इस वक्त चारों तरफ है, जो यह अभिभाषण है यह बिलकुल सारहीन है, निर्जीव है और उस परिप्रेक्ष्य में कोई दिशा नहीं देता ।

अब जहां तक यह चार्ज हम लोगों पर हैं उस पर कुछ कहकर अपने विषय पर आऊंगा । आज कांग्रेस की आर्थिक नीतियां जो कांग्रेस ने पिछले 26 वर्षों से अनुसरण की है, इस प्रदेश को ऐसे कगार पर ले आयी हैं जो उन्होंने भी स्वीकार किया कि आज उत्तर प्रदेश लगभग सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है । इनकी नीतियां ऐसी रहीं कि जिसमें गरीबी नित्य प्रति बढ़ती गयी, यह सरकार की स्वीकारोक्ति है और 60–70 परसेंट ऐसे होते गये जिनको दोनों वक्त भर पेट भोजन नहीं मिलता । इनकी नीतियों के कारण एक ओर गरीबी बढ़ती गयी और दूसरी ओर अमीर बढ़ते गये, करोड़पति बढ़ते गये, जमाखोर बढ़ते गये, ब्लैकमार्केटियर बढ़ते गये । ऐसी स्थिति जब पैदा हो गयी तो स्वाभाविक है कि समाज परिवर्तन चाहेगा । जब संवैधानिक तरीके से परिवर्तन लाने में कोई अड़चनें पड़ती है तो प्रगति का ऐसा तकाजा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उभर कर उत्पन्न होती हैं । गांधी जी ने नान-वायलेंट मूवमेंट शुरू किया था जो अन्ततोगत्वा इसमें समाप्त हुआ । मैं उसका पक्षपाती नहीं हूं–कि चौरी चोरा कांड हो गया । इसका कारण यह था कि परिस्थियां ऐसी उत्पन्न हो गयीं कि लोग अपने को वश में नहीं रख सके । यह किसी भी राजनीतिक दल की इच्छा नहीं होती कि वायलेंस हो । आज परिवर्तन करने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह अवसर आया था । सारा प्रदेश अंगड़ाई ले रहा था । मेरे कहने का मतलब यह कदापि नहीं है कि अनकांस्टीट्यूशनल मीन्स एडाप्ट किये जायं , लेकिन आपने यह परिस्थिति कैसे पैदा की ?

हमारी बहन जी ने एलेक्शन के बारे में बड़ी सफाई दी । हमारे माननीय चौधरी साहब ने एलेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा । मैं भी अपने ढंग से कुछ कहूंगा क्योंकि यह बड़े महत्व का प्रश्न है । इसलिये महत्व का प्रश्न है कि यदि सारी जनता को यह विश्वास हो जायगा कि एलेक्शन और इस कांस्टीट्यूशन के जरिये सरकार बदल नहीं सकती जिसके कारण हमारी यह अधोगति हो गयी और होती रहेगी तो उसके सामने दूसरा चारा क्या रह जायगा ? गुजरात में वह स्थिति आयी, बिहार में आ रही है, 4 रुपये सेर गेहूं है और 6 रुपये सेर चावल है । किस दल ने यह स्थिति उत्पन्न कर दी ? शासन आपके हाथ में है । यह आपकी नीतियों और आपके कुशासन का परिणाम है । पिछले 26 वर्षों की अनियोजित योजनाओं का परिणाम है कि आज समाज कराह रहा है । लेकिन कांस्टीट्यूशनल मीन्स और शांति का तरीका अपनाने के कारण उसको राहत नहीं मिल रही है । यह स्थिति आप पैदा कर रहे हैं । इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी और इतिहास आपको माफ नहीं करेगा । यदि यह स्थिति नहीं बदली और जिन नीतियों का आपने अनुसरण किया है उनका पुनः अनुसरण किया तो लपटों को कोई रोक नहीं सकता, मैं भी उसमें झुलस जाऊंगा, लेकिन इतिहास आपको माफ नहीं करेगा ।

मैं ने आपसे कहा कि आपकी नीतियां असफल हुई । सब लोगों के मन में यह आया कि 1974 का चुनाव आ रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन कर देंगे । लेकिन आपने समझा, अभी हमारी बहनजी ने स्वयं कहा कि प्राइम मिनिस्टर का व्यक्तित्व ऐसा है, लेकिन क्या किसी के व्यक्तित्व की पूजा करने पर किसी गरीब का पेट भर सकता है। जब आपने देखा कि जनता एकदम निराश हो चुकी है, उसको आपसे कोई आशा नहीं है तो आपने एलेक्शन पर जकड़ लगा दी और सारी चुनाव पद्धति, सारे चुनाव तंत्र और चुनाव यंत्र पर जो जकड़ की आपने उसका दर्द समाज के हर भाग में पहुंच गया ।

आपका एलेक्शन कमीशन बहुत दोषपूर्ण है । आप कहेंगे कि पहले से बना है । ठीक है, पहले से बना है, जवाहरलाल जी के समय में बना था । लेकिन आज की परिस्थिति दूसरी है। इलेक्शन कमिश्नर जो नियुक्त किया जाता है वह किस तरह होता है ? आप एक कैबिनेट सेक्रेटरी को जो रिटायर्ड हो जाता है, उसको इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करते हैं । यह क्या आगे के लिये इन लोगों के लिये प्रलोभन नहीं है? आप ऐसे आदमी को इसलिये इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं ताकि वह जो आप चाहें वह करें । सारी इलैक्टोरल मशीनरी आज आके साथ है । चीफ इलैक्टोरल आफिसर आपके एल0 आर0 हैं । वह भी सरकार का एक अंग हैं। तो जो पहला तंत्र है उसे आपने अपने पास रखा ताकि आपकी इच्छानुसार सारा चुनाव का कार्य हो मैं आंखों देखी बात कह रहा हूं कि दो-दो एलेक्टोरल रोल्स रखे गये । हमारे पास दूसरा था और पोलिंग बूथ पर दूसरा । हमारा वोटर गया, वहां लिस्ट में उसका नाम नहीं था, हमारे पास जो लिस्ट दी गयी, उसमें उसका नाम मौजूद था । यही नहीं, आपने सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया । माननीय चौधरी साहब ने भी इस बारे में बहुत सी बातें बतायी हैं, मैं भी उसके एक दो प्रमाण रखना चाहूंगा । मैं एक रायबरेली की और दूसरी मिर्जापुर की मिसाल रखना चाहता हूं । राबर्ट्सगंज में 4 बार काउंटिंग हुई । हमारा सदस्य जीता, री-काउंटिंग करायी गयी, पुनः हुई, पुनः हुई, 4 बार हुई । पहले वह 1,090 वोटों से जीता था, कम होते-होते 21 वोट से जीता । मगर जब हमने कहीं री-काउंटिंग की बात कही तो हमारी बात नहीं मानी गयी । अगर कांग्रेस के कहने पर री-काउंटिंग होती है तो हमारे कहने से भी होना चाहिये ।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)—

राबर्ट्सगंज के बारे में अभी जो तथ्य माननीय त्रिपाठी जी ने बताये वह गलत हैं (व्यवधान)। प्रथम बार म जब सारी काउंटिंग समाप्त हो गयी तो कांग्रेस कैन्डीडेट 45 वोट से जीता (व्यवधान)।

एक सदस्य—

एक अधिकारी हमारे जनसंघ के कैन्डीडेट के 50 मत-पत्रों का बंडल छिपाये हुए था, (शोर) बाद में जब जनसंघ का कन्डीडेट जीत गया तो इन्हीं माननीय लोकपति ने वहां के जिलाधीश के खिलाफ नारे लगवाये . . . (शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम अपने दल के सदस्यों पर संयम रखते हैं, आप (कांग्रेस पक्ष) भी अपने सदस्यों को संयम में रखें । आपको अभी कहने का मौका आयेगा तब आप कहियेगा । तो मैं कह रहा हूं कि मिर्जापुर में ऐसा हुआ । दूसरी बात चौधरी साहब ने जो रायबरेली के बारे में जिक्र की वह कहां तक गलत है । क्या वह भी गलत है अफसरों को आदेश हुए कि गिनते जाओ जब तक कांग्रेस कैन्डीडेट को जिता न दो । तो यह सब हुआ है । साथ ही जहां स्पष्ट बेईमानी की गई वहां पर विरोधी दल की कोई बात नहीं सुनी गई और न कोई दुबारा गणना कराई गई । बस्ती जिले में मैंने स्वयं दुबारा काउंटिंग की मांग की, लेकिन नहीं की गई । हिम्मत सिंहजी के क्षेत्र में नरौरा में राज्यपाल और उनके आदमी दो दिन तक असरकारी दौरे पर जाकर पड़े रहे और प्रभावशाली लोग तथा मुसलमानों आदि से कहा कि कांग्रेस कैन्डीडेट्स को वोट देने चाहिये । यह सब उन लोगों ने किया है जिन पर चुनाव के ढंग से चलाने का भार है, जिन पर चुनाव के डाइरेक्शन और कांडक्ट करने का महान उत्तरदायित्व है । इटावा में एक बंडल में बंधे मत-पत्र क्यों मिले, कहां से आये ? उन्हें तो एक-एक करके छोड़ा जाता है ।

दूसरी बात है मुजफ्फरपुर, जिला सहारनपुर की । वहां के प्रिसाइडिंग अफसर ने पहले कहा कि 73 हजार वोट पड़े हैं और फिर बाद में कहा कि कुल 83 हजार वोट पड़े हैं । इसी प्रकार हाथरस में 72 हजार वोट पड़े और 78 हजार निकले । महमूदाबाद, जिला सीतापुर में भी यही सब हुआ । उतरौला, जिला गोडा के मत-पत्र महमूदाबाद, जिला सीतापुर में पाए गये । इस सबका क्या कारण है ? या तो आप यह स्वीकार कीजिये कि आपकी चुनाव मशीनरी अयोग्य और अक्षम्य थी और प्रशासन भ्रष्ट था या कहिये कि आपने बेईमानी की है । यही नहीं, महमूदाबाद में बिना प्रतिपक्ष के बताये दुबारा मतगणना हुई है । मैं अपनी शंका प्रकट करता हूं । मेरा यह अर्ज है, इस बात का सरकार जवाब दे ।

मुझे याद है गवर्नमेंट के कंट्रोल में तीन प्रिंटिंग प्रेस हैं । उनके जो अधिकारी हैं, वह तीनों प्रेस को कंट्रोल करते हैं, उनका नाम अशोक दर है । जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था, तब उनका मामला मेरे सामने नियुक्ति के लिये आया था । तीन-तीन बार उनका मामला मेरे सामने विचारार्थ आया था किन्तु मैंने उनकी नियुक्ति स्वीकार नहीं की । मेरे जाने के बाद कांग्रेस सरकार ने उनकी नियुक्ति कर दी । मेरी समझ से नियमों के विरुद्ध सरकार ने उनको इसलिये पद दिया, जिससे उनकी मदद से आने वाले चुनाव में लाभ उठाया जा सके । चनाव में जो गोलमाल किया गया है, उसके ही कारण से तरह तरह के मत-पत्र छपे हैं । कोई हल्के रंग के हैं, कोई गहरे रंग के, तो कोई मत-पत्र छोटे हैं तो कोई बड़े ।

अब एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, जिसे कहने में मुझे संकोच होता है कि वह काश्मीरी हैं और एक बड़े आदमी के कृपा-पात्र हैं। टेम्परिंग करने की स्थान-स्थान से शिकायतें आई हैं । डी0एम0 बदायूं, 4 वर्ष वहां रह चुके थे, इस पर उनका ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखकर फिर से उनको वहां पर रखा गया इस शर्त पर कि जितनी हो सके वह चनाव में उनकी मदद करें । पूरी तरह से चुनाव में आफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और उसके अतिरिक्त चुनाव में सी0 आई0 डी0, पुलिस से लेकर चौकीदार तक और साथ में

गुंडों का प्रयोग विरोधी दल के आदमियों के साथ किया गया । मैंने इसलिये इन सबकी शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरे कहने से बदल नहीं जाते ।

(इस समय 1 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती मोहसिना किदवई पीठासीन हुई)

दूसरे, कितना घिनौना तरीका अख्तियार किया गया । बस्ती जिला में दुफेड़िया केस हुआ । पुलिस को उन्होंने घेरे में करके रात भर बन्द रखा। जब पी0 ए0 सी0 पहुंची तब उसने छुड़ाया । एक प्रार्थना मैं पहले करना चाहता हूं कि कोई भाई यह न समझें कि किसी विशेष सम्प्रदाय के प्रति कहना चाहता हूं। केवल एक तथ्य रखना चाहता हूं । सेशन जज के यहां मुकदमा चल रहा था । मालवीय जी इंचार्ज बनाये गये हमको हराने के लिए उन्होंने सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग करके केस विदड्रा करवा दिया और मुसलमानों से कहा कि हमको वोट मिलना चाहिये ।

श्री काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

यह गलत है । इसके बाद मौका दें मैं सफाई करूंगा ।

श्री गौरीशंकर (जिला इटावा)—

इटावा का जिक्र किया है माननीय नेता जनसंघ ने इसलिये मैं चाहूंगा ....।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग तशरीफ रखें । जब आपकी बारी आयेगी तब जवाब दे दीजियेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरी बात अगर असत्य निकले तो मैं खड़े होकर माफी मांग लूंगा ।

सर्वपल्ली, माल एवेन्यु, लखनऊ में मुसलिम कब्रिस्तान है जिसके कुछ भाग पर अब भी खेती हो रही है और महापालिका की स्वीकृति से उसके पास मकान बने हुए हैं । जब थोड़े दिन एलेक्शन के रह गये, तो हमारे गवर्नर महोदय ने, दो महीने पहले क्यों नहीं किया, चार महीने पहले क्यों नहीं किया, इलेक्शन बीत जाने के दस रोज बाद क्यों नहीं किया, सारे नियमों के विपरीत जमीन का ट्रांस्फर कर दिया । मैं इस पद के दुरुपयोग की एक सबके बड़ी मिसाल रखना चाहता हूं । 1954 और 1962 में इसको इनकार कर दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा । आपकी आज्ञा से एक चीज पढ़ दूं, जो अंग्रेजी का पत्र है—

'With reference to your letter no. I-36/II/114, dated June 9, 1962, on the subject noted above, I am directed to say that the matter has been considered again. Government are informed that at present there is no necessity for the extension of the grave yard.'

फिर हमारे मुसलमान भाइयों ने एक पैम्फलेट निकाला—"हमारे मुख्य मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा की खास तवज्जा और डा0 चरन सिंह (एम0 एल0 ए0) तथा श्री कृष्ण कांत मिश्रा, महामंत्री शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ, श्री आर0पी0 सहगल, श्री मास्टर मोहम्मद युसुफ कुरेशी, कोषाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी कैंट की कोशिशों से कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहम्मद इल्यास एडवोकेट के अधिकार में आ गयी है। जिसके हम तमाम मुसलमान कैंट, लखनऊ उपर्युक्त सज्जनों के हृदय से आभारी हैं।" दीजिये, आप कब्रिस्तान के लिये मुझे कोई एतराज नहीं है । ऐतराज मेरा वही है कि आपने ऐसे मौके पर दिया। आपने कम्बल बांटे गरमी के महीने में, आपने कपड़ा बांटा जाड़ों में गर्मी का कहां गुडफेथ इनफर होता है ? खून से हाथ रंगने के बाद गंदे हाथों से यह बात की गयी ।

महोदया, इस भीषण महंगाई के समय में कितना पैसा किस तरह से ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स से लिया है, हमारे हरिद्वार के मित्र से पूछा जाय ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

श्री चिमन भाई पटेल ने 50 लाख रुपया दिया मूंगफली के बड़े-बड़े डीलर्स से । पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने रुपया इकट्ठा किया । मैं यह सब इसलिये कह रहा हूं कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को गिरवी रख दिया है। इसकी एक मिसाल और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और इस समय जो स्थिति है वह भी कृपा कर आप सुन लें । मैं यह कहना चाहता था कि हरदुआगंज में एक पावर स्टेशन है । कुछ दिन पहले उसका एक इंजन पानी में डूब गया था और दो धमाके भी हुए, लेकिन सरकार ने इसकी कोई जांच नहीं की । उसकी मशीनों को कंडेम कर दिया गया और एक करोड़ रुपया की मशीनें कंडेम करके मोदी कन्सर्न को उन्होंने मार्केट रेट से कम दाम पर बेंच डाला और चुनाव से पहले बेंच डाला । समझौता यह हुआ था कि यह मशीनें उठकर चली जायेंगी। यह मेरी सूचना है, लेकिन वह मशीनें नहीं गई और वहीं पावरस्टेशन पर फिर से ठीक करके मोदी कन्सर्न ने खड़ा कर दिया । एक एग्रीमेंट और हुआ कि जितनी बिजली यह यहां पैदा करेंगे वह सरकार को देंगे और मोदीनगर में जितनी बिजली पैदा होगी वह मोदी कन्सर्न को दी जायगी । चाहे वह 20 मैगावाट बिजली पैदा करें लेकिन यह 10 मैगावाट ही सरकार को देंगे और सरकार कुछ नहीं कर पायेगी। सरकार ने यह माना है कि 20 परसेंट घाटा है । इस तरह की और भी कई मिसालें हैं । अगली बात यह है कि सारे संचार साधन होते हुए भी, सारी सरकारी मशीनरी होते हुए भी, सारे पावर्स होते हुए भी, बड़े अभिमान के साथ अभी ठाकुर साहब ने कहा कि हम लोग जीत कर आये । मान्यवर, यह जो चुनाव प्रणाली है उसके अनुसार केवल 215 लाये और मजा यह देखिये कि केवल 32 प्रतिशत वोट मिले और 68 प्रतिशत विरोधी पक्ष को मिले । मान्यवर, इस पर भी यह दावा करते हैं कि हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो ऐसे दाम बढ़ायेंगे और महंगाई बढ़ायेंगे । आज 32 प्रतिशत वोट पाने वाली सरकार हमारी छाती पर कोदो दल रही है । अगर हम 68 प्रतिशत वाले असंतोष प्रकट करते हैं तो इसको कोई रोक नहीं सकता।

मान्यवर, हमें पहले तो चुनाव प्रणाली के विषय में विचार करना चाहिये कि कौन-सा तरीका अपनाया जाय कि 32 प्रतिशत वाले 68 प्रतिशत वालों की छाती पर कोदो न दलें। दूसरा यह कि इलेक्शन कमिश्नर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिये, तीसरा यह कि इलेक्शन मशीनरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिये अगर समाज का विश्वास जीतना चाहते हैं । चौथी बात जो चौधरी साहब ने कही थी मैं भी कहना चाहता हूं । आज लोगों के मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो गयी है । अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो मेरी नेक सलाह है, कोई वायलेंस नहीं, आज जुडिशियल इंक्वायरी करा दें । दीक्षित जी का भाषण था कि जनसंघ और आर0एस0एस0 ने गुजरात और बिहार में सब कुछ कराया है। इनके सामने सी0आई0ए0, जनसंघ और आर0एस0एस0 ही आते हैं । विनाश काले विपरीत बुद्धि । परिस्थितियों को यह नहीं देखते जिन्होंने यह स्थिति ला दी है । कोई भी शांत बैठा हो वह उबल पड़ता है ।

महंगाई के बारे में कहना चाहता हूं । आप इसे रोक नहीं सकते । राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया । कैसे करते? जब बड़ों की थैली से इनकी थैली गरम होती है तो यह कैसे करते । गाव में कराहते हुए मजदूरों के लिये कोई संकेत इसमें नहीं है । पिछली बार सूखे के कारण, बिजली के अभाव के कारण, ट्यूबवैल बन्द होने के कारण, विपरीत हवा बहने के कारण फसल नष्ट हो गयी । लोगों के पास खाने को नहीं रह गया । उन लोगों को बिना सूद के कर्जा देना चाहिये जिससे व अपने खेत संभाल सकें । आप स्वच्छ और कुशल प्रशासन की बात करते हैं, लेकिन वह कैसे हो सकता है ? जो मालवीय जी हमारे पीछे पड़े थे, उनकी कहानी किसी से छिपी नहीं है। वह यहां उपस्थित नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कहना चाहता । मैं हाई कोर्ट के रिकार्ड अगर ओथ मीशन की बात कहना चाहता हूं । उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की इंक्वारी हुई । पं0 जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि

मुकदमा चलने के बजाय इस्तीफा दे दो । उन्होंने इस्तीफा दे दिया । लेकिन वह फिर मंत्री के पद पर ले आये गये । अगर एक चौकीदार बरखास्त कर दिया जाता है तो वह नौकरी में नहीं आ सकता । लेकिन एक मंत्री आ सकता है । किस तरह आपका स्वच्छ और कुशल प्रशासन हो सकता है । राज्यपाल महोदय ने भ्रष्टाचार मिटाने की तरफ कोई संकेत नहीं किया है। अतः कोई अधिकार संपन्न आयोग आप गठित करें जो सारी बातों की जांच करे । इससे पब्लिक को राहत मिलेगी।

श्री काजी जलील अब्बासी—

हमारे जिले के बारे में जनसंघ के नेता बाबू माधव प्रसाद त्रिपाठी ने यह सवाल पेश किया कि चुनाव के तीन दिन पहले मुकदमा विदड्रा कर लिया । मुझे यह अर्ज करनी है कि सन् 67 में जब इलेक्शन हुआ था तब एक बलवा करवा दिया गया था जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे । एक साल पहले यह दरख्वास्त पड़ी थी कि मुकदमें में कोई जान नहीं है इसलिये इसको विदड्रा कर लिया जाय दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कब ऐसा किया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन इसका कोई तजकिरा इलेक्शन में नहीं आया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मामला संगीन था और उसी समय विदड्रा किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया?

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

अधिष्ठाता महोदया, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जिस रूप में होना चाहिये उससे काफी हटकर हम लोग इस विधान सभा में बोल रहे हैं । मुझे इस संबंध में कुछ दुख है और विशेषतः चौधरी साहब से है । मैं चौधरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूं । मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है । इस कारण उनके प्रति मेरे दिल में असीम श्रद्धा और निष्ठा है । लेकिन जब उन जैसा व्यक्ति यह कहता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, महंगाई बहुत बढ़ गई, तो दुख होता है । महंगाई तो बढ़ गई उस पर मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि वह है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए और इस सरकार को किसी न किसी तरह से उखाड़ फेंकना है, यह वह कहते हैं तो मुझे दुख होता है क्योंकि उनसे यह आशा नहीं की जा सकती थी । चौधरी साहब ने हमेशा इस प्रदेश को जब भी उनको मौका मिला ईमानदार प्रशासन देने की कोशिश की है जिससे हर व्यक्ति अपना रोजमर्रा का काम कर सके । लेकिन आज जिन परिस्थितियों में चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि यहां भी गुजरात और बिहार वाली स्थिति होगी, वह चौधरी साहब ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही जाय जिसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा प्रभाव हो बड़ा महत्व रखती है। किसी और माननीय सदस्य ने जिसका इतना असर न हो, कहा होता तो कोई बात नहीं थी लेकिन उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये एक ऐसा व्यक्ति जिसका इतना ऊंचा व्यक्तित्व हो, खूनी क्रांति की बात कहे तो मुनासिब नहीं लगता है ।

अब मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । मैंने एक प्रश्न पूछा था कि वह उत्तर प्रदेश में दो-तीन जगह मेरठ, इलाहाबाद और रायबरेली में ही क्यो जांच कराना चाहते हैं । इलाहाबाद में आपने श्रीमती राजेंद्र कुमारी बाजपेयी का क्षेत्र चुना है । मेरठ में एक आध कांस्टीटुएंसी चुनी है और रायबरेली में श्रीमती सुनीता चौहान का क्षेत्र चुना है । अगर प्रेस रिपोर्ट सही है तो सुनीता जी के यहां जब काउंटिंग हो रही थी तो उन्होंने री-काउंटिंग की दरख्वास्त दी थी । काउंटिंग में वह जीतीं लेकिन री-काउंटिंग की दरख्वास्त दे चुकी थीं इसलिये वह वचनबद्ध थीं और री-काउंटिंग हुई और वह जीती । फिर रि-काउंटिंग की कोशिश आपकी ओर से की गई और हुई। तो उसमें किसी वैधानिक परम्परा को तोड़ा नहीं गया जिससे चौधरी साहब को शक हो कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए ।

[श्री राजमंगल पांडेय]

कुछ बैलट पेपर्स की बात कही गयी कि 25,30 बैलट पेपर्स एक साथ मिले । एक बार जब बैलट पेपर्स मोड़ कर डाले जाते हैं तो यह ठीक नहीं रहता है कि किस ऐंगिल पर वह अन्दर पड़ेंगे । जब बैलट बक्से के अन्दर चला जाता है तो मुमकिन है कि 25,30 एक जगह इकट्ठा हो जायं । एक प्रिजम्पशन पर यह कह देना कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ यह चौधरी साहब जैसे स्टेचर के आदमी के लिये कहना शोभा की बात नहीं है। जहां-जहां हिन्दू मुसलिम रायट्स हुए, आप देखेंगे कि बनारस, फिरोजाबाद, आजमगढ़ में बी०के०डी० तथा जनसंघ को ज्यादा वोट मिले और उनको ज्यादा सीट्स मिलीं । इसका प्रिजम्पशन हम निकाल सकते हैं–जिसको निकालने का मैं पक्षपाती नहीं हूं कि वोटों के लिये यह रायट्स कराये गये । जिस तरह से चौधरी साहब यह प्रिजम्पशन निकाल रहे हैं वैसे ही दूसरे को अधिकार है यह प्रिजम्पशन निकालने का लेकिन ऐसा प्रिजम्पशन निकालना अनुचित होगा । चौधरी साहब के स्टेचर को देख कर ऐसा प्रिजम्पशन निकालना हमारे लिये शोभा की बात नहीं होगी । चुनाव के 20, 25 दिन पहले हमारी पार्टी का एसेसमेंट यह था कि 250 सीट्स मिल जायेंगी और किसी-किसी का एसेसमेंट 275 तथा 300 सीट्स के बीच का था । हां, यह बात सही है कि चुनाव के शुरू में आप लोगों को जनता के बीच अपनी बात कहने का ज्यादा मौका था क्योंकि हमारे यहां टिकटों का देर में आवंटन होता है और देर में चुनाव प्रचार शुरू होता है। अपनी-अपनी कांस्टीट्युएंसीज में । विरोधी पक्ष को टिकट बांटने में कोई खास दिक्कत नहीं होती है । उनके कार्यकर्ता मैदान में महीनों पहले काम करना शुरू कर देते हैं और उसका जनता पर असर होता है कि साहब महंगाई बढ़ी, डीजल, पेट्रोल तथा सीमेंट की बड़ी कमी है जब विरोधी पक्ष ने यह चुनाव अभियान शुरू किया तो हवा काफी खिलाफ थी और उस हवा का अन्दाज करके मुमकिन है चौधरी साहब ने सोचा हो कि कांग्रेस के खिलाफ इतनी हवा है और अन्त तक इस हवा को खत्म करने में कांग्रेस पार्टी सक्षम नहीं हो सकेगी । इसलिये उन्होंने यह विचार व्यक्त किये कि उनकी पार्टी को 250 सीट्स मिल जायंगी और इसी तरह से जनसंघ के लोगों ने भी अन्दाज किया होगा । यह भी सही है कि हमारी पार्टी के नेताओं ने जहां-जहां शुरू-शुरू में मीटिंग्स कीं पब्लिक के रिसेंटमेंट को देखकर उनकी मीटिंग्स कामयाब नहीं हो सकीं, लेकिन बाद में जब हमारी मीटिंग्स हुई, नेताओं ने जनता के बीच गांव-गांव जाकर प्रचार किया कि यह महंगाई केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, केवल भारत वर्ष में ही नहीं है बल्कि दुनिया भर में है । खाद की समस्या केवल हमारे यहां नहीं है बल्कि दुनिया के तीन चौथाई देशों में है । डीजेल, पेट्रोल व सीमेंट की समस्या हमारे यहां ही नहीं है बल्कि दुनिया में और जगहों पर भी है और इसलिये सारी कमियों व महंगाई का कारण इंदिरा गांधी अथवा कांग्रेस सरकार नहीं है । इस बात को सुनकर हवा का रुख बदलने लगा और उसका परिणाम यह हुआ आप देखेंगे कि इंदिरा जी का जो पहला भाषण हुआ था उसमें इतनी जनता उपस्थित नहीं थी जिसको हम अच्छा कह सकें, लेकिन चुनाव के तीन, चार दिन पहले जो भाषण हुआ आज भी लखनऊ वालों का कहना है कि माननीय प्रधान मंत्री के भाषण में इतनी अच्छी उपस्थित पहले कभी नहीं थी जितनी अब हुई थी । लिहाजा लखनऊ की 7,8 सीट्स के लिये हमने टेम्पर किया, अधिकारियों ने बेईमानी की यह कहना गलत है । बल्कि जनता के हवा के रुख को पहचाना और उसने समझ लिया कि जो नक्शा पेश किया गया था उसके सामने वह केवल भारतवर्ष का अथवा उत्तर प्रदेश का नहीं है बल्कि सारी दुनिया का है। यह प्रकृति की देन है, कांग्रेस की देन नहीं है इस हवा को जनता ने समझा ।

निष्पक्ष चुनाव का एक सबूत यह भी है, बस्ती में जहां माधव बाबू कहते हैं काफी सीटें उन्होंने खो दीं वहां बाराबंकी में हमने काफी सीटें खो दी। वहां आप देखगे कि जहां मुझे जौनपुर आदि में सीटें मिलीं वहां हमने आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस में खो दीं । इसका क्या कारण था ? (व्यवधान) मैंने आपके नेता को टोका नहीं, अब जब मैं बोल रहा हूं तो आप टोक रहे हैं। हम आपके नेता की इज्जत करते हैं।

उनकी बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी कोई टोका-टोकी नहीं की। माननीया, मैं कह रहा था कि जहां पर बनारस में सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एक पावरफुल मंत्री का असर हो वहां हमें केवल दो सीटें मिलीं। मैं माननीय चौधरी साहब और माधव बाबू से पूछना चाहता हूं कि क्या हमने कोई जगह चुनी थीं कि वहां हमें कामयाबी मिलनी है और वहां नाकामयाबी मिलनी है? क्या हमारा पहले से कोई ऐसा विचार था? क्या हमने चुनाव के एक दिन पहले यानी 23 तारीख को कोई कांस्परेसी कर ली थी? जहां पर कि एक-एक कांस्टीटुएंसी में एक-एक हजार पुलिस फोर्स लगी हो, सैकड़ों अधिकारी लगे हों, वहां क्या कुछ किया जा सकता है? यह कहना कि आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसी कांस्परेसी नहीं देखी गई, उचित नहीं है।

अगर चौधरी साहब का बयान अखबारों पर ही आधारित है तो उसी को आधार मान कर हम भी यह कह सकते हैं कि जहां-जहां वे लड़े और जहां-जहां उनके लोग ताकतवर थे वहां-वहां उन्होंने बहुत से लोगों को वोट देने के लिये नहीं जाने दिया। मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन चौधरी साहब जैसे व्यक्ति अखबारों को बुनियाद मान कर चलें और आरोप लगायें तो यह ठीक बात नहीं है। आपके पक्ष में यदि कोई अखबार लिख दें तो वह बड़े महत्व की हो जाती है और हमारे पक्ष में यदि कोई अखबार में बयान निकले तो उसका कोई तसकिरा न हो, यह नहीं होना चाहिये। उनके भाषण का स्टैंडर्ड यह नहीं होना चाहिये था।

आप देखेंगे कि माननीय प्रधान मंत्री की नीतियों के बारे में किसी भी विरोधी दल के सदस्य ने कोई कमेन्ट नहीं किया। उनके सामने महंगाई ही रही। मैं जानना चाहता हूं, चौधरी साहब जैसे व्यक्ति जिनके पास कि दुनिया के आंकड़े रहते हैं, जानते हैं कि जापान जैसे देश में जिसकी तुलना अमेरिका जैसे देश से होती है वहां भी 22 से 27 प्रतिशत महंगाई क्यों बढ़ी? जापान ऐसा देश है जहां के औरत और बच्चे देश की उन्नति म लग हुये हैं वहां भी महंगाई का प्रतिशत बढ़ा है। अमेरिका और इंग्लैण्ड जैसे प्रगतिवादी देशों में भी शनिश्चर और सोमवार के बीच पेट्रोल के स्पेशल परमिट्स दिये जा रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जो केवल 6 प्रतिशत पेट्रोल बाहरी देशों से मंगाता था वहां की पेट्रोल की स्थिति आज यह है।

चौधरी चरण सिंह—

दूसरे देशों में बेशक महंगाई बढ़ी है लेकिन वहां की नेशनल पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है। यदि महंगाई बढ़ने वाल देशों की संख्या 122 ह तो आपका नम्बर 122वां है। आपकी नेशनल इनकम घटी है और वहां की बढ़ी है। किसी देश में कोई आदमी भूखा नहीं मर रहा है।

श्री राज मंगल पांडेय—

हिन्दुस्तान की जनसंख्या सन् 47 में जब आजादी हुई थी, मेरा ख्याल है 36 करोड़ थी जिसमें 6 करोड़ पाकिस्तान के थे और 30–31 करोड़ हिन्दुस्तान के थे। आज सन् 74 है और 60 करोड़ की हमारी आबादी हो गई है। इन 27 वर्षों में किसी भी देश की इतनी आबादी नहीं बढ़ी है जितनी कि हमारी बढ़ी है। जबकि हमारा देश मुख्यतया प्रकृति पर ही विश्वास करता है। बिजली हम प्रकृति ही देती है। बिजली हमारी तमाम इंडीस्ट्रीज के लिये जरूरी है, लेकिन आज हमें बिजली नहीं मिलती। आज जिस रेशियो से पापुलेशन बढ़ी है, उस रशियो स हमारी इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ी है। इसकी वजह से जो गैप आया है उसके लिये हम और आप जिम्मेदार हैं।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

दो परसेंट भी प्रोडक्शन और सेविंग नहीं हुई तो फिर आप कैसे कहते हैं कि गरीबी घटी है ?

श्री राममंगल पांडेय—

बात कुछ हद तक सही है, लेकिन सन् 47 से लेकर 71 तक हम दोनों साथ-साथ रहे हैं। बीच में भले ही हमारा साथ कुछ छूटा हो लेकिन बदकिस्मती से मैं तो इधर 4, साढ़े 4 महीने से ही मंत्री हूं और पहले भी चौधरी साहब के साथ 4, साढ़े 4 महीना ही रहा हूंगा, और चौधरी साहब 24 वर्ष में 19 वर्ष तो मंत्री अवश्य ही रहे होंगे। मेरा खयाल है कि श्री सी० बी० गुप्ता भी इतने वर्षों तक मंत्री न रहे होंगे और आज सबसे अधिक समय तक मंत्री रहने वाले चौधरी साहब ही हैं। तो भले ही चाहें इसमें मेरा दोष हो, लेकिन साथ-साथ चौधरी साहब का दोष तीन-चौथाई अवश्य है और इससे वे बच नहीं सकते हैं। लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं चौधरी साहब के दोष निकालूं। चौधरी साहब आज भी गोबर की खाद में विश्वास करते हैं, वे माडल होल्डिंग में विश्वास नहीं करते हैं, वे हैवी इंडस्ट्रीज में विश्वास नहीं करते। यह सही है कि वे गांधियन फिलासफी में विश्वास करते हैं कि काटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिये, इंडिजेनस इंडस्ट्रीज होनी चाहिये, छोटे-छोटे उद्योग धंधे होने चाहिये लेकिन आज की स्थिति को देखते हुये हैवी इंडस्ट्रीज का भी होना देश के लिये बहुत जरूरी है।

आज आप दुनिया के सारे इतिहास को देखें, चाहे रूस को देखें, चाहे चीन को देखें, वहां हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, हैवी बुलडोजर इंडस्ट्रीज हैं जिनके जरिये सड़कें आसानी से बनायी जा सकती है और इसीलिये आज वे देश हमसे ज्यादा एडवांस हैं। लेकिन हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं इसीलिये हमने फौज व पुलिस पर अधिक धन नहीं लगाया, मिलिट्री ऐडवांसमेंट पर ज्यादा धन नहीं लगाया। हम तो यही चाहते हैं कि पहले लोगों के खाने-पीने की समुचित व्यवस्था हो, उनके रहने के लिये घरों की व्यवस्था हो। लेकिन इसके लिये हम किसी शर्त के साथ बाहर के देशों से धन लेने को तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहां इस तरह की सड़कें बन जायं कि जिससे किसान अपने सरप्लस सामान को आसानी से बाजार तक ले जा सकें।

हमने सन् 1962, 65 और 71 में लड़ाइयां लड़ीं, जिसका बोझ हमारे ऊपर पड़ा। 90-95 लाख बंगला देश के शरणार्थियों का बोझ हमारे ऊपर पड़ा, फिर भी किसी बाहरी देश के आगे हमारी सरकार ने हाथ नहीं पसारा। मैं तो कहूंगा कि चौधरी साहब जैसे निष्पक्ष व्यक्ति को इसके लिये माननीया इन्दिरा जी को बधाई देनी चाहिये थी। अमेरिका के पास या और किसी देश के पास हम गल्ले के लिये, फर्टिलाइजर के लिये गये लेकिन शर्त लगा कर हमने कोई चीज नहीं ली। अपने आत्म सम्मान को बेचकर किसी चीज को लेना हमने उचित नहीं समझा। अगर चौधरी साहब हमारी राय मानें तो उनको इसके लिये बधाई देनी चाहिये थी, लेकिन मालूम होता है कि किसी और प्रेरणा से प्रेरित होकर ही विधान सभा के अन्दर हमारे ऊपर ये सारे लांछन लगाये जा रहे हैं। कोई भी कठिनाई हो, खाद्य समस्या हो या कोई भी हो उसके लिये सबको आपस में मिलकर उसका समाधान निकालना चाहिये। खाद्य समस्या पर विचार करने के लिये पार्लियामेंट के विरोधी सदस्यों को प्रधान मंत्री ने तीन बार बुलाया, लेकिन वे बिना कोई कमिटमेंट के ही वहां से चले गये जैसे मालूम होता है कि इसके लिये उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जब देश के सामने कोई नेशनल प्रोब्लम हो, चाहे वह खाद्य की समस्या हो या कोई और समस्या हो, वह किसी एक पार्टी की समस्या नहीं होती। सभी पार्टियों को मिलकर उस समस्या के समाधान निकालने की बात सोचनी चाहिये। तीन-तीन दफा मीटिंगें बुलाई गई लेकिन एक तो विरोधी दल के लोग आये

नहीं और जो आये भी तो वह बिना सुझाव दिये हुये मीटिंगों से उठकर चले गये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस देश को बनाने के लिये, खाद्य समस्या को हल करने के लिये या जो अभाव की चीजें हैं, समाज को आवश्यक वस्तुओं की कमी है और उसको हम जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि हम उनसे सुझाव मांगते हैं तो क्या आप को सुझाव नहीं देने चाहिये और क्या हम और आप साथ-साथ मिल कर जनता को राहत नहीं दे सकते हैं? अगर हम आप से सहयोग की उम्मीद करते हैं तो क्या गलती करते हैं? हमारे माननीय चौधरी साहब ने कटाक्ष तो किया लेकिन कभी सुझाव नहीं दिये।

चौधरी चरण सिंह--

आप जो मुझ पर चार्ज लगा रहे हैं कि मैंने कभी आपको सुझाव नहीं दिये, तो हमसे सुझाव कब मांगे गये। मैं असेम्बली में कई बार बता चुका हूं। एक किताब 1919 में लिखी गई है जो 500 पृष्ठ की है जिससे देश की गरीबी मिट सकती है। उसको मैं सबके पास भेज चुका हूं। लेकिन आप लोग कोई गौर नहीं करते हैं और दूसरे देशों की नकल करना और गांधी जी के रास्ते पर न चलने की वजह से यह सारी चीज हैं।

श्री राज मंगल पांडेय--

अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो माननीय चौधरी साहब ने भी एक किताब लिखी है और वह कई साल तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी इस प्रदेश में रहे हैं। मेरा खयाल है कि जो आउटडेटेड चीजें हो चुकी हैं उनमें परिवर्तन लाकर अगर वे कोई क्रान्तिकारी स्थिति पैदा करते तो उनके उपयुक्त बात थी। लेकिन वे तो केवल कटाक्ष करना ही जानते हैं। हमें उस समय तकलीफ होती है कि जब चौधरी साहब जैसा व्यक्ति इतने बड़े पद पर एक लम्बे अरसे तक रहे और जिसको यहां की पालिसीज को गाइड करने का अधिकार मिला हो और जिसको इस प्रदेश की जनता ने इतना ऊंचा स्थान दिया हो, अगर वह मुख्य मंत्री नहीं थे तो उससे कम हैसियत उनकी नहीं थी, तो जो पालिसीज वह बताते उनमें परिवर्तन करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसी दशा में भी अगर वह कुछ परिवर्तन नहीं ला सके तो मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा कि मेरे दल के ऊपर जो बड़ा दोष उससे वह भागीदार होने से अपने को वंचित नहीं रख सकते हैं।

कुछ और चीजें हैं जिनको मैं यहां कहना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब गवर्नर महोदय का अभिभाषण हुआ तो उससे पहले हमें केवल चार महीने काम करने का मौका मिला। लेकिन हमने इन चार महीनों में बहुत कुछ काम कर दिया। लेकिन हम यह भी महसूस करते हैं कि हमें अभी बहुत काम करना है। हमें यह सोचना है कि गरीबों को कैसे उठाया जाय, हरिजनों को कैसे ऊपर उठाया जाये और हमारे मुसलमान भाई तो चौधरी साहब की मेहरबानी से अलग हो गये। चौधरी साहब ने उनको अपने दामन में बांध लिया। यह उनका पहला ही मौका है कि उन्होंने मुसलमान भाइयों को अपने साथ लिया। उनकी यह राजनीति की चाल कामयाब रही। उनको वैसे उनसे कोई मुहब्बत नहीं है। हम 250 सीट्स की उम्मीद करते थे वहां हमको इन मुसलमान भाइयों के अलग हो जाने से 215 सीट्स ही मिल पायीं। इसलिये जो हमारा असेसमेंट था वह तो बिलकुल सही था। आज मुसलिम मजलिस का वह नारा नहीं है जो पहले था। उसका नारा देश में साम्प्रदायिकता फैलाने वाला है जिससे देश टुकड़े-टुकड़े में बंट जाये। चौधरी साहब बजाय इसके कि इनको सही रास्ते पर लाते उन्होंने उनके साथ गठबंधन कर लिया। यह तो राजनीतिक दांव पेंच हैं। जिस शक्ति को रखने के लिये हमने ऐसा किया उसी को पाने लिये आपने ऐसे तत्वों से काम किया जिनको मैं मुनासिब नहीं समझता। अगर वह हमसे अलग हो गये और उनकी वजह से हमको 215 सीट्स ही मिलीं तो हमें इससे कोई तकलीफ नहीं हुई।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

चौधरी साहब को तकलीफ इस बात से होती है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व की वजह से जो हमारी एकमात्र नेत्री हैं जिनकी वजह से हमारा देश तरक्की कर सकता है उनके दिमाग में यह चीज थी कि वह सरकार बना सकेंगे, लेकिन नहीं बना सके। इससे उनको तकलीफ हुई। अब वह जनता के सामने क्या कहें ? इसलिये वे कहते हैं कि चुनाव में बेईमानी हुई। जब आप जनमत को उखाड़ फेंकेंगे तो चौधरी साहब का और माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का स्वप्न पूरा नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को बड़े गौर से पढ़ा। धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में जो भाषण सरकारी पक्ष से दिये गये उनको भी सुना और जो दूसरे भाषण हुए उनको भी सुना। श्रीमन्, मुझे एक आशा थी कि चुनाव के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में कुछ ऐसी नीतियों का उल्लेख करेंगे और कुछ ऐसी बातों का संकेत करेंगे जिससे प्रदेश का चेहरा कुछ बदलेगा। चुनाव के पहले जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन होगा।

आप सब जानते हैं कि चुनाव के पहले हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत गम्भीर थी। हमारे प्रदेश की स्थिति यह थी कि जनता में घोर असंतोष व्याप्त था। एक तरफ तो आवश्यक वस्तुओं का अभाव था और दूसरी तरफ वे चीजें ब्लैक मार्केट में किसी भी मात्रा में मिलती थी। किसानों की हालत खराब थी। उन्हें बिजली और डीजल की परेशानी थी, खाद नहीं मिल पा रही थी और रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल रही थी। मजदूरों में असंतोष फैला हुआ था। क्योंकि बिजली के अभाव में मिल व कारखाने बंद हो रहे थे और मजदूरों की छटनी हो रही थी। विद्यार्थियों, अध्यापकों, राज्य कर्मचारियों तथा जनता के हर वर्ग में असंतोष था। इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। इसीलिए मैं सोचता था कि उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये ऐसी योजनायें बनायी जायेंगी, ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिससे गरीबों, मजदूरों और किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन मुझे निराशा हुई। मान्यवर, यह जन असंतोष किसके खिलाफ था ? जाहिर है कि यह असंतोष सरकार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था। अब प्रश्न यह उठता है कि जब इतना जन असंतोष था कांग्रेस के खिलाफ तो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को इतनी संख्या में चुन कर विधान सभा में क्यों भेज दिया और उसे बहुमत क्यों दिया ? इस चुनाव में मुख्य प्रश्न क्या था जिसका निर्णय होना था। प्रश्न यह नहीं था कि चुनाव के बाद इस प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय बहुगुणा जी होंगे या माननीय चौधरी चरण सिंह होंगे। बल्कि प्रश्न यह था कि सत्ता समाजवादी ताकतों के हाथ में जायेगी अथवा समाजवाद की विरोधी ताकतों के हाथ में जायेगी। प्रश्न यह था कि इस प्रदेश की बागडोर साम्राज्यवाद की विरोधी शक्तियों के हाथ में जायेगी या साम्राज्यवाद का समर्थन करने वाली शक्तियों के हाथ में जायेगी। प्रदेश की बागडोर साम्प्रदायवाद, सामन्तवाद और पूंजीवाद की विरोधी प्रगतिशील तथा जनवादी शक्तियों के हाथ में जायेगी अथवा साम्प्रदायवाद को बढ़ावा देने वाली प्रतिक्रियावादी और प्रगति विरोधी ताकतों के हाथ में जायेगी। मैं आज इस असेम्बली के माध्यम से प्रदेश की जनता का अभिनन्दन करता हूं और बधाई देता हूं। उसने बड़ी जागरूपता के साथ निर्णय लिया है और प्रतिक्रियावादी ताकतों को हराकर जनवादी और प्रगतिशील ताकतों को जिताकर भेजा है इसलिये बहुमत आपको मिला है। इसलिये बहुमत नहीं मिला है कि आपने बहुत बड़े कारनामे किये हैं। प्रदेश की जनता ने आपको आखिरी मौका दिया है और अगले पांच वर्ष कठिन कसौटी के दिन हैं। इसलिये मैं कांग्रेसी भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने अपने कारनामों को सुधारा नहीं और 1971

और 1974 के चुनाव में किये गये, वायदों को पूरा नहीं किया तो प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा जिसके लिये हवा बनाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश गुजरात बनेगा आप रोक नहीं सकते, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देगी। जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का ताल्लुक है उसने देश के पैमाने पर प्रतिक्रियावादी व प्रगति विरोधी ताकतों के खिलाफ एक निर्मम संघर्ष छेड़ा है। वह संघर्ष इस सदन के अन्दर व सदन के बाहर प्रदेश की तमाम जनवादी व प्रगतिशील ताकतों को एक जुट करके चलता रहेगा और इन काली ताकतों की सत्ता पर कब्जा करने की साजिश को नाकामयाब किया जायेगा।

एक सदस्य—

इनको उपनेता बना दिया जाय। (शोर).....

इनको मंत्री बना दीजिये। (शोर)

श्री भीखालाल—

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी इस सदन के अन्दर और सदन के बाहर सरकार से डटकर संघर्ष करेगी कि वह अपने वायदों को पूरा करे। अगर सरकार वायदों को पूरा नहीं करती तो जन असंतोष रोका नहीं जा सकता और इन ताकतों को मौका मिलेगा कि वह प्रदेश की जनता को गुमराह करें।

भाषण में जमीन के वितरण की बड़ी लम्बी चौड़ी बात कही गई है। इसी सदन में 1960 में जब सीलिंग ऐक्ट पास हुआ था उस समय माननीय माल मंत्री जी ने कहा था, उस समय मैं भी सदन का सदस्य था कि 14 लाख एकड़ जमीने इस कानून द्वारा प्राप्त होंगी जो भूमिहीनों को बांटी जायगी। लेकिन 14 साल के बाद यह कहा जा रहा है कि एक लाख 10 हजार एकड़ जमीन भूमिहीनों को बांटी गई। यह सीलिंग कानून और भूमि सुधारों का दिवालियापन है। शासन ने आदेश दिये हैं कि हरिजनों को पट्टे किये जायें। हरिजनों को अगर पट्टे किये गये हैं तो केवल कागजों में किये गये हैं। जमीनों पर उनको कब्जे नहीं मिले हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर हसनगंज क्षेत्र जिला उन्नाव के धौरा गांव की बात कहना चाहता हूं। धौरा गांव में दो साल पहले 40 हरिजनों के नाम पट्टे किये गये, परन्तु लेखपाल के कागजात में अभी तक नहीं चढ़ाये गये है। उन लोगों को जमीन पर कब्जा आज तक नहीं मिला। उन जमीनों की दाखिल खारिज भी अभी तक नहीं हुआ। यह 40 हरिजन तहसीलदार और हाकिम परगना की अदालतों का चक्कर लगाते थक गये हैं और रिश्वत की पूजा चढ़ाते-चढ़ाते लुट गये हैं। अगर इस प्रकार से कार्य होगा तो आप जनता के असंतोष को रोक नहीं सकते।

भाषणों में कहा गया है कि 9 लाख हरिजनों को आवास की जमीन 74 हजार गांव में आवास के लिये भूमि दी गई है, लेकिन यह सब कागजों पर ही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन जमीनों पर इस प्रतिशत से अधिक लोगों को कब्जा नहीं मिला होगा। सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो देख सके कि इस पर सही अमल हो। राज्य की नौकरशाही ऐसी सरकारी योजनाओं को पीछे ढकेलती है और आदेशों की अवहेलना करती है। परन्तु आज उन्हीं लोगों की तरक्की होती है जो इन योजनाओं को लागू कराने में अवहेलना करते हैं। सरकार की ओर से यह स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये कि जो व्यक्ति योजनाओं अथवा आदेशों को उनकी मंशा के अनुरूप सही तौर से लागू नहीं करेगा उसे दंड दिया जायेगा और उसकी पदोन्नति रोक दी जाएगी। सरकार के पास कोई मूल्यांकन होना चाहिये कि आपकी स्कीमें किस प्रकार से लागू होती हैं और किस प्रकार से उनके आदेशों का पालन किया जा रहा है। सरकार आदेश देने के बाद संतुष्ट हो जाती है और गांव के लेखपाल जो लिख

[श्री भीखा लाल]
कर भेज देते हैं कि इतनी-इतनी आवास की जगहें हरिजनों को दे दी गयीं, वह ही मान लिया जाता है। सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं है जो यह देख सकें कि उसके अधिकारीगण उनकी घोषणाओं को अमल में लाते हैं या नहीं।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में माननीय कमलापति त्रिपाठी तो इतना भी कहते थे कि हम बचनबद्ध हैं लेकिन हमारे माननीय बहुगुणा जी व माननीय नारायणदत्त तिवारी जी तो यह भी नहीं कहते कि वे बचनबद्ध हैं सरकार चीनी मिल मालिकों के सामने कब तक घुटने टेकती रहेगी। उसे मिलों के राष्ट्रीयकरण की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये। आज चीनी के वितरण की व्यवस्था में कितनी गड़बड़ी है। कुछ शुगर सरकार ले लेती है जिसे वह सचिवालय और अन्य राशन की दुकानों में वितरित कराती है और बाकी मिल मालिकों के हवाले कर देती है। जो है वह ब्लेकमार्केट में बिकती है। ये दो नीतियां क्यों चल रही हैं। हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा शुगर उत्पादित होती है। क्या प्रदेश की सरकार का यह फर्ज नहीं है कि वह केन्द्रीय सरकार से कहे कि दुहरी नीति नहीं होनी चाहिये। एक ओर शकर दो या सवा दो रुपये प्रति किलो बिके और दूसरी ओर यह 4 1/2 रुपये प्रति किलो बिके। इस प्रकार से मिल मालिकों को जनता को लूटने की खुली छूट दे रखी है। यह इसलिये किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन के लिये इन्हीं से रुपया लिया जाता है।

आज हरिजन समुदाय ही ऐसा है जो बैलेंसिंग वोट रखता है, सरकार को सत्ता में लाता है तो बिना उसकी दुहाई दिए इस सरकार का कल्याण नहीं होता है। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आज उसने इन हरिजनों की सुरक्षा के लिये कौन से कदम उठाये हैं। कल ही के अखबार में एक सूचना छपी है कि बांदा में 18 तारीख को एक हरिजन युवक को कुछ हरे चने तोड़ने पर गोली से मार दिया गया। बांदा में ही हरिजनों के खेत काटे जा रहे हैं, उन्हें उनके घरों से निकाला जा रहा है। चूंकि चुनाव में वहां की गरीब जनता ने वहां के सामन्तों को वोट नहीं दिया इसलिये आज उनसे बदले की भावना से उनको आतंकित किया जा रहा है। यही वजह है कि वे सुरक्षित स्थानों पर भागने का प्रयास कर रहे हैं।

केरल में सरकार ने एक विधेयक पास किया है हरिजनों की सुरक्षा के लिये और देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या आप उस बिल की एक प्रतिलिपि मंगाकर उसी के अनुरूप यहां पर कोई बिल पास नहीं करवा सकते हैं। जिस स्थान पर हरिजनों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हों तो क्या सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि कोई ऐसा कानून बनाकर उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करे? इस प्रकार का कोई संकेत माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है।

आज किसानों की बड़ी दुर्दशा है। तमाम आपत्तियां उन पर पिछले वर्षों से पड़ीं, कहीं पर सूखा पड़ा, कहीं पर बाढ़ आई। सिंचाई के पानी के अभाव में उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। सरकार ने बड़ी उदारता से प्रभावित इलाकों में लगान मुल्तवी कर दिया। यह कई वर्षों का मुल्तवी लगान किसानों के जुम्मे इकट्ठा हो गया। आज हर माननीय सदस्य को, चाहे वह इधर बैठा हो या उधर बैठा हो, मालूम है कि इस वर्ष किसानों से पहले वर्षों का मुल्तवी लगान इकट्ठा वसूल किया जा रहा है विशेषकर उस स्थिति में जब कि हमारे प्रदेश में इस वर्ष रबी की फसल वर्षा के न होने के कारण चौपट हो गयी है। इस बार पाले से भी रबी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। सरकार पहले सूखा के सम्बन्ध में अगर कोई सहायता करेगी तो फिर से कह देगी कि लगान को मुल्तवी कर दिया जायगा लेकिन मुल्तवी करना भी एक बड़ा अभिशाप है। मेरी सरकार से मांग है कि पाले से हुयी क्षति के कारण किसानों को राहत पहुंचाने के लिये उसके लगान मे छूट होनी चाहिये और जो पिछली बकाया है उसकी वसूली आसान किस्तों में होनी चाहिये, एक साथ उसे वसूल नहीं किया जाना चाहिये।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि कुदरती मुसीबतों में मुतस्सिर 26 जिलों में छोटे किसानों को एक लाख क्विन्टल से अधिक गेहूं का बीज मुफ्त बांटा गया है। मैं उसके लिये अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन माननीय नारायणदत्त तिवारी जी जरा इस बात की इन्क्वायरी करा लें कि वह बीज कब वितरित किया गया है। जनवरी के महीने में जब मैं इलेक्शन के सिलसिले में दौरे पर गया था तब लेखपाल किसानों को पर्चियां दे रहे थे। उनके बोने के लिये बीज आया है। जनवरी के महीने में कहीं गेहूं नहीं बोया जाता है। जो लेट वैराइटी है वह भी नवम्बर के आखीर में या दिसम्बर के शुरू में बोई जाती है लेकिन जनवरी में नहीं। फिर भी बीज के नाम पर चुनाव के दौरान गेहूं बांटा गया। इस अव्यवस्था को रोकने के लिये सरकार के पास कोई तरीका है? अगर इस अव्यवस्था को नहीं रोका गया तो क्या स्थिति होगी, इसको स्वयं आप समझें।

सरकार ने एक अन्य उदारता दिखाई है। इसमें जिक्र है एडवोकेट्स के जनरल इंश्योरेंस का। बड़ी अच्छी चीज है उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध हो जाये, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा आज जो पीड़ित वर्ग है हमारा किसान उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ओला गिरता है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है तो फसल मारी जाती है। गन्ने में अगर रोग लग जाता है तो गन्ना मारा जाता है। इस वर्ष पाला पड़ गया जिससे रबी की फसल मारी गई। क्या सरकार ने फसलों की इंश्योरेंस की बात भी सोची है। किसानों को नुकसान की पूर्ति के लिये कोई रास्ता निकाला है। इसलिये फसल के बीमे का प्रश्न सरकार के सामने आना चाहिये। क्यों नहीं सरकार ने सोचा? अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो इसी तरह से किसान परेशान होता रहेगा और आप जो आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं वह नहीं होगी और जिस समाजवाद का आप नारा लगाते हैं वह हवा में उड़ता रहेगा। इसलिये कुछ समाजवादी कदम आना चाहिये तभी समाजवादी विरोधी ताकतों से आप लड़ सकते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, आज जो जनता में असंतोष है जिसकी तरफ मैंने संकेत किया कि सरकार अपने वायदों को पूरा करे, किसी भी देश में फासिज्म तब आता है जब जनता में असंतोष फैलता है और उसका मनोबल गिरता है। आज अपने देश में भी फासिस्ट ताकतें सर उठा रही हैं और संसदीय, असंसदीय तरीकों से येन-केन-प्रकारेण सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। फासिज्म को कब बल मिलता है? जब जन-असंतोष बढ़ता है। अगर सरकार जन-असंतोष रोकने में नाकामयाब रही तो इन फासिस्ट ताकतों को रोका नहीं जा सकता। इसलिये इस जन असंतोष को रोकने के लिये सरकार प्रभावकारी कदम उठाये और अपने वायदों को पूरा करे।

आज वितरण व्यवस्था किस तरह से चल रही है? देहातों में न खाद मिलती है, न मिट्टी का तेल, न शक्कर, न कपड़ा। आज जितनी सरकारी दुकान खुली हुई हैं, खाद या शक्कर की उन में बेहद चोर बाजारी होती है। अभी तक तो लाइसेंसदार ब्लैक करते थे अब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ब्लैक करता है। यह जो खाद की समस्या है सभी जानते होंगे कि कृषि भंडार हो या कोआपरेटिव सीड स्टोर सब जगह सुपरवाइजर से लेकर बी० डी० ओ० और इन्सपेक्टर तक सब का हिस्सा बंधा हुआ है और सभी ने ब्लैक किया है। मैं अपने जिले की मिसाल पेश करता हूं कि जिला सहकारी बैंक में तीन बोरी खाद का परमिट मिलता है कि फलां सीड स्टोर से ले लो। यह खाद कर्जे के तौर पर मिलती है। स्टोर का सुपरवाइजर वहां का कहता है कि हमारे पास आदेश आ गये हैं कि केवल दो बोरी दे दी जाय। तुम दो बोरी ले लो, एक बोरी का पैसा ले लो। एक बोरी बचेगी, उसे वह 52 रुपये के बजाये 80 रुपये की बेचेगा और इस चोर बाजारी के पैसे से नीचे से ऊपर तक सब का हिस्सा लगेगा। इस परिपाटी को मजबूती से रोकने का प्रयास अगर नहीं किया गया तो जन-असंतोष बढ़ेगा।

[श्री भीखा लाल]

बुनकरों का सवाल है। बहुत दिनों से इसको हल करने के लिये सरकार कोशिश क रही है। इसमें केवल प्रगति यह दिखलाई है कि एक कारपोरेशन तथा हैंडलूम बोर्ड बना दिया गया। जब सूत की मिल खुलेगी तो यह समस्या हल हो जायगी यह कहा जा रहा है। पता नहीं, कब खुलेगी। जब तक नहीं खुलती है उतने दिन तक बुनकर क्या करेगा? सूत मिलता नहीं है। जो आता है वह ब्लैक में चला जाता है और ज्यादा कीमत पर मिलता है। दूसरे प्रदेशों को चला जाता है। गरीबों को नहीं मिलता। आज 40 लाख बुनकर भुखमरी के कगार पर खड़ा है। असंतोष व्याप्त है, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जह नहीं है। 35 फीसदी दाम हाल ही में बढ़ा है सूत का। कहीं बिजली नहीं मिलती। एक कोपागंज टाउन एरिया है, 26 हजार की आबादी है, कस्बा है और जबकि छोटे-छोटे कस्बों को अर्बन एरिया की तरह से ट्रीट किया जाता है उसको रूरल एरिया की तरह से सिर्फ 5 घंटे बिजली दी जाती है और सब पावर-लूम बेकार पड़े हैं वहां के बुनकर तबाह हो रहे हैं। इन प्रश्नों को देखने की जरूरत है। जब तक इन समस्याओं को हल नहीं किया जायगा तब तक आप समाजवाद विरोधी ताकतों को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते और उत्तर प्रदेश में एक नया मोड़ ला नहीं सकते? इसलिये मुझे राज्यपाल के अभिभाषण से संतोष नहीं है और इसीलिये मैंने इसमें यह संशोधन के प्रस्ताव दिये हैं।

जब तक सरकार अपने उन वादों को जो उसने पार्लियामेंटरी चुनाव के वक्त 1971 में किये और जो अभी हाल में 1974 में किये उनको एक-एक सख्ती से लागू नहीं करती और केवल आदेश ही जारी न किये जायं बल्कि उनकी पूर्ति के लिये ऐसी मशीनरी बनायी जाय जो देखे कि वह आदेश लागू होते हैं या नहीं तब तक समाजवाद लाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।

कहा जाता है कि भूमि वितरण के लिये जनता की कमेटियां बना दी हैं। मैं नहीं जानता कि वह कमेटियां कहां हैं। कहीं भी ऐसी कोई कमेटी नहीं है। जब तक इन कार्यों में जनता का सहयोग नहीं लिया जायगा, जो उसमें विश्वास करते हैं, उनको उसमें नहीं लिया जायगा तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। अगर नौकरशाही के ऊपर छोड़ दिया गया तो जो अब तक 25 साल से होता रहा है वही होता रहेगा। आप समझेंगे कि आदेश तो दे दिये लेकिन वह लागू नहीं होते। मेरा चार्ज है इस सरकार पर कि केवल यह नहीं कि इस सरकार ने वायदे पूरे नहीं किये बल्कि अमल करना शुरू किया और फिर पीछे हट गये। आपने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लिया और कहा कि अगली फसल से हम धान को भी अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन धान तो थोक व्यापार में आया ही नहीं गेहूं का भी थोक व्यापार छोड़ दिया गया। इसलिये कि आपके अन्दर भी बहुत से प्रतिक्रियावादी तत्व बैठे हैं और सरकार में भी ऐसे बहुत से सरकारी अधिकारी हैं जो उस स्कीम को सैबोटाज करते हैं। इसलिये वह योजना कामयाब नहीं हो सकी और आपको मजबूर होकर वह योजना छोड़नी पड़ी। अगर आप समाजवाद की मंजिल पर जाना चाहते हैं तो उसके रास्ते में जो पहाड़ हैं उनको मजबूती से तोड़ना पड़ेगा। इस तरह की कमजोरी दिखाकर आप अगर पीछे हटेंगे तो काम नहीं चलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीया अधिष्ठाता महोदय, मैं अभी भीखालाल जी के भाषण को सुन रहा था मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो सरकारी पक्ष की तरफ से धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है उसका मैं समर्थन करता हूं । माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को कल मैंने बड़े गौर से सुना । मुझे ऐसा लगा कि किसी क्षेत्र का कोई साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी चुनाव सभाओं में भाषण कर रहा है न कि नेता विरोधी दल इस आदरणीय विधान सभा में भाषण कर रहे हैं । उनका सारा भाषण उनके चुनाव में करप्शन तक ही सीमित रहा । सरकार की क्या नीति है और राज्यपाल का अभिभाषण किस नीति से सम्बन्ध रखता है इस की तरफ माननीय नेता विरोधी दल ने कोई भी बात नहीं कही ।

चौधरी साहब यहां नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन के दौरान उन्होंने चुनाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत क्यों नहीं की ? सारी गड़बड़ी उनको चुनाव के बाद ही नजर क्यों आने लगी ? चुनाव से पूर्व उनको कहना चाहिये था कि चुनाव प्रक्रिया का संचालन ठीक तरह से नहीं हो रहा है । चुनाव के पूर्व उनको पूरा भरोसा था और विश्वास था कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं और उन्होंने तो अपने मुख्य मंत्री बनने की घोषणा तक कर दी थी । आज सारी गड़बड़ी उनको चुनाव के नतीजा घोषित होने के बाद ही नजर आने लगी और सारी बेइमानी नजर आने लगी । मैं माननीय भीखा लाल जी से सहमत हूं जो उन्होंने यह बताया कि चुनाव में किन-किन ताकतों के बीच लड़ाई हुई । मैं तो माननीय राम सेवक जी यादव से कहूंगा कि इस पर पूरी जांच के लिये एक चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाय जो सारे प्रदेश में इस बात की जांच करे कि किस तरह के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिये और किस तरह के लोगों ने विरोध पक्ष के लोगों को वोट दिये ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

बिठा दीजिये (व्यवधान) . . .

श्री काशीनाथ मिश्र--

एक तरफ वे लोग इकट्ठा थे जिन्होंने देश की आजादी के लिये जानें कुर्बान की थीं, दूसरी तरफ वे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ थे । कांग्रेस ने टिकट उन लोगों को दिया था जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया था। जनसंघ तथा अन्य विरोधी पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया था जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था. . . (व्यवधान) . . . । इसीलिये जनता ने सही निर्णय दिया, हमारा साथ दिया । अंग्रेजी राज्य के समर्थकों को चर्खा का निशान दिया गया । गौरी शंकर राय को छोड़कर, सभी अंग्रेजों के समर्थक थे या असामाजिक तत्व थे जिनको बी० के० डी० आदि के तरफ से खड़ा किया गया था ।(शोर) . . . .

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

यह भाषण कर रहे हैं या थूका हुआ चाट रहे हैं (व्यवधान) . . .

श्री काशी नाथ मिश्र--

श्रीमन्, यह जितने लोग व्यवधान कर रहे हैं, उतना समय हमें मिलना चाहिये ।

(व्यवधान) . . .

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग तसरीफ रखें, भाषण शान्तिपूर्वक सुनिये, ताकि जब आप भी बोलें, तो ये लोग भी शान्तिपूर्वक आपकी बात सुनें ।

(व्यवधान) . . .

एक सदस्य--

यह मिश्रा जी तो दलबदलू हैं, यह क्या बोल रहे हैं ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

हमारे जनपद के अंदर जो संगठन कांग्रेस, जनसंघ या अन्य दलों के लोग थे जो खड़े थे, वह अपने-अपने क्षेत्र में जहां मजबूत थे, उन्होंने गरीबों, किसनों और मजदूरों के जबरिया वोट छीनकर अपने यहां रख लिये ।

(व्यवधान)...

श्री अधिष्ठाता—

अगर इस तरह साथ-साथ दोनों तरफ के लोग बोलेंगे तो कोई किसी की बात नहीं सुन पायेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो मैं कह रहा था कि बड़े-बड़े सामन्तों ने गरीब हरिजन और भूमिहीनों को वोट डालने से रोका । चुनाव सभा जनता की सम्पूर्ण शक्तियों का प्रदर्शन करता है, चुनाव में जितने मतदाता थे वह उनकी शक्तियों का टकराव था । एक-एक पोलिंग बूथ पर केवल होमगार्ड के आदमी और चन्द सिपाही ड्यूटी पर तैनात थे । सरकार के पास कोई ऐसी मजबूत व्यवस्था नहीं थी कि जो आप ताकत आजमाते, हुड़दंग मचाते, तो उसको रोका जा सकता उत्तर प्रदेश सरकार को कोई शक्ति एलेक्शन कमीशन या केन्द्र की तरफ से नहीं मिली थी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये, बिना भय के चुनाव कराने के लिये, नहीं तो आप जो इतनी तादाद में चुनकर यहां आये हैं उतने भी न आ पाते । मुश्किल से आप 50—60 लोग ही यहां पर चुनकर आ पाते ।

सभी किसान, मजदूर गरीब भूमिहीन और हरिजन आदि कांग्रेस के पक्ष में थे । इस पर भी आपको शिकायत हो कि चुनाव में धांधली हुई थे तो सरासर बेबुनियाद है । ऐसी दशा में मैं केवल यही अर्ज करूंगा कि चौधरी चरण सिंह स्वयं जब मुख्य मंत्री थे तो उस समय गोरखपुर मे जो श्री टी०एन० सिंह का चुनाव हुआ था, तो वहां पर चौधरी साहब ने शासन की सारी शक्तियों को अपने पक्ष में लगाया था, किन्तु उस पर भी वह हार गये थे । यदि चौधरी साहब की बात सत्य मान ली जाय तो वह क्यों सत्ता में रहते हुये हार गये थे ? शासन किस तरह चले, इसके बारे में कोई नीति निर्धारण माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को शासन व्यवस्था के लिये क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिये । जसा भीखालाल ने कहा कि आज जनअसंतोष सरकार की नीतियों को लेकर नहीं फैल रहा है, बल्कि उन अधिकारियों की वजह से फैल रहा है, जिन पर उन नीतियों के कार्यान्वियन का भार है, वह बिलकुल सही है । मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जनहित के काम हमारे जनपद में तथा सारे प्रदेश में तेजी से चालू किये जायं । जिससे जन असन्तोष को रोक सकें ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, कल से श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण से सम्बन्धित जो विचार व्यक्त हो रहे हैं मैं भी इसी सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि चूंकि आजकल वह नेता सदन हैं, मेहरबानी करके अपने पार्टी के लोगों को बिठालें और उनको यह बतलायें कि उनको यह अहसास होना चाहिये कि आपकी सरकार है । आपके हाथ में हुकूमत है । आपके साथ में एग्जिक्यूटिव है। आप जिस चीज को चाहते हैं अपने मिनिस्टर साहब के कान में कह देंगे उसी पर अमल हो जायगा इधर फाकेमस्त बैठे हैं जिनके पास कोई चीज नहीं है । वह सिर्फ यहा खड़े हो कर आपके समक्ष अपनी बात रखते है । (व्यवधान)..सरकारी पक्ष को ख्याल होना चाहिये कि उदारता

से इनको बातों को सुनेंगे। कोई बात अच्छी लगे उसको मान लें। (व्यवधान) पहले आप जब्त कीजिये। मैंने कहा नहीं, यह फाकेमस्त हैं। सिवा कहने के इनके पास कुछ नहीं है।

महोदया, कितने अफसोस की बात है कि हम लोग लाखों आदमियों के जरिये चुन कर आये हैं। अगर एक दूसरे को बेईमान, चोर बताते हैं तो ऊपर बैठी जनता क्या कहेगी जो देख रही है? यह समझेगी कि सब बेईमानों की जमात बैठी हुई है। इससे हमारी कोई इज्जत नहीं बढ़ती, इस सदन की इज्जत नहीं बढ़ती। ऐतराज से रौनक बढ़ती है लेकिन कदम-कदम पर बोलने में टोके तो उसका नतीजा क्या होगा? महोदया 1969 के बाद से पार्टी और यह सरकार आहिस्ता-आहिस्ता पंचायत राज का गला घोंट रही है, श्मशान भूमि पर पंहुचान का इंतजाम कर रही है। मैं उन बातों को कहूंगा जो सब लोग जानते हैं।

इस प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर पंचायती राज है। यह पंचायती राज महात्मा-गांधी, और उनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि शख्शियतों ने कायम किया (व्यवधान)। सुनिये उनका आप नाम ले सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है। सब से आप गुप्ता जी की बातें कहेंगे। सुन तो सही जहां में तेरा है फसाना क्या। कहते हैं तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। इस पंचायती राज को बड़ी कुर्बानियों के बाद कायम किया गया इस मुल्क में। इसको अच्छे रूप में कायम रखिए, कुछ डरिये पब्लिक ओपीनियन से। 1969 के बाद से यह सरकारी पार्टी इस का फर्ज है कि कानून की बात को माने। पंचायती राज कानूनी राज है। कानून की रक्षा होनी चाहिये। जैसे ही कांग्रेस की पार्टी बटी इस पार्टी के लोगों ने जगह-जगह संगठन कांग्रेस के दफ्तरों पर हमला कर दिया। यह बात सही है या नहीं? और हमारे शहर में भी हमारे जिले में भी हमला कर दिया। हम लोग भी अनजाने में पंहुच गये। हमारी पार्टी द्वारा क्या रास्ता अपनाया जा सकता था सिवाय हड़ताल करे और सत्याग्रह करे। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने भी नयी कांग्रेस के हक में कहा कि क्या किया जा सकता है। मुकदमे दायर किये गये, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब जगह हमको जीत मिली। सरकार ने पंचायती राज की अवहेलना की, ला को अपने हाथ में लिया क्या सरकार ने यह ठीक काम किया या डेमोक्रेसी का गला घोंट रहे हैं। सरकार अवसरवादिता को ध्यान में रखकर कार्य करती है। जहां जैसा देखते हैं वहां वैसा काम करते हैं। आप कानून की स्प्रिट का भी ख्याल नहीं करते। जब मैं यह बात कहता हूं तो आप से मतलब मेरा सरकार से होता है। गांव सभा के चुनाव हुये, ब्लाक्स के चुनाव हुये, लेकिन उसके बाद आपने जिला परिषद् के चुनाव बन्द करा दिये क्योंकि विधान सभा के इलेक्शन पास में आने वाले थे। आप जानते थे कि कहीं ऐसा न हो कि हवा खराब हो जाय चुनाव रोक दिये। क्या आपने यह अच्छी बात की?

दूसरी एक बात यह जो कमी उत्तर प्रदेश में है तो क्या समूचे देश में नहीं हुई। ब्लाक के चुनाव में आपने एक नई पद्धति चालू कर दी, हेल्पर की हेल्पर वोट डालने जाय। वोट की सीक्रेसी कहा रही?

एक सदस्य--

आपके जमाने में थी।

श्री राममूर्ति--

मेरे जमाने में हरगिज-हरगिज नहीं थी। मान्यवर, इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि आपके पास रिकर्ड मौजूद हैं, गवर्नमेंट उससे पता चलवा सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सही डेमोक्रेसी है? जब गांव सभा के चुनाव समाप्त हो गये थे तो आपका यह फर्ज था कि आप जितनी लोकल बाडीज हैं उनका चुनाव आपको कराना चाहिये था, लेकिन आपने उनका नहीं कराया? मैं पूछता हूं कि आपने क्यों नहीं इलेक्शन कराया? क्या यही पंचायती

[श्री राममूर्ति]

राज की स्प्रिट थी ? आप कुर्सी पर बैठिये, सभी लोग बैठते हैं, लेकिन जो परम्परायें हैं, उनको मत भूलिये, ऐसे भी लोग हुये हैं जिन्होंने कुर्सी को एक मिनट में छोड़ दिया । ग्राम सभा डेमोक्रेसी का प्रतीक है और प्रजातंत्र की एक इकाई है । क्या सरकार को इस बात का ख्याल नहीं आता कि जो हो रहा है वह कहां तक उचित है । ग्राम सभाओं के चुनाव के तुरन्त बाद वोट गिनी जाती है और हर ग्राम सभा की अलग । लेकिन असेम्बली और लोक सभा के वोट सब मिलाकर गिने जाते हैं ताकि यदि कोई टेम्परिंग हो तो पता न चल सकें । क्या यह सही नहीं है कि ब्लाक के चुनावों के हेल्पर्स के द्वारा उन प्रधानों के वोट जिनके खिलाफ पिटीशन चल रहे हैं हाकिम परगनों ने बुलवा-बुलवा कर वोट सरकारी पक्ष में डलवाये हैं ?

मेरा यह कहना है कि यह पार्टी और सरकार बड़े साइन्टिफिक ढंग से, बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से कार्य कर रही है क्योंकि आपका साथ इन लोगों के साथ हो गया है जो आपके साथ बैठे हुये हैं । बड़े बेहतरीन लोग हैं । बाम पंथी ।

एक सदस्य--

कौन लोग हैं ?

श्री राम मूर्ति--

पूंछते वे हैं कि कातिल कौन है, हम बतलायें कि वे बतलायें । मैं कह रहा था कि यह पार्टी और सरकार बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से और आहिस्ता-आहिस्ता डेमोक्रेसी का गला घोंट रही है क्योंकि इसे डर है कि एकदम कुछ हो गया तो लोग बिलबिला उठेंगे । इसलिये यह सरकार शनै शनै पंचायती राज का खात्मा कर रही है । मैं कहता हूं कि सरकार को यह तरीके बदलना चाहिये । सरकार आती है और जाती है । परम्परायें बनी रहती हैं ।

एक सदस्य--

हमने भी वह समय देखा है कि जब माननीय सदस्य विदाउट पोर्ट फोलियो मंत्री रहकर तनख्वाह लेते रहे ।

श्री राममूर्ति--

सरासर झूट । आप न्याय भी नहीं करते । मैं कभी बिना पोर्टफोलियों के मिनिस्टर नहीं रहा । .... (व्यवधान)

जब मैं हारा तो बहुत कम वोटों से हारा । कुछ वोट्स फैब्रीकेट किये गये । जब अपील में गया तो इलेक्शन कमिश्नर ने उनको खारिज किया । आप मुझे हारा हुआ न कहें ।

एक सदस्य--

चुनाव की बहुत बात हो चुकी ।

(व्यवधान)

श्री राममूर्ति--

अब गौर कीजिये । जब पंडित कमलापति जी थे, सेन्ट्रल लीडर्स ने कहा यह सरकार ठीक नहीं चल रही है । मैं तो उन अल्फाज का इस्तेमाल नही कर सकता जो दूसरे लोग करते हैं । बहरहाल सरकार ठीक चलती नहीं दीखी तो गवर्नर साहब की हुकूमत हो गयी । जब इलेक्शन करीब आया तो फिर सरकार बना दी । आपकी पार्टी में 272 आदमी थे ।

अगर पंडित कमलापति खराब थे तो क्या आपकी जमात में एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसको अपना नेता बनात ? पंडित जी को खराब कहकर हटा दिया। मैं तो उनकी इज्जत करता हूं। मैं उनका डिप्टी मिनिस्टर भी रहा। उनको खराब कहकर हटा दिया। लेकिन जब वह दिल्ली में जमुना जी नहा लिये तो पवित्र हो गये और दिल्ली में उनको फिर मंत्री बनाकर बिठा दिया।

मालवीय जी की बात हमारे एक साथी ने कही।

पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ इन्क्वायरी कराई और उनको हटाया लेकिन इस सरकार ने फिर से उनको मिनिस्टर बना दिया। यह मैं इसलिये कहता हूं कि जो मान्यतायें हैं वह धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप चाहें तो इन्क्वायरी करा लें कि एस० डी० एम० और पुलिस ने किस तरह से मिलकर प्रोपेगेंडा कराया है। अगर वह कहें कि मैंने गलत बात कही है तो मैं हर शख्स से माफी मांगने को तैयार हूं। अगर गलत काम किये गये हैं तो उनके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिये।

इलेक्शन के दौरान अफसर कुछ भी गड़बड़ करें उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता कोई पुर्साहाल नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि आप और आपकी पार्टी धीरे-धीरे डेमोक्रेसी का गलाघोंट रही है। इलेक्शन से पहले ट्रांस्फर रोक दिये जाते थे लेकिन इस बार क्या किया गया यह आपको अच्छी तरह से मालूम है। एक महीने के अन्दर नीचे के कर्मचारियों से लेकर ऊपर तक सीमेंट, घी, शकर के बे हिसाब परमिट बांटे गये। जो चीज भी दिमाग में आ सकती थी उसके परमिट दिये गये। यह इसलिये कहा गया कि लोगों पर असर पड़े। यह पंचायती राज है।

कम्युनिस्टों को छोड़कर हम सभी डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं। दूसरे देशों में इलेक्शन के समय चन्दे लिये जाते हैं लेकिन पोलीटिकल लोग मांगते हैं। सरकारी आदमी चन्दा नहीं मांगते हैं। मैं बतला सकता हूं कि किस तरह से एक-एक दिन में शुगर के दुकानदारों से 15, 15 और 20, 20 हजार रुपये वसूल किये गये हैं। हुकूमत के बड़े आफिसरों ने ऐसा किया है। यह पंचायती राज का तरीका नहीं है। आखिर आफिसरों की तो तनख्वाहें बढ़ ही रही हैं, प्रीविलजेज बढ़ रहे हैं, वह मालिक हैं लेकिन इलेक्शन के समय हावी हो जायें तो सोने में सुहागे वाली बात होगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और सरकारी आदमियों को बदनाम नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वह जो आप चाहते हैं वही करते हैं। उनको बेईमान कहने से काम नहीं हो सकता है। सिर्फ जो लोग खराब हैं उनके खिलाफ शिकायत सरकार के पास भेज दी जाय। उस पर ऐक्शन लेना सरकार का काम है। लेकिन अगर अधिकारियों को बराबर बुरा कहा जावेगा तो हुकूमत चल नहीं सकती है। सरकारी अफसर काम कभी कर नहीं सकता। अगर पूछेंगे तो नाम भी मैं बतला दूंगा कि किन लोगों ने चन्दा किया और इस सरकार के पास पहुंचाया। यह डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है, पंचायती राज की स्प्रिट के खिलाफ है। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि आप पंचायत राज का धीरे-धीरे गला घोंट रहे हैं।

बी० के० डी० के नेता ने एक बात कही। बहुत पुराने नेता हैं। सन् 1936 से मेम्बर चले आ रहे हैं। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रहे, मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, नेता विरोधी दल रहे और क्या-क्या नहीं रहे हैं। उनके खयालात से भी हमें पूरी वाकफियत है। उन्होंने एक बात की मांग की और वह भी कोई लम्बी चौड़ी मांग नहीं की। तीन-चार जिलों का नाम लिया—कानपुर, लखनऊ, मेरठ तथा इलाहाबाद का और कहा कि यहां पर चुनावों में बड़ी गड़बड़ी हुई है। मैं अपनी बहन राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी की कद्र करता हूं। उन्होंने अपने खिलाफ चार्जेज का जवाब भी दे दिया। फिर भी चौधरी साहब जब मांग करते हैं कि चार जगहों पर चुनावों में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच कराई जाय तो मेरा

[श्री राममूर्ति]

निवेदन है तिवारी जी आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं । अगर आप एक कमीशन बिठा देंगे और उस कमीशन की रिपोट आयेगी किसी हाई कोर्ट के जज अथवा सुप्रीम कोर्ट के जज के मातहत तो आप भी डंके के साथ कह सकेंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई और दूसरा भी गड़बड़ी की ढोल नहीं पीट सकेगा कि गड़बड़ी हुई है और हर आदमी को सकून व शान्ति मिलेगी । कायदा भी यह कह रहा है अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ बात कही जाती है और इंक्वायरी करायी जाती है तो बात गलत निकलने पर आपने डंके के साथ कहा कि गलत चार्जेज थे और लोग शान्त हो गये और पब्लिक को भी तसकीन हो गयी । लेकिन जितने आप बाकयात छिपायेंगे तो दिल में यह बात पैदा होती है कि जरूर दाल में कुछ काला है।

चुनाव में अनियमिततायें होती हैं लेकिन आप बतलाइये आज तक किसी प्रीसाइडिंग आफिसर को कोई सजा मिली है ? एक ही नारा दिया जाता है आप पिटीशन कर लीजिये पिटीशन कोई खेल की बात है ? वकील लोग हैं उनको ऐसा इल्म आता है कि पिटीशन 8 साल तक तय नहीं हो सकेगा । अगर हाईकोट में पिटीशन खारिज हो गयी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जायगी। केसेज हो चुके हैं दूसरा इलेक्शन खत्म हो गया उसक बाद जजमेंट हुआ कौन हारा कौन जीता । इसलिये यह कह देना कि पिटीशन कर लीजिये, ज्यादती है, पिटीशन में पैसा कितना लगता है । 8,10 हजार रुपये कम से कम दौड़ भाग अलग । इलेक्शन के दौरान हमारे शहर में मेडिकल कालेज अथवा इंजीनियरिंग कालेज और यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही गयी । मुख्य मंत्री जी की तरफ से वहां पर वायदा कर किया गया लकिन राज्यपाल के अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं पाया गया ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

आप राज्यपाल के अभिभाषण के पेज 10 पर देखें, उसकी चर्चा ।

श्री राममूर्ति—

मान्यवर, एक बात और करना चाहता हूं । आज हरिजनों को पीने के पानी की बड़ी तकलीफ है । इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि कांस्टीटुयेन्सीज में ऐसे कितने कई गांव हैं जहां पीने के लिये पानी नहीं मिलता है । मैं मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि वे वहां पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

एक सदस्य—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)....

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री अधिष्ठाता—

अब श्री निसार अहमद अंसारी बोलेंगे ।

श्री मलखान सिंह (जिला जालौन)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब विरोध पक्ष वाले बोलते हैं तो कहा जाता है कि आप मुख्य प्रश्न पर बोलें..

(इस समय 2 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

सरकारी पक्ष से जो लोग बोलते हैं वे चौधरी चरण सिंह की बुराई करते हैं और जब विरोध पक्ष से कोई बोलता है तो कहा जाता है कि आप मुख्य प्रश्न पर ही बोलें... (व्यवधान)...

श्री निसार अहमद अंसारी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गवर्नर मौसूम के एड्रेस पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं...

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हुआ, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा और उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में ही कहूंगा...

श्री निसार अहमद अंसारी—

जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसके पक्ष में मैं आपके माध्यम से हाउस में कुछ बात अर्ज करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हैंडलूम और पावर लूम उद्योग का एक बहुत बड़ा महत्व है, उसकी बड़ी अहमियत है। खेती के बाद हमारे उत्तर प्रदेश की ज्यादातर आबादी हैंडलूम और पावर-लूम उद्योगों में लगी हुई है। मैं गवर्नर के एड्रेस को हिन्दुस्तान की तवारीख में एक हिस्टोरिकल एड्रेस कहता हूं क्यों कि जब से इस सदन की स्थापना हुई एसेम्बलियों के सेशन होते रहे, मैं समझता हूं कि आज पहली बार प्रदेश के मसायल को हल करने में गवर्नर महोदय ने अपने खुतबे में इशारा दिया है।

इसमें कोई शक नहीं कि बुनकरों के मसालय अभी जैसा कि हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने बतलाया उलझे हुये हैं, निहायत ही संजीदा और गम्भीर हैं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि अभिभाषण में जो इशारा किया गया है वह एक बहुत ही खुशगवार बात है, नेक फाल है। मैं बुनकरों के नुमायन्दा होने की हैसियत से अर्ज करूंगा कि यह अहसास हमें हो रहा है कि सरकार बुनकरों के दुख दर्द को सुलझाने के लिये, उनके मसायल को हल करने के लिये आगे कदम बढ़ाती रहेगी। अब तक भी कुछ न कुछ तो हुआ। ऐसी बात नहीं है कि एकदम नजर-अन्दाज किया गया हो, कुछ न कुछ हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है कि जिससे बुनकरों की समस्या हल हो जाय। उन बुनकरों की समस्या को हल करने के लिये गवर्नर मौसूफ ने जो अपने खुतबा में इशारा किया है उससे हमको और आपको तवक्कों रखनी चाहिये, उम्मीद रखनी चाहिये कि यह सरकार इस प्रदेश के बुनकरों के मसायल को हल करने के लिये कदम बढ़ायेगी।

अब मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)...फैजाबाद के बारे में भी कुछ बातें उधर से कही गयीं। उस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह कही गयी कि चोर और डाकू कांग्रेस की जीपों में इलेक्शन के वक्त घूमते हुये देखे गये। म दावे के साथ कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में यह काम बी0के0डी0 ने किया था। (शेम शेम।)

मैं अपने मामले में कहना चाहता हूं कि जिस वक्त मैंने एलेक्शन का काम शुरू किया, आप यकीन मानें की मेरा एलेक्शन सिफर से शुरू हुआ। मेरे साथ दो तीन आदमी थे जो हरिजन थे और उनके ऊपर आवाजें कसी जाती थीं, उनको मारा पीटा जाता था और कहा जाता था कि दो चार हरिजन फरिजन से कांग्रेस क्या एलेक्शन जीत पायेगी। इसके प्रमाण समय आने पर म पेश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह काम हमारे क्षेत्र में

[श्री निसार अहमद अंसारी]

खासतौर से बी0के0डी0 ने किया। हरिजनों को मारा पीटा गया, तशद्दुद से काम लिया गया। यहीं नहीं मेरे यहां टांडा में बी0के0डी0 का एक जलूस निकला तो रास्ते में कांग्रेस के जितने भी झंडे पोस्टर या बैनर्स लगे हुये थे उन सब को नोच डाला गया, फेंक दिया गया और उसे जला दिया गया। शेम शेम)। फिर भी हमारे आफिस इनचार्ज ने बड़े जब्त से काम लिया। उन्होंने देखा कि जनता हमारे साथ है और वह हमें वोट कर रही है लेकिन हमने जब्त और सब्र से काम लिया और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे क्षेत्र में किसी कांग्रेस सपोर्टर्स ने एलेक्शन के कब्ल या एलेक्शन के बाद में किसी आदमी के खिलाफ कोई सख्त अल्फाज नहीं कहा। जब कि विरोधी पार्टी की तरफ से हरिजनों पर तमाम जुल्म व सितम ढाये जा रहे हैं, उनकी सिंचाई के लिये पानी व पीने के पानी को बन्द किया जा रहा है, किसी का रास्ता व निकास बन्द किया जा रहा है। आखिर यह सब क्यों हो रहा है ? वह इसलिये हो रहा है कि पहले उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस का साथ कोई नहीं देगा, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता जान गयी बावजूद इसके कि बराबर लोगों से कहा जाता रहा, बीसों बार लोगों में यह प्रोपेगंडा किया गया कि कांग्रेस क्या जीतेगी ? लेकिन जो वहां की गरीब जनता है, वह दबी हुई, जनता है, कुचली हुई जनता है, वह उभर कर सामने आयी और उसने बिना किसी डर के कांग्रेस को वोट दिया और उसे चुनाव में जिताया।

यह समझ लीजिये कि बुनकर के बेटे को वोट दे दिया। सारा दुख इसी बात का है इसी लिये यह सारी बातें कही जाती हैं। मैं देखता हूं कि हर इलेक्शन के बाद जो शिकस्त खा जाता है वह इसी बात की पनाह लेता है कि इलेक्शन में बेईमानी हुई। बहरहाल जो सज्जन इलेक्शन में हारे हैं, उनके साथ मुझे हमदर्दी है और उनको चाहिये कि वह स्पोर्ट्समैन स्प्रिट से काम लें। आयन्दा जब मौका आये तो फिर जोर आजमाइश करें।

अब मैं चौधरी साहब के बारे में दो लफ्ज कह देना चाहता हूं। वह मेरे पिता के समान हैं। कभी भी लड़के को हक नहीं होता कि वह अपने बाप के बारे में कहे। लेकिन जब उसका बाप गलत कदम उठा जाता है तो लड़का भी कह सकता है। हर शख्स उनकी इज्जत और कद्र करता था लेकिन आज इलेक्शन के बाद उन्हें न जाने क्या हो गया। वह चौंकें और होश में आयें।

[× × × ×]

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसके विरोध में और विरोधी दल के नेता की ओर से जो संशोधन का प्रस्ताव आया है, उसके समर्थन में मुझे निवेदन करना है। चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, लेकिन इस अभिभाषण के संबंध में पूरी जानकारी करके प्रदेश के सामने यह चीज लानी है कि यह प्रदेश किस तरह से तरक्की कर सकता है।

चुनाव के सिलसिले में जो बातें कही गईं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि विरोधी दल के नेता ने उन पर काफी प्रकाश डाल दिया है। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि चुनाव से पहले हमारे मुख्य मंत्री माननीय कमलापति त्रिपाठी जी की सरकार रही। इसके बाद राष्ट्रपति शासन रहा। फिर बहुगुणा जी की सरकार बनी। मैं पहले भी विधान सभा का सदस्य रहा। हमें बड़ी आशा थी कि हम लोगों को बुलाया जायेगा और हमारा विश्वास प्राप्त किया जायेगा लेकिन यह नौबत नहीं आई।

नोट—[×××] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है, वह गरीब जनता है सब को खाने के लिये भोजन की आवश्यकता होती है, पहनने के लिये कपड़े की आवश्यकता होती है, रहने के लिये मकान की आवश्यकता होती है बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता होती है और बच्चों के पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता होती है । हर इंसान को इन पांच चीजों की आवश्यकता होती है । हर अशरफुलमखलूकात को इन पांच चीजों की आवश्यकता होती है । फिर सवाल उठता है कि इन 5 चीजों की पूर्ति कैसे होगी । इन चीजों को पूरा करने के लिये आमदनी होनी चाहिये, फिर सवाल यह उठता है कि आमदनी हो कैसे । हमारे देश में आमदनी का पहला और बड़ा जरिया खेती है, दूसरा नौकरी है और तीसरा उद्योग धंधा है । लेकिन हाय रे यह सत्तारूढ़ सरकार जो 26 साल तक शासन करती रही, एक गरीब किसान मरता है, आज जिसके पास आमदनी का जरिया नहीं है । आज हमारे प्रदेश में ज्यादा जमीन रखने वाले कम जमीन वाले अथवा भूमि हीनों का हक मार कर बैठ गये हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इस तरह की बात नहीं कहता जिससे आपको कहने का मौका मिले। (एक माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) आप हमारे जिले के रहने वाले हैं । हमारे बारे में खूब अच्छी तरह से जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कह रहा था कि बड़े बड़े लोग भूमिहीनों के हिस्से की जमीन मारकर बैठे हैं । इन 26 सालों में, मिसाल के तौर पर नैनीताल को ले लीजिये। नैनीताल में मंत्रियों को जाने को मिलता है । आज नैनीताल में बड़ी-बड़ी जमीनें बड़े-बड़े लोगों के हाथ में हैं । यही नहीं है आपको मालूम होना चाहिये कि आज जो जमीन तकसीम की जाती है वह भी बड़े और प्रभावशाली लोगों के हाथ में चली जाती है । ऐसी बात है, इसे आप लोग मानें, उसको इनकार नहीं करना चाहिये । मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यादा जमीन वालों से जमीन लेकर भूमिहीनों को दी जाये । इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनकी रोजमर्रा की चीजों की आवश्यकतायें पूरी होंगी । यही नहीं ज्यादा तनख्वाह वाले कम तनख्वाह वालों का हिस्सा मारकर बैठे हैं । 26 साल के इस कांग्रेसी शासन में यही सब कुछ हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कहना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ सरकार के लोग अब तो दया करें । आज जो छोटे रोजगार हैं चौपट हुए जा रहे हैं । गरीबों को मकान बनाने के लिये जमीन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। बुनकरों की हालत की ओर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं जहां पर बुनकरों और हरिजनों की जनसंख्या बहुत अधिक हैं । आपको मालूम है कि इन्हीं बुनकरों और हरिजनों की बदौलत हम 8 विधायक यहां चुनकर आये हैं । हम सब लोग बुनकरों और हरिजनों के वोट से जीते हैं । आजमगढ़ जिला एक गरीब और पिछड़ा हुआ जिला है । यहां बुनकरों को सूत नहीं मिलता है वे बेरोजगार हो रहें है । यहां का बुनकर बड़ा कार्यकुशल है । यहां की बुनी हुई बनारसी साड़ी हिन्दुस्तान ही में नहीं बल्कि बाहर भी भेजी जाती है और वहां बिकती है । लेकिन अफसोस है कि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । उनको सूत देने की कोई व्यवस्था नहीं है । इस ओर सरकार को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है ।

वह बुनकर जो साड़ी बनाता है उस बुनकर को वह साड़ी पहनने को मुअस्सर नहीं होती है । आज आजमगढ़ के जिले में लोगों की हालत यह है कि वह बनारसी साड़ी, आजमगढ़ का गरीब आदमी नहीं पहन सकता । अध्यक्ष महोदय, यह सही बात पर मैं किसी को पर्दा नहीं डालना चाहता । मेरा कहने का मतलब यह है कि उनके जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग करने वाले हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन 5 मिनट समय में और चाहता हूं । श्रीमन्, निवेदन मुझे यह करना है कि आज जो हालत गरीबों की हो गयी है, मैं सत्तारूढ़ सरकार के लोगों से कहना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ आज आप जान लें कि आज हलाभला करना है नहीं तो आज जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है । आपको

[श्री भाभी]

जानना चाहिये कि पार्लियामेंट के चुनाव में आज 6 करोड़ कई लाख वोट आपको मिला था और 8 करोड़ कई लाख लोग वोट विरोधी दल को दिये थे आज आपको मालूम होना चाहिये कि आप इसका ज्यादा घमंड में न रहिये कि आपको बहुमत प्राप्त है। आपको 32 प्रतिशत वोट मिला है और विरोधी पक्ष को 68 प्रतिशत वोट मिला है। हमारे क्षेत्र में नाटक हुआ। जैसे कि लोग हाल में जाकर देखते है कि हई बम्बई शहर देखो, हई कलकत्ता शहर देखा, हई आगरे का ताजमहल देखो, हई बुढ़िया धोबिन देखो। तो हमारे आजमगढ़ जिले में प्रधान मंत्री इंद्रा जी आयीं, हमारे जिले में मुख्य मंत्री बहुगुणा जी गये, हमारे जिले में चन्द्रजीत यादव महामंत्री जी गये और हमारे जिले में मालूम हुआ कि आजमगढ़ जिले में मालूम हुआ कि हमारी पार्टी का कोई गया ही नहीं.... (व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, (व्यवधान)

श्री भाभी—

इस तरह नाटक (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अब इस नाटक से काम नहीं चलेगा। एलेक्शन हुआ और सब काम हो गये, लेकिन आज मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि चाहे सरकारी दल के बैठने वाले लोग हों, चाहें विरोधी पक्ष के बैठने वाले लोग हों, सारी जनता को बड़ी ईमानदारी से काम करना है। महंगाई सीमा पार कर रही है, पढ़े लिखे लोग नौजवान आज बेकार बैठे हैं। आज देश में जनता कराह रही है। आज महंगाई से, बेकारी से, गरीबी से, भ्रष्टाचार से, चोरी से, डकैती-कतल से, जनता परेशान है और सरकार इसको संभालने में असमर्थ। तो जो सही बात हो, उसको हम दोनों तरफ के लोगों को ईमानदारी से मानना चाहिये। मैं इस समय ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। यह तो मौका बराबर मिलेगा अपना विचार देने के लिये। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री तेज नारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)—

मान्यवर, मुझे आपने अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। श्रीमन्, श्री यादवेन्द्र सिंह जी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर इस चुनाव के बाद एक व्यक्ति और एक दल को विशेष धक्का लगा है। वह व्यक्ति माननीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, और दल सिंडीकेट कांग्रेस है। मान्यवर, चौधरी साहब अपनी उत्कृट इच्छा की पूर्ति के लिये हमारे इस सदन के नहीं, हमारे इस प्रदेश के लोग यह जान चुके हैं कि उनकी उत्कुट इच्छा क्या थी। और उनकी उत्कृट इच्छा मुख्य मंत्री बनने की रही है। और इसके लिये उन्होंने अपने उस दल से संबंध विच्छेद किया जिसमें उन्होंने वर्षों से कार्य किया था।

सन् 1967 में चौधरी साहब कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए और उसके सिम्बल को लेकर विजयी हुए और माननीय प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी और पं० जवाहर लाल नेहरू के नारे लगा कर विजयी हुए, लेकिन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिय उस दल से अपना नाता तोड़ा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये दल बदलू नहीं हैं। उनका कथन था कि उन्होंने एक दल का गठन और निर्माण किया जिसके वे लायक हैं, लेकिन वे दल बदलू नहीं हैं। उन्होंन उस दल क साथ क्या किया उसको मैं क्या कहूं। यह ही कहा जा सकता है कि गद्दारी की है। उसके लिये क्या शब्द प्रयोग किया जाय, मैं नहीं कह सकता हूं।

एक सदस्य—

आपको व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहिये। चौधरी साहब व्यक्ति नहीं हैं, संस्था है। (व्यवधान)

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर) मैं यह चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल के लिये जो गद्दार शब्द प्रयोग किया गया है, वह वापस लिया जाय। (अत्यधिक शोर) श्रीमन्, जब तक ये इस शब्द को वापस नहीं लेंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष—

जब सब लोग बोलने लगते हैं तो कैसे सुनाई पड़ेगा।

श्री बलवान सिंह—

मान्यवर, जब तक ये अपने शब्दों को वापस नहीं लगे, तब तक हम इन्हें बोलने नहीं देंगे (अत्यधिक शोर विरोधी पक्ष की ओर से मेजे थपथपायी गयीं)। श्रीमन्, जब तक ये "गद्दार" शब्द को वापस नहीं लेंगे तब तक हम इन्हें बोलने नहीं देंगे। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या वे माननीय नेता विरोधी दल के लिये "गद्दार" शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। (शोर) (मा० सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठ जायें। आप व्यवस्था का क्या प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री बलवान सिंह—

श्रीमन् मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो 'गद्दार' शब्द माननीय नेता विरोधी दल के लिये प्रयोग किया है, वह असंसदीय है। इसलिये मेरा आपसे कहना है कि इनसे इस शब्द को वापस लिवाइये। यदि वे इसको वापस नहीं लेंगे, तो हम इनको बोलने नहीं देंगे।

श्री तेज नारायण त्रिवेदी—

श्रीमन्, मैंने यह निवेदन किया था कि चुनाव के पूर्व इनकी उत्कृट इच्छा थी कि प्रदेश के मुख्य मंत्री बनें। जब जिस पार्टी से चुनकर आये हैं उसके साथ विश्वासघात करेंगे तो...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक चीज आपने उठाई। हम उसको देख लेंगे। हो सकता है कि जो कहा है उसमें कुछ फर्क हो। हम देखेंगे कि क्या उन्होंने कहा है। वह 5 मिनट में मालूम हो जायगा।

श्री बलवान सिंह—

यह "गद्दार" शब्द असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह तो है, लेकिन पहले देख लें।

एक सदस्य—

कार्यवाही से नहीं निकालते तो मांफी मांगे इसके लिये (व्यवधान)।

श्री बलवान सिंह—

आपके कांग्रेस के प्रधान मंत्री ने क्या गद्दारी की है? आप बतायें कि दो बैलों की जोड़ी कहां पर है? आप इस शब्दावली को निकालें। और इनसे वापस करायें वरना हम इनको बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह तो हम देखेंगे कि क्या इन्होंने कहा है। वह आता होगा। हमारे यहां सब लिखा जाता है। अगर उन्होंने 'कर्म' के लिये "गद्दारी" शब्द का प्रयोग किया है, व्यक्ति के लिये नहीं किया है तो वह कर सकते हैं। वैसे आप किसी को कहें कि आप "गद्दार" हैं तो वह नहीं कह सकते हैं। हम उसको देखेंगे।

श्री तेज नारायण त्रिवेदी—

मैंने एक पार्टी की बात कही है।

एक सदस्य—

ये झूठ बोल रहे हैं, इनको रोका जाय।

श्री तेजनारायण त्रिवेदी—

चौधरी साहब बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, मैं उनका आदर करता था (विरोधी पक्ष से मेंजें थपथपाई गईं और कुछ सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय यहां बैठे हुए हैं। यह क्या तरीका है? आप किसी को बोलने नहीं देंगे। इसका आपको क्या अधिकार है? यह तरीका अच्छा नहीं है। अगर एक आदमी कुछ कहता है तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। आप सुनिये उसके बाद जो अध्यक्ष महोदय का आदेश होगा (व्यवधान)।

श्री तेजनारायण त्रिवेदी—

इतने बड़े विरोधी दल के नेता बगैर सोचे-समझे एक गैर-जिम्मेदारी के तरीके पर सदन में ऐसी बातें कहें और जिस कागज का हवाला दें उसकी मूल प्रति भी न दें तो यह विवेकशीलता तो नहीं है। (प्रति-पक्ष से मेजे थर्थथपाई गई... व्यवधान)।

श्री बलवान सिंह—

आप गुस्से में बोल रहे हैं। जब आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये। देश के माननीय नेता चौधरी चरण सिंह हैं उनके प्रति ये ऐसी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री तेजनारायण त्रिवेदी—

हमारे माननीय फरीदी साहब उस संविद सरकार के जमाने में चौधरी साहब उनके लिये किस भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन अब उनके साथ संबंध जोड़ लिया है कि हो सकता है ट्रिपिल अलायेंस से हमारी इच्छा पूर्ति हो जाय जिसके लिये उन्होंने उस पार्टी के साथ विश्वासघात किया था।

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में एक चर्चा है... (व्यवधान) (शोर) (कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)।

श्री बलवान सिंह—

इन्होंने "गद्दारी" शब्द का इस्तेमाल किया है, इसको वह वापस लें, यह हमारी मांग है।

(जोर जोर से मेज थपथपाई जाने लगीं तथा 'इन्कलाबजिन्दाबाद' तथा "डाक्टर लोहिया जिन्दाबाद" के नारे लगाये गये।)

श्री अध्यक्ष—

श्री तेज नारायण त्रिवेदी ने अपने भाषण में कहा था कि "वह दल बदलू नहीं है उनका कथन था। उन्होंने एक दल का गठन और निर्माण किया जिसके वह लायक हैं। लेकिन वे दल बदलू नहीं हैं।

उन्होंने उस दल के साथ क्या किया उसके लिये मैं क्या कहूं । यह भी कहा जा सकता है कि गद्दारी की है । उसके लिये क्या शब्द प्रयोग किया जाय मैं कह नहीं सकता ।

श्री बलवान सिंह—

गद्दारी की है, गद्दार को क्या कहा जाय, यह उन्होंने कहा ।

श्री अध्यक्ष—

हमारे यहां जो लिखा है, रिपोर्ट की रिपोर्ट मंगा कर मैं पढ़ रहा हूं । आपके या उनके कहने पर मैं नहीं जाता हूं । 'उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाय मैं कह नहीं सकता । कुछ लोग चतुराई से किसी शब्द को कहते हैं और कहते है कि इसका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं ।

श्री बलवान सिंह—

इन्होंने गद्दार कहा था विरोधी दल के नेता को ।

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है कि आपके सुनने में कुछ गलती हुई हो क्योंकि रिपोर्टस को क्या पड़ी है शब्द बदलने की । वे तो जो कोई कुछ कहता है वही रिपोर्ट करते हैं ।

श्री बलवान सिंह—

ठीक है, अगर गद्दार शब्द नहीं है तो रहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

अगर मगर का सवाल नहीं है । जो कोई कुछ कहता है वही लिखा जाता है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

"गद्दार" शब्द को निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अगर इसमें कोई ऐसा शब्द होता तो उसको देखा जाता। मैं निकालता या नहीं निकालता, यह मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं विचार करता । मैंने पहले भी व्यवस्था दी है और कहा है कि बुरे काम को बुरा कहना अधिक बरा समझा जाता है ।

श्री बलवान सिंह—

चौधरी साहब के लिये यह गद्दार शब्द कहा है इस गद्दारी शब्द को निकाल देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

"गद्दार" शब्द नहीं कहा है । "गद्दारी" कहा है । किसी को चोर नहीं कहा जा सकता, मगर चोरी हुई है यह कहा जा सकता है।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिए अवसर प्रदान किया । मैं शासक पक्ष और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था । निर्वाचन के संबंध में कुछ चर्चा हुई, कुछ शासन की वर्तमान प्रणाली के संबंध में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी]

चर्चा हुई कुछ संकेत क्षेत्रीय परिस्थितियों की ओर किया गया तथा कुछ अन्य बातों की चर्चा हुई मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को भी पढ़ा और उसमें मैंने यही देखा कि मेरी सरकार ने यह किया, मेरी सरकार यह कर रही है, आदि आदि बातें उसमें पढीं और उनको पढ़ कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे आश्चर्य यह हुआ कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, पं० कमलापति की सरकार रही हो, माननीय गुप्ताजी की रही हो माननीय चौधरी साहब की रही हो, या अब माननीय बहुगुणा जी की है, सारी सरकार की नीतियों और कार्यों की जिम्मेदारी राज्यपाल महोदय ने अपने सर पर लेने की कोशिश की है।

यह अभिभाषण दोनों सदनों के समक्ष होता है। राज्यपाल का पद स्वयं अपने में कुछ अर्थ छिपाये रहता है। इसलिये उनकी ओर से कुछ नयी व्यवस्थाओं की ओर संकेत होना चाहिये था। जो राज्य में अव्यवस्था पैदा हो रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, उनको दूर करने की ओर कुछ संकेत होना चाहिये था, मगर उस संबंध में कोई घोषणा हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देखने को नहीं मिली। जिन बातों के कारण आज यह प्रदेश निराशा में भटक रहा है, उसको कैसे राहत मिलेगी इसका कहीं भी कोई संकेत हमें राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं मिलता। चुनाव के दिनों में जो पोस्टर्स कांग्रेस की ओर से चिपकाये जाते थे, उनमें यही लिखा हुआ मिलता था कि—कांग्रेस का यह उद्देश्य, फले फूले उत्तर प्रदेश। कैसे यह प्रदेश फले फूलेगा? आज पेट्रोल के लिये लाइन लगी है, मिट्टी के तेल के लिये लाइन लगी है, राशन के लिये लाइन लगी है, ब्लाक स्तर पर एक एक बोरी खाद के लिये लाइन लगी है, क्या इसी तरह से यह प्रदेश फले फूलेगा? आज किसान सर पटक-पटक कर रह जाता है मगर उसको मिट्टी का तेल, खाद आदि चीजें नहीं मिल पातीं। आज जनता के प्राण निकल रहे हैं, और यह कह रहे हैं कि जनता ने हमें अधिकार दिया है सरकार बनाने का।

इस उत्तर प्रदेश में जहां गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, राम और कृष्ण की जहां जन्म भूमि है, साढे 9 करोड़ जहां जनता रहती है, वहां जनता को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई नयी नीति नहीं बतायी गयी है। अगर इस ओर कुछ कहा गया होता तो हम उनको धन्यवाद देने के लिए सोचते और धन्यवाद देने की बात सही होती।

विरोधी दलों की ओर से जो भी संशोधन उपस्थित किये गये, उनमें प्रदेश की समस्याओं की ओर वर्तमान शासन का ध्यान तो आकृष्ट ही किया गया है, प्रदेश की दुर्व्यवस्थाओं की ओर भी ध्यान खींचने के लिये हमें मौका मिला है। मैं तो वर्तमान शासन को आपके माध्यम से यह कुछ बातें बताना चाहता हूं। सरकारें क्यों बनती हैं? सरकार के क्या उद्देश्य हैं? इस प्रश्न पर हमारे मित्र थोड़ी गम्भीरता से सोचें। मैं समझता हूं यहां पर बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वह इस पर अवश्य ध्यान देंगे। सरकारें जब जब बनीं, चाहे चाणक्य के समय में या इब्राहीम लिंकन के समय में शासन को बनाने के लिये दो बातों की ओर उनका ध्यान गया है। दो मुख्य लक्ष्य रखे गये थे सरकार के बनाने के न्याय और सुरक्षा। जब हम समाज के क्रमिक विकास को पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते है कि जब समाज शनैः शनैः बढ़ने लगा उसमें जबंदस्त निर्बल को सताते थे, निर्बलों को बचाने वाला कोई नहीं था। तब सोचा गया कि सरकार बनाई जाए और वह सरकार निर्बल की बलवान से रक्षा करे और जनता यदि आपस में लड़े, लड़ जाए तो वह उन्हें न्याय दे सके। इन दो मुद्दों पर यह सरकार कितनी असफल हुई है और कहां तक सफल हुई है, यह श्रीमन्, आप स्वयं समझ सकते हैं।

आज प्रदेश का एक नागरिक भी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकता है कि वह किसी समय भी सुरक्षित है। यदि चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल होने से अबतक के समय को देखा जाये तो डकैती, लूट और जान लेने की अनेकानेक घटनायें हुई हैं। हमारे जिले में घोर

अराजकता फैली हुई है। हमारे थाने में ही एक महीने में 18 डकैतियां पड़ चुकी है और एक डकैती में भी कोई कार्यवाई नहीं हो पाई है। जनता में असुरक्षा का भय समाया हुआ है। हमारे यहां दिनदहाड़े एक आदमी ने 7 को मारा और उसके घर से निकालकर सातों लाशें रखी गईं। इसके बाद भी आप क्या समझते हैं कि शासन नाम की कोई चीज शेष रह गई है? जनता यह मानकर नहीं चल रही है कि अपने प्रदेश में कोई प्रशासन है। न्याय के मोहरे पर आप चाहे जिस कचेहरी के गेट पर किसी भी व्यक्ति से 5 बजे के समय पूछें कि आपके मुकदमें में क्या हुआ, तो हर आदमी आपको बतायेगा कि डेट बढ़ गई है। 100 में 90 आदमी आपको यही कहते मिलेंगे। न्यायालय आज नहीं रह गये हैं, वे तो तारीखालय बन गये हैं। जहां न्याय नहीं मिलता है, केवल तारीख पड़ती है। साधारण से दाखिल खारिज के मुकदमें में 3—3 साल लग जाते हैं, सालों साल वह एस0डी0एम0 और जूडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पड़े रहते हैं।

न्याय और सुरक्षा के नाम पर जनता आज त्रस्त हो रही है। चारों ओर से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मैंने आशा की थी कि जब राज्यपाल महोदय, आये हैं और दोनों सदनों को एक साथ सम्बोधित कर रहे हैं तो अपने प्रदेश को एक नई दिशा देंगे। मैं अपने फर्रुखाबाद जिले की बात बताता हूं, वहां पर पाले-तुषारपात से 75 प्रतिशत रबी की फसल नष्ट हो चूकी है। खेतों में बड़ी-बड़ी गेहूं की बालियां दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उनमें दाना नहीं है। फसल को समय पर पानी नहीं मिल सका है साथ ही, जिससे एक अकाल की सी स्थिति वहां पैदा हो गई है। इस संबंध में भी मैंने आशा की थी कि राज्यपाल के अभिभाषण में पाले और तुषार के मारे किसानों को नई दिशा मिलेगी। चारों ओर से असुरक्षा जिस प्रदेश में व्याप्त है, उसके समाधान के लिये कोई नई रोशनी दिखायेंगे, इसकी भी आशा की थी, वह भी नहीं देखने को मिली है।

अपने प्रदेश में वर्तमान शासन ने क्या स्थिति पैदा कर दी है यह भी किसी से छिपा नहीं है। आप चाहे जिस कार्यालय में जाकर देखें भ्रष्टाचार फैला है। सीमेंट की इतनी कमी रही चुनाव के समय फिर भी वह विशेषकर दी गई। लेकिन अपने यहां के तहसीलदार ने जबतक 2 रुपये प्रति बोरी हर व्यक्ति से नहीं ल लिया, तबतक उसने किसी को सीमेंट नहीं प्राप्त होन दी। इस बात को मैंने सत्ता कांग्रेस के प्रत्याशी से भी कहा था। आपकी सरकार जनता से चुनी हुई है लेकिन आपकी नाक के नीचे बैठा हुआ तहसीलदार दो-दो रुपए बोरी लेकर सीमेंट बांटता है।

शादियों के लिये शकर के कोटे दिये गये लेकिन तहसीलों और ब्लाक्स पर और भ्रष्टाचार व्याप्त है। जनता की ओर से दिये गये तमाम प्रार्थना-पत्रों के ढेर कार्यालयों पर दिये गये, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं है। जिस शासन में भ्रष्टाचारी को कोई दण्ड नहीं, जिस शासन में ईमानदारी से काम करने वाले को कोई प्रोत्साहन नहीं है उस शासन से स्वच्छ प्रशासन की कल्पना करना केवल आकाश गंगा की कल्पना समझता हूं। जब कोई नया क्रांतिकारी कदम शासन दे तब प्रदेश में नयी आशा की किरण बंध सकती है।

एक डाक्टर मर्ज का इलाज करता है, वह मरीज एक हफ्ता, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, यहां तक कि महीने तक इन्तजार करता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता के मर्ज का इलाज करते हुए इस शासन को 26—27 वर्ष बीत गय। मर्ज बिगड़ रहा है। अब एक ही काम है। यह शासन रूपी डाक्टर न जो योजनाओं के रूप में, कागज के रूप में, स्कीमें के रूप में, लाल मिक्सचर की दवाई दी है, यह दवाई बदले, नहीं तो मरीज की हालत बदतर होती जा रही है, मरीज को सरसाम का रोग होने जा रहा है। अगर दवाई बदलती नहीं है, 26—27 साल से एक दवाई दी जा रही है, मरीज को सरसाम हो रहा है। डाक्टर या तो अपनी दवाई बदले या डाक्टर बदला जायगा। कोई और तरीका नहीं रह गया है, डाक्टर बदला जायगा, जिस तरह से हो सकेगा बदला जायगा। इस नाते शासक दल के

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी]

लोगों से कहना चाहता हूं। दिलों के अन्दर धधकती हुई क्रांति की चिनगारियों को पहचानें, प्रदेश के आसपास की घटनाओं की ओर कान लगायें। इससे पहले कि उत्तर प्रदेश की हवा में गरमी आये और धैर्य की सीमायें टूटें, शासक दल के लोग बुद्धिमानी से अपनी नीतियों में परिवर्तन करें और जनता को राहत देने के लिए कदम उठायें। राज्यपाल जी के अभिभाषण में वर्तमान दुर्व्यवस्था को सम्भालने के लिये कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का पूर्णतया समर्थन करता हूं और अध्यक्ष जी, आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया।

*श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को भी सुना और उसमें जो उधर से वहां पर हंगामा हुआ उसको भी अपने स्थान पर बैठे-बैठे देखा। देश के गणमान्य नेता जिनका बहुत पहले से आदर करता आया उनके नेतृत्व में जो पहले दिन हंगामा हुआ और उसके बाद जो यहां पर उन्होंने भाषण दिया उसको भी गौर से सुना। मेरी मान्यताओं को, मेरे विश्वास को, इस मान्यता को कि चौधरी साहब हमारे विरोधी पक्ष के माननीय नेता डिसिप्लिन और क्रमबद्ध शासन के आदमी हैं। इस मान्यता को ठस लगी। उन्होंने जो तथ्य सामने रखे और जो बातें कहीं। शुरुआत की कि मैं दलबदलू नहीं हूं। उसके बारे में मैं कुछनहीं कहना चाहता। मेरे पूर्व वक्ता कई बातें कह चुके हैं। दोहराने से कोई लाभ नहीं है। उनके शासन के अन्दर किस तरह से प्रजातन्त्र की किस प्रकार स्थापना हुई यह आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं।

उन्होंने सबसे पहले वह 1967 ई0 से शासन संभाला।

वह काश्तकार के हमदर्द कहे जाते हैं, लेकिन जो सन् 1967 में हुआ वह भी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने महंगाई की चर्चा की कि जितनी आज महंगाई है उतनी कभी नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय सन् 1967 में भी चीनी 6 रुपए किलो बिकी और 125 रु0 क्विंटल गेहूं बिका, तब महंगाई नहीं थी और आज महंगाई हो रही है। यह चौधरी साहब के आंकड़े हैं और वह बताते हैं कि उन्होंने क्या-क्या काम किये मजदूरों की भलाई के। वह भी सुन लीजिये।

पता नहीं महिलाओं से उनको क्या नाराजगी है। जब उन्होंने ग्राम सेविकाओं को नौकरी से निकाला था तो एक प्रदर्शन उनके मकान पर आकर हुआ था और यह किसी को भूला नहीं है कि उन पर लाठी-चार्ज भी हुआ था और पहली मर्तबा दुनियां के इतिहास में ऐसी मिसाल मिलती है कि जहां पर महिलाओं पर लाठी चार्ज हुआ हो, हां अंग्रेजों के जमाने में जरूर सुनते थे। कालागढ़ का किस्सा भी किसी को भूला नहीं है। आज जो सोशलिस्ट पार्टी के लोग उनके साथ गठबन्धन किये हुए हैं, उस समय उनके साथ थे, लेकिन उन लोगों ने भी उस समय पुकार-पुकार कर कहा था, बावजूद इसके कि वह गवर्नमेंट में थे, कि कालागढ़ में गोली चलाई गई और अत्याचार हुए लकिन उन्होंने नहीं माना। तो वह किसानों के मजदूरों के कितने हमदर्द हैं यह इतिहास बताता है।

अभी श्री राममूर्ति जी कह रहे थे कि राज्य में पंचायत राज की हत्या की जा रही है। जब पंचायती राज की उन्होंने बात कही तो मुझे याद आया कि इस पंचायती राज की हत्या करने का सूत्रपात उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। यह किसी से छिपा नहीं है कि 1970 में किसने जिला परिषद् को तोड़ा और किसने इसका सूत्रपात्र किया। किसने जिला परिषद्, नगरपालिकाओं पर नौकरशाही का पंजा कसा? यह सब सम्मानित चौधरी साहब के नेतृत्व में हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

अब क्या हो रहा है ?

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मैं निवेदन कर रहा हूं। आज जो यह बात करते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो क्या चुनाव में गड़बड़ी केवल 215 स्थानों पर हुई है जिन पर कि चुनकर हम लोग आये हैं। क्या वजह है कि मेरे जिले के पड़ोस के जिलों में केवल कांग्रेस को एक सीट मिली, जबकि वहां पर मन्त्री अन्य प्रभावशाली लोग भी मौजूद थे और वह हार गये। मगर बेईमानी करनी होती तो वहां पर भी हुई होती। तो बेईमानी की शिकवा शिकायत, जनता के वरडिक्ट को वरडिक्ट न मानना, चुनाव को स्पोर्ट समन स्प्रिट में न लेना और उसके लिये कोई 'एलीबाई' ढूंढना, यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। जनता ने जो फैसला किया है वह मनाना चाहिये। आप सब लोग जानते हैं और अध्यक्ष जी आप तो जानते ही होंगे कि सन् 1967 में जब कांग्रेस के विरुद्ध वातावरण था उस समय पर भी कांग्रेस जीती थी, लेकिन अल्प मत से जीती थी और चौधरी चरण साहब इधर से उधर चले गये और बराबर इधर से उधर करते रहे। वह किस लिये करते रहे यह सब लोग जानत ह। आपके माध्यम से अध्यक्ष जी इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिनकी खुद कांच की छत है उनको दूसरों की टीन की छत पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

मैं उस धन्यवाद प्रस्ताव का जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया है समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उस पर कुछ अमेंडमेंट्स भी आये हैं। मैं नहीं समझ सका कि उन अमेंडमेंट्स को रखने का क्या मंशा था जबकि हम प्रजातंत्रीय मूल्यों में विश्वास करते हैं। जब हम प्रजातत्रीय तरीकों में विश्वास करते हैं तो फिर प्रजातंत्रीय तरीकों को छोड़कर गैर प्रजातंत्रीय तरीके अपनाना और प्रदर्शन करना शोभा नहीं देता। मुझे कभी-कभी ख्याल होता है कि वोटर्स जिन्होंने हमको चुनकर भेजा है अगर वह गलरियों से आकर देखें तो कहेंगे कि हमने किन लोगों को चुनकर भेजा है। क्या यही लोग 9 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं ? क्या हमारे यही भाग्य विधाता है ? जिनमें किसी की बात सुनने की भी शक्ति नहीं है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जहां पिछड़े वर्गों के आवास की बात कही गयी तो चौधरी साहब को वह बात नहीं भाई। विश्वविद्यालय खोलन की बात कही गयी तो वह भी उनको पसन्द नहीं आई। मुझे याद है कि 8 अक्तूबर, सन् 1967 को जब नैनीताल नगरपालिका द्वारा उन्हें मांग पत्र दिया गया था तो चौधरी साहब ने घोषणा की थी कि वह विश्वविद्यालयों के पक्ष में नहीं हैं। उस समय से एक तरह से हमारे यहां विश्वविद्यालय खुलने पर ब्रक सा लग गया था। लेकिन अगर इस काल में यह काम हुआ तो चौधरी साहब को वह भाया नहीं। जब कहीं प्रगति के काम किये जाते हैं तो वह कहते हैं क्यों किया गया और अगर नहीं किये जाते तो कहते हैं क्यों नहीं किये गये। अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब को तो प्रधान मन्त्री और कांग्रेस का शुक्रगुजार होना चाहिये कि उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाये। लेकिन ऐसा न करके वह नुक्ता चीनी करत हैं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है वह बहुत सुन्दर है और इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो अवसर आपने मुझे बोलने का दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जो संशोधन रखा गया, मैं उस तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन् हमारे जिले में श्री यादवेंद्र सिंह जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा। अच्छा होता

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

बजाय उनके उत्तर प्रदेश के किसी बड़े पूंजीपति को बुलाया गया होता। राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश को समाजवाद की ओर ले जाने के लिये, पूंजीपतियों पर अंकुश लगाने के लिये, उनकी आमदनी सीमित करने के लिए एक भी शब्द नहीं कहे गये हैं। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार और इस सरकार के द्वारा माननीय राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा है उससे इस प्रदेश में कोई तब्दीली होने वाली नहीं है।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब देश आजाद हुआ तो देश की जो इंडस्ट्रियल आउट पुट थी उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान था और आज उनके आंकड़े बतलाते हैं कि वह 14वें नम्बर पर चला गया है। आज कहा जाता है कि गुजरात की हवा यहां न आने पावे बिहार की हवा न आने पावे। जो पूर्वांचल आजादी की लड़ाई में आगे रहा वहां भुखमरी है, लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। यदि क्रांतिकारी कदम पूर्वांचल उठायेगा तो हम उसको रोक नहीं सकते। जबसे राज्यपाल महोदय आये दो घटनायें घटीं, लेकिन एक की तरफ भी इशारा नहीं किया गया है। यह देश के लिये अजीब-गरीब बात है कि यहां के पी० ए० सी० के नौजवान अपनी मांगों के मनाने के लिये विद्रोह का रास्ता अपनावें, शांतिपूर्ण मार्ग इख्तियार कर और सैकड़ों की तादाद में गोलियां से भूने जायं और आज भी सैकड़ों जेलों में सड़ रहे हैं। इस ऐतिहासिक घटना का राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र नहीं है।

श्रीमन्, प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा संघ के 65,000 अध्यापकों ने प्रदर्शन किया कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। राज्यपाल महोदय ने उनको आश्वासन दिया, लेकिन क्या हुआ उसका भी जिक्र नहीं आया है।

चीनी उद्योग के बारे में हमारे दल के पुराने नेता श्री गेंदा सिंह ने बम्बई में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पास कराया कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। पंडित कमलापति त्रिपाठी ने वादा किया। जब चौधरी साहब मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने कहा कि संविद नहीं करना चाहती है, हम तो करना चाहते हैं। इसी पर लड़ा गया। लेकिन क्या हुआ। कितने चीनी मिलों पर अपने रिसीवर बिठाला है? मैं बुलन्दशहर की मिल को जानता हूं, बुढ़वल को जानता हूं, अपने जिले की पिपराइच मिल को जानता हूं 25 लाख से अधिक रुपया किसानों का आज बकाया है। फिर भी सरकार इस प्रश्न पर सो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये था।

सिराथू में क्या हुआ है? यह इस प्रदेश के लिये और अहिंसात्मक आन्दोलन के लिए बड़े शर्म की बात है। वहां पर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण सत्याग्रह रेलवे के बढ़े भाड़े के बदले में कर रहे थे, महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलकर सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई और उनको मौत के घाट उतारा। क्या इसका जिक्र इसमें नहीं होना चाहिये था? अहिंसक कार्यकर्ताओं के लिये यह बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन इसका कोई राज्यपाल के भाषण में जिक्र नहीं किया गया। तो भाषण किस लिये है? मैं अर्ज कर रहा था यह बात भी नहीं है कि देश में विकास हुआ है। मेरा सामुदायिक विकास से व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा है। जो ब्लाक खुले हैं उनके लिये डीसेन्ट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी की बात हम कहते रहते हैं। लेकिन आज पंचायती राज का क्या हुआ? श्रीमन, मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि एक पैसा भी चुने हुए प्रमुख गांव में हैन्ड पम्प तक लगाने के लिये नहीं दे सकते हैं। ताकि हरिजनों को पानी पीने के लिए मिल सके। क्या यही डिसेन्ट्रलाइजेशन हो रहा है?

एक भी पैसा ब्लाक समिति के पास नहीं रक्खा है, तो यह विकेन्द्रीयकरण कैसा हो रहा है ? अभी श्री भीखालाल जी ने हरिजनों की समस्याओं पर प्रकाश डाला।

जो कुछ हुआ बांदा में, वह बांदा में ही नहीं हुआ। बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है और यह प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाली प्रगतिशील सरकार करा रही है।

शिया–सुन्नी के झगड़े में क्या हुआ ? गरीब मुसलमानों के खून से सराबोर है आपका प्रशासन। यह झगड़े क्या हैं ? किसने कराया ? यह अवसर किसने दिया ? यह सारे सवाल है, जिनका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 'पत्रकारों' के वेज बोर्ड की बात कहां गयी ? बेकारी को दूर करने की बात कहां ग ी ? कौन-सी ोजना है देश में बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने की ? प्रदेश का विकास, उद्योग धन्धे ठप्प पड़े हुए हैं।

पिछले ो महीने से प्रदेश में जूनियर इंजीनियर्स हड़ताल पर हैं जो विकास की एक कड़ी है, विकास की ुनियाद है। यह सत्ता रूढ़ दल की सरकार इन इंजीनियर्स से बात करने की तकलीफ गवारा नहीं करती। कौन बिजली उत्पन्न करेगा ? कौन सड़कों की मरम्मत करा गा ? कौन ट्यूबवेल्स चलायेगा ? अहम सवाल है, जनता के सवाल हैं, देश के विकास के सवाल है। इन सवालों की ओर निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय का ध्यान जाना चाहिये था। मुझे निहायत अफसोस है कि इन तमाम सवालों की ओर राज्यपाल महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

यह कहना चाहता हूं कि गरीबी हटाने के नाम पर वोट लिया गया। इस सत्ता रूढ़ दल की पूंजी है जिसे वह हर पांचवें साल भुना लेती है। अभी सदन में बतलाया गया कि धान मन्त्री इस देश के सबसे बड़े स्मगलर से 1 करोड़ रुपया लिया और उस पैसे का दुरुपयोग गरीबी को खरीदने के लिये किया गया। गरीब तबके का वोट खरीदने के लिये किया गया। हमारे पांडेय जी ने कहा कि आखिरी दो दिन में हवा चल गयी कांग्रेस के पक्ष में। हवा चलाने का अगर कोई मन्त्र है तो हमको भी दे दीजिये हम भी 5 साल बाद उसे चलायेंगे। अगर कोई तन्त्र है तो हम उसे बांध लेंगे। इस सरकार के पास केवल पैसा-तन्त्र है जिसने वोट को खरीदने का काम किया है। मैं इन शब्दों के साथ अपने संशोधन को जोरदार ढंग से पेश करता । और आपको पुनः धन्यवाद देता कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया।

(व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष––

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे जो सूचनायें मिली हैं मैं उनको सुनाये देता हूं। धर्मपाल सिंह जी की एक सूचना है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र अलीगढ़ में परिगणित जाति के मतदाताओं पर कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के कारण नाना प्रकार के दमन कि जा रहे ह। मैं उसे शासन की कार्यवाही हेतु भेजे दे रहा हूं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)––

ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर हरिजनों ने कांग्रेस को वोट दिये है और उन पर दमन हो रहा है। सरकार को कार्यवाही इस पर करे मैं चाहता हूं कि सदन में उसकी सूचना दी जाय। माननीय नेता सदन ने बराबर इस बात पर प्रकाश डाला है। अच्छा होगा कि आप इसे वक्तव्य के लि स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय नेता सदन से बात कर लें। अगर समाधान न हो और आप चाहेंगे कि शासन की ओर से वक्तव्य होना चाहिये तो मुझे उसमें क्या एतराज हो सकता है? सारी कार्यवाही अविलम्ब की जानी है इसलिए कि इसमें लिखा है कि वहां हरिजनों को उनके मवेशियों को उनके घरों से निकलने नहीं देते। तो इसके लिये जरूरी कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री धर्मवीर—

इस पर एक वक्तव्य होना जरूरी है। इसपर बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि यह एक क्षेत्र का मामला है इसलिए उस पर शासन का ध्यान आकर्षित करा दिया जायगा और वे उस पर कार्यवाही कर लें।

एक श्री काशीनाथ जी मिश्र की तरफ से आया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसमें कहा गया है कि "लखनऊ शहर के स्थानीय कार्लटन होटल के पास राज्य सभा के प्रत्याशी श्री के0 के0 बिड़ला के विरुद्ध प्रदर्शन के सम्बन्ध में प्रयाग विश्वविद्यालय छात्र यूनियन के अध्यक्ष श्री ब्रजेश कुमार एवं अन्य आठ दस छात्र नेताओं की गिरफ्तारी..." आदि। इस पर आप चर्चा तो कर ही चुके हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता से सरकार विचार करें और विरोधी दलों की जो साजिश है कि प्रदेश के अन्दर अराजकता फैलाई जाय और उसमें छात्र समुदाय को वह घसीटना चाहते हैं उसका पर्दाफाश हो और नेता विरोधी दलों के उन को फंसाने की कोशिश न करें। पुलिस प्रशासन चाहता है कि छात्र समुदाय का आन्दोलन जो स्वतः एक स्वतन्त्र आदर्श को लेकर है उसमें श्री के0 के0 बिड़ला के विरुद्ध विरोधी दलों के प्रदर्शनों का प्रभाव न पड़े...।

श्री अध्यक्ष—

आप इस पर चर्चा अभी कर चुके हैं और उस पर आपको मौका मिल चुका है, सवाल सिर्फ यह है कि इसपर क्या कार्यवाही हो। अब आप चूंकि चर्चा कर चुके हैं इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

अब एक प्रश्न की सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने भेजी है जिसमें उन्होंने कहा है कि—"विगत 14 मार्च की रात में वाराणसी में उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं नगर के प्रमुख अधिवक्ता श्री सागर सिंह तथा स्थानीय एक महाविद्यालय के प्रवक्ता श्री चतुर्वेदी पर असामाजिक तत्वों द्वारा सांघातिक आक्रमण हुआ....." आदि। आप इस पर अल्प सूचित प्रश्न कर लें यह विषय नियम 51 के अन्दर नहीं आता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन, कल वाराणसी में जो कुछ हुआ है...

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा है कि इसपर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन्, अभी कल की बहुत बुरी घटना है कि जो वाराणसी में हुई और जिसके कारण सारा वातावरण आतंकित है। पिछली 14 तारीख को हमारे दल के वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व अध्यक्ष, साथी सागरसिंह और एक महाविद्यालय के श्री चतुर्वेदी जी जो कहीं रात्रि को जा रहे थे तो वहां के अवांछित तत्वों ने षड़यन्त्र करके हमला कर दिया और उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी साजिश थी, उन पर सांघातिक आक्रमण कर दिया गया। माननीय सागर सिंह जी को बहुत से हमारे माननीय सदस्य जानते होंगे कि वे बनारस के बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सी लगन के साथ दृढ़ता के साथ पीड़ित लोगों के लिये संघर्ष करते हैं उन पर सांघातिक आक्रमण हुआ। इसी तरह से चतुर्वेदी जी पर भी सांघातिक आक्रमण हुआ। इसी सन्दर्भ में कल सारा वाराणसी बन्द रहा जिसमें सत्ताधारी लोगों ने भी साथ दिया। वहां की परिस्थिति बड़ी भयावह हो गई है। इस लिये मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस पर तत्काल कार्यवाही करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

वाराणसी की घटना का जिक्र किया गया है उसमें अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि जो सागर सिंह जी हैं उनका हाथ भी टूट गया है और अब तक उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा निवेदन है कि आप इसे सरकार के पास कार्यवाही के लिये कहें।

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही के लिये भेज रहे हैं।

एक श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी आदि का प्रश्न आया है जिसमें उन्होंने इलाहाबाद के थाना अतरसुइया की पुलिस द्वारा दरियाबाद में अत्याचार की स्थिति दर्शायी है। यह एक स्थानीय मामला है इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा है कि पुलिस जोकि जनता की रक्षक है, उसने भक्षक का रूप ले लिया है। उसने वहां पर एक औरत को अपमानित किया है और एक वृद्ध व्यक्ति को घातक प्रहार भी किया है। इस मामले को 5 दिन हो गये हैं अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरे पास इलाहाबाद से लोग भाग-भाग कर आ रहे हैं कि वहां पर लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। पुलिस और दरोगा कोई कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और अभी तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार द्वारा इस पर बयान दिलायें।

श्री अध्यक्ष—

हम ऐसा करते हैं कि पहले अल्पसूचित प्रश्न करवाते हैं, यदि उससे सन्तुष्टि नहीं होती है, तब बयान होता है और वक्तव्य के लिये कहते हैं।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, माननीय मालवीय जी ने दोनों प्रश्नों दरियाबाद और सराथू के, एक साथ ले लिये हैं। इनको एक साथ न जोड़ें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप अल्पसूचित प्रश्न पहले कर लें। अगर जवाब उचित नहीं होगा तो बयान के लिये भेजा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न श्री हरिकेवल प्रसाद ने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गत एक पखवारे की भीषण पछुवा हवा के कारण गेहूं, जौ, चना आदि रबी की फसलें आधी से अधिक नष्ट हो गई हैं। यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

एक श्री राम सजीवन जी का बांदा जिले में मटका थाने के अन्तर्गत गमुवा ग्राम में एक हरिजन युवक धरमपाल की गोली मारकर निर्मम हत्या किये जाने का समाचार मिला है। इसमें उनको व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। और फिर भी वे इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, इसमें और भी दूसरे तथ्य हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह हरिजनों का मामला है, मैं स्वयं इस पर कार्यवाही करना चाहता हूं अगर कर सकूं लेकिन आपने कहा है कि हमें समाचार मिला है, यानी आपको जो खबर है वह कोई प्रमाणिक खबर नहीं है। आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें। आपकी जानकारी और सरकार की जानकारी मिल कर पूरी जानकारी हो जायगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो हरिजनों पर जो अत्याचार होता है उसके बारे में सदन बहुत जागरूक है, यहां चर्चा हो जायगी।

एक सदस्य—

यह केवल अकेले बांदा जिले की घटना नहीं है बल्कि तमाम जगह से हरिजनों पर अत्याचार के बारे में सूचनायें आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

एक श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग का है—एक उद्योगपति के राज्य सभा की सदस्यता के कारण युवकों और विद्यार्थियों में रोष।

(अस्वीकृत)

एक सर्वश्री फिरंगी प्रसाद विशारद, अब्दुल रऊफ लारी, और शारदा प्रसाद रावत का है—'प्रदेश में चेचक का प्रकोप'।

इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें। इसको शासन को कार्यवाही के लिये भेजा जा रहा है। (अस्वीकृत)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जैसे लखनऊ क्षेत्र में करफ्यू है वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में चेचक का प्रकोप है और वह बड़ी तेजी से पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। मुझे सूचना मिली है कि पूरे गोरखपुर व देवरिया में इसका प्रकोप है। एलेक्शन से पहले चेचक का टीका लगवा लिया था, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि मेरे लड़के को टीका लगवाने के बाद भी चेचक निकल आई है उसकी बड़ी बुरी हालत है, पता नहीं उसकी कल क्या हालत है? इसलिए शासन को आप इस पर कार्यवाही के लिये भेज दें।

श्री अब्दुल रउफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मैंने सरकार का ध्यान इस तरफ बहुत पहले ही आकृष्ट किया था। आप इस पर एक वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष---

आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

एक सर्वश्री हिम्मत सिंह व सत्यवीर सिंह का है "बुलन्दशहर में पाले से फसल को क्षति"। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। इसको नं0 5 के साथ जोड़ दिया जायगा। श्री सूबेदार प्रसाद का है "मिर्जापुर में मां तथा पुत्र की हत्या"।

इस पर आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें। क्योंकि यह अनिश्चित है। यह जुर्म ऐसा है जिस तरह से बहुत से जुर्म हो रहे हैं। ऐसी हालत में सब जुर्मों के बारे में वक्तव्य देना संभव नहीं है। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं।

एक सर्वश्री सूबेदार प्रसाद, शिव संपत्ति, मोहन लाल कपूर व हिम्मत सिंह का है "हिन्दुस्तान अल्युमीनियम कारपोरेशन रेणुकूट के कर्मचारियों की पेनडाउन हड़ताल"। इसमें लिखा है कि बिना नोटिस दिये हुए, बिना आरोप लगाये हुए 1,200 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। यह तो बिड़ला वालों की एक प्राइवेट संस्था है। इसका सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है (अस्वीकृत)।

एक श्री ओम प्रकाश सिंह का है "मिर्जापुर में बिजली न मिलने के कारण पानी का अभाव।" डीजल न मिलने के कारण वहां ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। इसको सरकार के पास कार्यवाही के लिये भेज दिया जायगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चुनावनगर में बिजली की कमी की वजह से बड़ी गड़बड़ी हो रही है। इसका यह परिणाम होता है ट्यूबवेल नहीं चल पाते हैं। जाड़े तो कट गये हैं लेकिन गर्मी कटनी मुश्किल है। पानी की बड़ी दिक्कत है। इसलिये इस पर वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

जैसा आपने कहा है कि चुनावनगर में बिजली नहीं मिली तो यह केवल एक जगह के बारे में है। अगर यह बड़े पैमाने पर होता तो इसको देखा जा सकता है। आप प्रश्न कर लें।

यह जो श्री तीरथ राम कोहली का है यह वही है जो माननीय काशीनाथ मिश्र का है। इसलिये इसको अस्वीकार कर दिया गया है।

यह माननीय मोहन लाल कपूर का है। इसमें यह है कि 10 मार्च, 1974 को प्रातःकाल 4 बजे मैना ग्राम, थाना बहादुरगढ़, जिला मेरठ के प्रधान भुजवीर सिंह, पंडित बाबूराम शर्मा, आनरेरी मजिस्ट्रेट प्रेम सिंह, उप प्रधानाचार्य इंटर कालेज, सालापुर आदि सम्मानित व्यक्तियों के साथ 70 व्यक्तियों को पुलिस ने अचानक जा पकड़ा।

पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो उसका कोई कारण होता है। बिना कारण के ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर आप प्रश्न करें।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

बात यह है कि यह घटना ग्राम मैना में होली पर हुई। उसको लेकर पुलिस द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया पुलिस वहां पर मौजूद है अनेक लोगों को जेल में डाल दिया गया है तथा महिलायें लूटी जा रही हैं। साम्प्रदायिक तनाव हो गया है। अगर फौरी कदम नहीं उठाया गया तो सारे जिले में भयानक कांड होगा।

श्री अध्यक्ष---

आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

श्री मोहन लाल कपूर—

इसमें बहुत देर हो गई है। इसको फौरी कार्यवाही के लिये भेज दें और वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री मोहन लाल कपूर—

आप वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं। बिना कारण किसी कानून के कोई पकड़ ले तो बावेला मच जाये। शायद ऐसा नहीं है।

लक्ष्मी प्रसाद जी का है कि बांदा जिले में बिजली की कमी के कारण फसल नष्ट हो गई। इसको मैं कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री लक्ष्मी प्रसाद (जिला बांदा)—

श्रीमन्, बांदा जिले में फसल पानी की कमी के कारण सूख रही है।

श्री अध्यक्ष—

बिजली के अभाव के बारे में मैं ध्यान रखता हूं और जब जमा हो जाते हैं तो वक्तव्य के लिये भेज देता हूं। इसे मैं कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

जूनियर इंजीनियर्स के बारे में श्री हरीश कुमार गंगवार, श्री सत्य प्रकाश तथा श्री श्याम बिहारी सिंह का है। इसको कल अस्वीकार कर दिया था क्योंकि यह शासन और उसके अन्तर्गत रहने वाले लोगों के अनुशासन के बारे में है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

आपने कल कहा था।

श्री अध्यक्ष—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकृत हो गया है। वह आपके सामने आ जायेगा। अगर इसके बाद चर्चा करना चाहेंगे तो देखा जायेगा।

एक सदस्य—

जूनियर इंजीनियर्स के रहने के लिये जगह नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जगह तो विधायकों के रहने के लिये भी नहीं है। एक मैं स्वीकार कर चुका हूं। यदि एक दिन में 10-15 आ जायेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

अगर माननीय सदस्य 3—3 और 4—4 के लिये एक साथ कहेंगे तो मुझे नहीं मालूम कि वे कैसे और किस को प्राथमिकता देंगे।

(व्यवधान)

मैं इसे पूरे प्रदेश के परिवेश में लूंगा।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

पाला को प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

जैसे पाला या अभाव वाले जो मामले हैं इन सबको एक में जोड़ दिया जायेगा ।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं एक आवश्यक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं के परामर्श से यह तय हुआ है कि तारीख 25 मार्च को यह सदन नहीं बैठेगा और 26 मार्च, को मिले । अभिभाषण और जो पूरक बजट है वह 27 तारीख को लिया जाये और उसके बाद वोट आन एकाउन्ट और दूसरे विधेयक लिये जायेंगे ।

(एक सदस्य के दुबारा पूछने पर)

27 तारीख को जो पूरक बजट 26 तारीख को होने वाला था वह लिया जायेगा । वोट आन एकाउन्ट में बहस नहीं होती है । यह परम्परा यही है । 28, 29 और 30 को विधेयक लिये जायेंगे ।

एक सदस्य—

सभी दलों के नेताओं को बुलाकर बात कर लें क्योंकि राम नवमी भी आ रही है ।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि अभी कार्य-मंत्रणा समिति गठित नहीं हुई है इसलिये नेता सदन, नेता जनसंघ और नेता भारतीय क्रांतिदल से बात करके तय कर लेंगे ।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक 25 तारीख का प्रश्न है उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उस दिन तो पर्चे दाखिल होंगे, बाकी की आगे की कार्यवाही तय कर लें कि यह सत्र किस तारीख तक चलेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पूरक बजट जो 26 तारीख को आना था, वह 27 तारीख को लिया जायगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी गड़बड़ी हो रही है, सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

किस तारीख को क्या लिया जाय इसको देखेंगे ।

श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मैंने एक दिया है....

श्री अध्यक्ष—

आपने एक प्रति दिया है । नियमानुसार दो प्रति देना चाहिये ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह (जिला अल्मोड़ा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन करते हुए मुझे निवेदन करना है कि कल मैंने नेता विरोधी दल के भाषण सुने। नेता जनसंघ के भाषण सुने। आपसे यह निवेदन करना है कि इन लोगों की यह भावना थी कि इस प्रकार का भाषण देकर जनता को उभाड़ा जाय। लेकिन विरोधी दल इस बात को भूल गये कि वह सरकार पर ही आरोप और आक्षेप नहीं कर रहे हैं बल्कि वह प्रान्त की महान जनता पर भी आरोप लगाते हैं। जहां वह करप्शन और भ्रष्टाचार की बात करते हैं विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह जी जो मेरे भी नेता रहे हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं उनसे मेरी आस्था उस समय उठ गई जब लोक सभा के चुनाव हुए और श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने यह घोषणा की थी कि वह नैनीताल और रानीखेत के लोक सभा के चुनाव लड़ेंगे और चौधरी चरण सिंह जी उनके पिट्ठू पृष्ठ पोशक बेशक हो गये थे जो रही सही आस्था थी वह कल के भाषण से खत्म हो गई।

अब बात रही कि उन्होंने संशोधन पेश किया। संशोधन में चौधरी चरण सिंह जी कहते हैं कि हर मुमकिन तरीकों से सरकार को पलटेंगे। विरोधी पक्ष इस बात को भूल जाते हैं कि सदन में कांग्रेस की तरफ से भी अब वही चुने हुए नुमाइंदे जो फील्ड-वर्कर हैं। जो फील्ड में काम करने के लिये लालायित रहते हैं। ऐसी घबड़ाने वाली बात इस शासन पक्ष को नहीं है। उन लोगों को जो कुर्सी में चिपके रहना चाहते हैं ऐसा एक भी व्यक्ति आज इधर के पक्ष में नहीं बैठता है। श्रीमन्, राज्यपाल के अभिभाषण में संक्षिप्त में जो भाषण है उसमें पेज नं० 5 में लिखा है कि राज्य में अलग-अलग क्षेत्र में संतुलित विकास के लिये बुंदेलखंड व पर्वतीय जिलों की तरक्की के लिये विशेष योजनायें बनाई गई हैं। ऐसा संकेत है

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में कुछ प्रक्रियावादी, विघटनकारी तत्व उभर रहे हैं जो आज भी प्रथक पर्वतीय राज्य की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग उत्तरांचल परिषद् उत्तरांचल या कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। इस माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में पर्वतीय अंचल के बारे में थोड़ा सा ये जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा निवेदन है कि इसके लिये और विचार करने की जरूरत है। पर्वतीय अंचल जिसने गंगा और यमुना के द्वारा उत्तर प्रदेश को ही नहीं राष्ट्र के अन्य भागों को भी पानी दिया है वह भाग आज भी प्यासा है। इस अभिभाषण में सिंचाई के लिये कुछ रुपयों का आवंटन किया गया, लेकिन केवल धनराशि का आवंटन कर देना ही पर्याप्त नहीं है। उस धनराशि का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, यह भी देखना शासन का कर्त्तव्य है। सिंचाई के संबंध में जहां से नहर निकाली गई हैं, वह हिस्सा नीचा है और जहां पर सिंचाई होने वाली है वह हिस्सा ऊंचा है तो किस प्रकार से इस धनराशि का सदुपयोग होगा, यह सरकार से निवेदन करूंगा।

यह सब लोग मानते हैं कि अगर पर्वतीय अंचल में कोई विकास या तरक्की हो सकती है, तो वह बाग बानी या हार्टिकल्चर से हो सकती है, लेकिन जहां पर बागबानी के लिये फल पट्टी की बात आती है तो रास्ते में जंगल विभाग आ जाता है। जहाँ फल पट्टी की बात आती है तो उनको जंगल विभाग के लोग डिस्करेज करते हैं। यह बात ठीक हो सकती है कि जंगल यथा संभव कम करें लेकिन हमारे जो जंगल हैं, वे इंसान के लिये हैं न कि इंसान जंगल के लिये है। इसलिये जहां पर्वतीय अंचल के विकास की बात आती है, उसमें थोड़ा सा लिबरल दृष्टिकोण हमें रखना होगा।

जहां तक मार्जिनल किसानों की खेती की बात कही गयी है इसके लिये पर्वतीय जिले बहुत कम लिये गये हैं। इसके लिये अल्मोड़ा बहुत ही उपयुक्त जिला है। मैं मानता हूं कि वहां पर

इन्डो जर्मन स्कीम चल रही है, लेकिन मार्जिनल खेती की वहां पर आवश्यकता है इसके लिये काश्तकार के पास 2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अल्मोड़ा से बेहतर कोई जिला नहीं है जहां पर 90 से 95 प्रतिशत वे काश्तकार हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम ही भूमि है। यदि यह जिला मार्जिनल खेती के लिये चुना जाता है तो मैं आशा करता हूं कि वहां पर 70 प्रतिशत लोगों को इससे और फायदा होगा।

अन्न के वितरण के सिलसिले में मैं अपनी सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं इसलिये कि इस इलाके में भी फेयर प्राइस शाप्स, सस्ते गल्ले की दुकानें खोल दी गयी हैं, लेकिन पर्वतीय इलाकों में, वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण दुर्गम रास्तों की वजह से अगर कोई फेयर प्राइस शाप वाला किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो वहां तक आसानी से जाना नहीं हो पाता है। इसलिये अगर कोई शिकायत आती भी है तो हम वहां समय पर पहुंच भी नहीं सकते हैं। इसलिये सरकारी लोग के बजाय अगर गैर सरकारी व्यक्तियों की विजिलेंस समितियां नियुक्त कर दी जाय तो उचित होगा ताकि से समय-समय पर इन दूकानों का निरीक्षण कर सकें। अन्त में जो प्रस्ताव आया है धन्यवाद का उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री गोरेलाल शाक्य (जिला इटावा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनतांत्रिक प्रणाली में जहां भी चुनावों का उल्लेख है...

(एक अन्य सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

बोलने वाले सदस्य के लिये न केवल नाम देना काफी है बल्कि समय से खड़े होना भी आवश्यक है। अगर दूसरा खड़ा हो गया और नजर उस पर पड़ गयी तो समय उसी को दिया जाता है। आप उठे नहीं। मैं समय देना चाहता था पर नजर उन पर पड़ गयी। उनके बोलने के बाद फिर देखेंगे।

श्री गोरेलाल शाक्य--

लोक तांत्रिक प्रणाली में जहां चुनावों का उल्लेख है, वहां पर इस बात का उल्लेख है कि चुनावों में धन, शराब, शक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिये। लेकिन इस चुनाव में धन शराब और शक्ति का खुले तरीके से प्रयोग हुआ है और मैं इस बात की मांग करता हूं और सत्ताधारी दल इस बात की दुहाई देता है कि इन चीजों का प्रयोग नहीं हुआ है तो इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाय और इसकी जांच की जाय ताकि इस लोक तंत्र को देश और जनहित में बचाया जा सके। अब वह धन, शक्ति और शराब का प्रयोग चाहे जिस दल ने किया हो, वह जनतंत्र में घातक है और देश तथा जनहित के लिये घातक है। इसलिये एक कमीशन बिठाया जाय और तमाम चीजों का पता लगाया जाय और इनको रोका जाय, नहीं तो यह देश हमेशा के लिये रसातल में चला जायगा क्योंकि हमारी दृष्टि में और मनीषियों की दृष्टि में जनतांत्रिक प्रणाली किसी देश और प्रजा के लिये बहुत अच्छी प्रणाली है।

इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति जीतकर तो आ गया, लेकिन हम पर क्या गुजरी है, उसका मैं यहां पर कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। उस समय जब मैं चुनाव के मैदान में था तो हमारे साथ एस० डी० एम०, भरथना श्री बलवीर सिंह और बी० डी० ओ० एरवा, श्री गंगा सहाय श्रीवास्तव ने हमारे विरुद्ध खुलकर प्रचार किया और एस० डी० एम० भरथना तो अपना कैम्प लगाते थे और सत्ताधारी दल के लिये चुनाव प्रचार करते थे। इसके साथ-साथ जब वोटों की गिनती हुई तो हमारे 4-5 सौ वोटों को अवैध कर दिया गया और इसके कई गुना मात्रा में गाय-बछड़े वाले वोटों को जिन पर केवल

[श्री गोरेलाल शाक्य]

अंगूठे के निशान और बहुतों पर कोई निशान नहीं थे उनको वैद्य करार दे दिया गया। इसके साथ-साथ जब मैं किसी तरह से जीतकर 137 मतों से आ गया तो मैंने यह प्रार्थना की थी कि चुनाव के बाद जिन थैलों में मतपत्र रखे जायं तो उन पर मुझे भी दस्तखत करने दिया जाय और सील लगाने दी जाय। और मतपत्र रखे जाने वाले बक्सों में ताले डाले जायं तो उसे किसी तरह से भी एलाऊ नहीं किया गया जब कि मैंने कहा था कि इनको टैम्पर किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे विरोधी दल के आदमी हैं वह ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ चुनाव के बाद क्या हुआ। ब्लाक प्रमुख, भरथना श्री रमेशचन्द्र अपने दल-बल के साथ हमारे कार्यकर्ता श्री राम नाथ को जो चुनाव क्षेत्र में 10 पोलिंग के इंचार्ज थे। 10-20 आदमियों को लकर उनको जानमाल के लिये धमकाने गये और हमारे एक कार्यकर्ता राम सेवक दोहरे प्रधान ढघईपुर को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गयी। इसके साथ-साथ हमारे समर्थक की फसल उजाड़ी गयी, उनके खेतो को उजाड़ा गया। तो हमारे क्षेत्र, भरथना में यह भयावह स्थिति है कि लोग अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से नेता सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिये आदेश दें ताकि वहां की जनता में सुरक्षा की पैदा हो। इसके साथ-साथ विशेष सी0आई0डी0 और विशेष पुलिस के दस्ते भरथना क्षेत्र में भेजे जायं ताकि वहां के लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें।

इसके बाद गवर्नर साहब ने बहुत ही सुखद स्थिति का वर्णन अपने अभिभाषण में किया है। अनाज के उत्पादन को बढ़ाने की बात कही गयी है, लेकिन चकबन्दी के दौरान जो सिंचाई की गूलें थीं उनको बन्द कर दिया गया और उसके स्थान पर उनकी चौथाई गूलें भी नहीं दी गयी हैं इसके अलावा नक्शे में जो चक रोड बनाये गये हैं उनमें से एक-चौथाई मौके पर नहीं है। ऐसी हालत में उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। इसलिये आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा कि चकबन्दी से पहले जहां गूलें थीं और जो नक्शे चकरोड है वह बनवाये जायं ताकि उत्पादन बढ़ सके। साथ ही साथ जो बिजली दी जा रही है पूरे प्रदेश में वह कभी आधा घंटा के लिये दी जाती है और कभी एक घंटे के लिये दी जाती है। किसानों की मांग है कि यह बिजली एक दिन में लगातार दो-तीन या पांच घंटे तक के लिये दी जाय ताकि सिंचाई का ठीक प्रबन्ध हो सके और बार बार चलाने से ट्यूबवेल का जो पानी नष्ट हो जाता है वह न नष्ट हो और ट्यूबवेलों से सिंचाई करने वाले किसानों को सुविधा हो।

इसके अलावा हमें शिकायत मिली है कि ब्लाक एरवा से सीमेंट, खाद, कपड़ा वगैरह दूसरे जिले में चोरी से भेज दिया जाता है और उस ब्लाक में नहीं रहता। तो मैं चाहता हूं कि बी0डी0ओ0, एरवा की सी0आई0डी0 से जांच करवाई जाय ताकि यह चीज रुक सके।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र है कि हरिजनों और जनजातियों के परम्परागत उद्योगों को सहायता दी जाय। तो परम्परागत उद्योगों को ही सहायता क्यों दी जाती है? और जो दूसरे उद्योग वे चला रहे उनको सहायता क्यों नहीं दी जाती? इस प्रकार तो वे परम्परागत उद्योगों को ही कर पायेंगे और कोई सम्माननीय उद्योग नहीं कर पायेंगे इसलिये जो हरिजन और जनजातियों के लोग अन्य उद्योग भी चला रहे हैं या चलाना चाहें उसके लिये भी सहायता दी जाय।

इसके अलावा अल्पसंख्यकों को जो सुविधायें दी जा रही हैं वह बौद्ध समुदाय के लोगों को भी दी जायं और बुद्ध जयन्ती की उत्तर प्रदेश में छुट्टी की जाय क्योंकि बौद्ध मत वाले भी अल्पसंख्यक हैं।

जो स्वच्छ प्रशासन की दुहाई दी गयी है, तो मैं केवल प्रस्तावित प्रगतिशील भवन विकास सहकारी समिति, कानपुर का हवाला देना चाहता हूं। पिछले चार साल से वह पड़ी हुई है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। उसके पेपर्स वहां के क्लर्कों ने सौ रुपये ले कर इलाहाबाद भेजे हैं। अगर सौ रुपये न देते तो शायद वह पेपर्स भी न भेजे जाते। वहां के लोग कहते हैं कि जब तक पांच सौ रुपये नहीं देंगे तब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसकी इन्क्वायरी की जाय और गृह निर्माण समितियों के रजिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार और विलम्ब को रोका जाय। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि भरथना के एस० डी० एम० तथा बी० डी० ओ०, एरवा को तुरन्त ट्रांस्फर किया जाय।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, मैंने गौर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा। इसमें पहले ही पैराग्राफ में लिखा है कि 'उत्तर प्रदेश का भारत के सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जीवन में प्रमुख स्थान है, उसी के बाद मान्यवर, यह शब्द भी जुड़े होने चाहिये थे कि "किन्तु आर्थिक दृष्टिकोण वह सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है।" यह शब्द उसमें और जोड़ देने चाहिये। आखिर क्या बात सही नहीं है कि हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। अगर है तो सही बात को लिख देने में क्या हर्ज है। यह कोई बुरी बात नहीं है।

प्लानिंग कमीशन और सेंटर से पिछली योजनाओं में जो सहायता हमें मिली है वह अन्य प्रांतों के मुकाबले में बहुत कम मिली है जबकि हमारा प्रांत सबसे बड़ा प्रांत और सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है। हमारे प्रांत को तो सबसे अधिक धनराशि मिलनी चाहिये। उसके लिये इस शासन ने क्यों लड़ाई नहीं लड़ी। उद्योग, खेती, बिजली और शिक्षा, चारों चीजों में हमारा प्रांत पिछड़ा हुआ है। मैं आपको आंकड़े देकर बताना चाहता हूं कि हमको अन्य प्रांतों के मुकाबले प्लानिंग कमीशन और सेंटर से कितनी कम मदद मिली। पहली योजना में प्रति व्यक्ति हमको 25 रुपये मिले जब कि अन्य प्रदेशों को औसतन 39 रुपये मिले। दूसरी योजना में हमें 32 रुपये मिले जब कि अन्य प्रांतों को 51 रुपये मिले। तीसरी योजना में हमें 72 रुपये मिले जब कि दूसरे प्रांतों को 91 रुपये मिले। इसी प्रकार केंद्र से जो सहायता मिली उसके आंकड़े देखिये। पहली योजना में केंद्र ने हमें 14 रुपये दिये जब कि दूसरे प्रांतों को 24 रुपये दिये। दूसरी योजना में 46 रुपये हमें दिये जब कि दूसरे प्रांतों को 55 रुपये दिये। तीसरी योजना में भी इसी प्रकार कम पैसा मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर शासक दल और विरोध पक्ष ने यह लड़ाई क्यों नहीं लड़ी कि हमको हमारे हक के मुताबिक पैसा मिलना चाहिये। अधिक पैसे के लिये क्यों नहीं लड़ी? आपको तो पिछला पैसा तक वसूल करना चाहिये था।

आज हमारे यहां शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। 9 करोड़ में से आज 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। आज प्रदेश की अधिकांश जनता वोट के महत्व को समझती ही नहीं। वह अपने राइट को नहीं समझती। मेरे क्षेत्र में दूर-दूर तक कोई स्कूल नहीं हैं। आप संविधान के आर्टिकिल 45 को देखें।

Provision for free and compulsory education for children—

'The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.'

संविधान के इस अनुच्छेद के मुताबिक भी अगर कार्य किया गया होता तो आज 85 प्रतिशत जनता शिक्षित हो गयी होती। 1949 में ही अगर इस बात पर अमल किया गया होता तो आज 74 में काफी लोग पढ़े लिखे हो गये होते। लेकिन आज क्या किया जा रहा है

[श्री बागा रामनाथ]

समझ में नहीं आता । उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर है और साथ-साथ हम लोगों भी है । मैं अपने मिनिस्टर साहब से जो बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसके लिये जमकर लड़ाई करें और उसमें इधर के लोग भी उनके साथ होंगे । पूरा धन सेंटर और प्लानिंग कमीशन से मिलना चाहिये और जो धन हमारा काटा गया है उसका भी हमें एरियर मिलना चाहिये, जिससे हमारा प्रदेश भी दूसरे प्रदेशों के समान उन्नति कर सके । दूसरे प्रदेशों में बिजली के उपयोग का जो औसत है वह 91 यूनिट है, जबकि हमारे प्रदेश में कुल 59 यूनिट है । हमारे यहां इतनी भूमि है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर भी हम बिजली के मामले में पिछड़े हुए हैं, जिससे सारे खेत सूख गये । कृषि उद्योग की रीढ़ होती है, यदि हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुए तो हमारी खेती ही नहीं पिछड़ेगी बल्कि सारे उद्योग भी चौपट हो जायेंगे । अगर केंद्र तथा प्लानिंग कमीशन से हम अपना बकाया रुपया ले लें और बिजली के मामले में हम उसे खर्च कर दें तो हमारे यहां की बहुत समस्यायें हल हो सकती हैं ।

आज हमारे देश में 5 लाख टन फर्टिलाइजर की शार्टेज है, इसका मतलब यह है कि खेती बिना खाद के रह जायेगी । जो फर्टिलाइजर है भी उसमें भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है । उसको नहीं रोका गया तो खेत बिल्कुल बरबाद हो जायेंगे। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है । जनता की बात आप सुनेंगे नहीं और विरोधी दल के लोग तो इस सदन से लेकर बाहर तक अपनी जनता की बात को सामने रखेंगे, उनको नहीं सुना गया और उन पर गौर नहीं किया गया था अच्छा नहीं होगा । हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारी बातों को सुनकर प्रदेश को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाये ।

हमारे मैनपुरी जिले में अच्छी खेती होती है, लेवी के मामले में बुलन्दशहर के बाद हमारे जिले का दूसरा नम्बर रहा है । चावल में भी जिला किसी से पिछड़ा नहीं है, वहां सेल्हा चावल काफी होता है । हम दूसरों के भी अन्न की पूर्ति करते हैं किन्तु हमें कहते खेद है कि हमारे जिले के विकास की ओर कोई ध्यान अब तक नहीं दिया गया है। हमारे यहां बाई पास नहीं है उनकी बहुत कमी है जिनके वजह से हमारे यहां पिछले समय में कम से कम 4–5 आदमियों की मौतें हो चुकी हैं आजकल उस जिले में बाई-पास देने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । मैं समझता हूं अब हमारी बात मानकर मिनिस्टर पी० डब्लू० डी० बाई पास जल्दी से जल्दी बनवा देंगे।

कानपुर का पंकी पावर स्टेशन बन्द है । जब मजदूरों और इंजीनियरों की अपनी समस्यायें हों तो उन्हें आपको सीधे सुनने चाहिये और उनका हल निकालना चाहिये । यह कोई अच्छी बात नहीं है कि आप उनके असंतोष को उभाड़ कर हड़ताल करवा दें और लोगों को गोलियों से मरवा दें। संबंधित लोगों को बुलाया जाये और उनसे पूछा जाये कि उनकी क्या परेशानी है। मजदूरों और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति लोकतांत्रिक सरकार का कम्प्रोमाइजिंग एटीच्यूड होना चाहिये, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि सरकार का होस्टाईल एटीच्यूट बना हुआ है । सरकार को इंजीनियर्स को बुलाना चाहिये और उनसे सीधे वार्ता करनी चाहिये, उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं । इन शब्दों के साथ में श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि हमारा जो अमेंडमेंट है उनके साथ इसे स्वीकार किया जाये। राज्यपाल महोदय, इस बात का ध्यान रखें कि जो कमजोरी है उसको वह प्वाइन्ट-आउट अवश्य करें । कमजोरी छिपाने से कोई लाभ नहीं होता है, उल्टे अधिक से अधिक हानि होती है । अपने अभिभाषण में उन्होंने यह तो बताया कि प्रदेश शिक्षा में, उद्योग में, बिजली में आगे है, लेकिन यह नहीं उल्लेख किया कि आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ा है। हमें अपनी कमजोरी को दूर करना चाहिये यही हमारा कहना है । इस अमेंडमेंट के साथ में धन्यवाद के प्रस्ताव को पारित करता हूं ।

*श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

मान्यवर माननीय यादवेंद्र सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को बड़े को बड़े ध्यान से पढ़ा है ।

(एक सदस्य के बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप को आज्ञा नहीं है बोलने की । माननीय रामलाल राही बोल रहे हैं ।

श्री राम लाल राही—

मुझे माननीय नेता विरोधी दल चौधरी साहब को और जनसंघ के नेता माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी को और कुछ अन्य विरोधी दल के सदस्यों को तथा अपने पक्ष के सदस्यों को भी जिन्होंने अभिभाषण के संबंध में विचार व्यक्त किये उनको सुनने का अवसर मिला । मैंने भी इस अभिभाषण को देखा । इसको पढ़ा तो मैंने पाया कि वाकई में प्रदेश की जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए राज्यपाल जी का अभिभाषण बहुत उपयोगी अभिभाषण है । इस अभिभाषण में मैंने पाया कि हमारे गत वर्षों की सरकार चाहे माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के नेतृत्व में बनी सरकार हो चाहे केंद्रीय शासन में सरकार रही हो या उसके बाद माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा के नेतृत्व में बनी सरकार हो उसके जो कार्यकलाप हैं उनका दिग्दर्शन कराया गया है ।

आप देखेंगे कि दैवी आपदाओं के होते हुए, अतिवृष्टि के होते हुए, ओला पत्थर पड़ते हुए, गत वर्षों में इन सब मुसीबतों के बावजूद इस सरकार ने जनता की समस्याओं क समाधान करने में काफी योगदान दिया । माननीय कमलापति और माननीय बहुगणा के नेतृत्व में बनी सरकार ने काफी प्रयास किया । बावजूद इसके कि पेट्रोल की कमी रही है, इंटरनेशनल संकट के कारण, बावजूद सीमेंट की परेशानी के, मिट्टी के तेल की परेशानी के, शकर की परेशानी है इन सब संकटों के होते हुए सरकार ने यथोचित रूप में जनता के सुख, सुविधा के लिये उपाय करने का प्रयास किया ।

मान्यवर, आज भ्रष्टाचार के संबंध में जब से बहुगुणा जी मुख्य मंत्री हुए, उन्होंने कुछ उपाय किये । इस अभिभाषण में उसका जिक्र है । कुछ जमाखोर बन्द किये गये, कुछ पर छापे मारे गये, कुछ पर मुकदमें चल रहे हैं । इसके बाद गरीबों की समस्या का समाधान करने के लिये, बेरोजगारों को काम देने के लिये, आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिये, टेस्ट वर्क चलाने का प्रयास किया गया, कुछ और काम किये गये । बिजली का भी संकट रहा । काश्तकारों को यथोचित मात्रा म बिजली नहीं दे सके । ट्यूबवेलों से काश्तकारों को पानी नहीं मिला, फसलें खराब गयीं, उद्योंगो में बिजली नहीं दे पाते यथोचित रूप में, उद्योंगो में पैदावार नहीं कर सके । इसलिये खाद, सीमेंट और लोहे का संकट रहा । इन सब संकटों के होते हुए सरकार ने मुकाबिला किया । इन सब संकटों के होते हुए वर्तमान चुनाव में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया ।

मैं यह कहने जा रहा हूं कि इन सब संकटों को उत्पन्न करने वाला कौन है ? एक हमारे साथी ने कहा कि जब-जब चुनाव की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि जनता में कांग्रेस क प्रति बड़ा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामलाल राही]

रोष है। मुझे ऐसा लगा। इस रोष का कारण मिट्टी के तेल, सीमेंट, और शकर का अभाव और भ्रष्टाचार था। इन चीजों के कारण जनता में रोष था, लेकिन उनके बीच में जब कांग्रेस क कायकर्ता और नेता गये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखेंगे। अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
2 मार्च, 1974।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन)

(देखिये पीछे पृष्ट 127 पर)

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री हिम्मत सिंह।	धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में गत आम चुनाव के समय— 1—शासनतंत्र का दुरुपयोग कर सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनाव जीतने के लिये की गई बेईमानी, भ्रष्ट आचरण तथा हिंसा की जांच कराने की घोषणा नहीं की। 2—यह कि अपनी सरकार द्वारा जनता की आवश्यकता की वस्तुयें उपलब्ध कर पाने तथा निरन्तर बढ़ती महंगाई को रोकने में असफल रहने पर खेद नहीं प्रकट किया । 3—यह कि अपनी सरकार द्वारा प्रदेश को स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन दे पाने में अक्षम होने पर खेद नहीं प्रकट किया । 4—यह कि प्रदेश के जूनियर इन्जीनियरों की न्यायोचित मांगों को स्वीकार कर बन्दी इन्जीनियरों को रिहा करने की घोषणा नहीं की । 5—यह कि बन्दी राजकर्मचारी नेताओं की रिहाई की घोषणा नहीं की । 6—यह कि राज्य वेतन आयोग की सिफारिश को सभी संस्थाओं एवं स्तरों पर अविलम्ब लागू करने की घोषणा नहीं की। 7—यह कि कर्मचारियों का सम्पूर्ण वेतन मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने की घोषणा नहीं की । 8—यह कि किसानों पर लागू भूमि विकास–कर को समाप्त करने की घोषणा नहीं की । 9—यह कि छोटे किसानों को पांच साल तक बिना ब्याज लिये सरकारी कर्ज दिये जाने की व्यवस्था करने की घोषणा नहीं की। 10—यह कि पाले से रबी की नष्ट फसल की क्षति पूर्ति की घोषणा नहीं की ।
2	श्री भीखा लाल श्री गोविन्द सिंह ने ी तथा श्री ऊदल ।	धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में:— 1—प्रदेश की जनता की आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिय किसी नये एवं ठोस आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का जिक्र नहीं किया ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2—खाद्यान्नों तथा अन्य जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं के अधिग्रहण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सरकार की नीति की स्पष्ट घोषणा नहीं की है । न ही शहरी मजदूरों एवं देहात के हरिजन खेत मजदूरों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिये खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की किसी योजना की ओर संकेत नहीं किया ।

3—दिनोंदिन बढ़ती हुई महंगाई को रोकने व जीवनोपयोगी वस्तुओं के अभाव की पूर्ति के लिये किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं किया है ।

4—न केवल चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा नहीं की बल्कि इस बारे में भी कोई संकेत नहीं किया कि सरकार चीनी की पूरी पैदावार को अपने हाथ में लेकर उचित मूल्य पर जनता में वितरित करेगी और मिल मालिकों के ऊपर किसानों के गन्ने की बकाया कीमतों को अदा करायेगी ।

5—बिजली की कमी एवं चोरी और नियमित रूप से सप्लाई न करने के कारण जो कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ रही है और लाखों मजदूरों को ले आफ हो रहा है उसको दूर करने के लिये फौरी तौर पर किसी ठोस कदम उठाये जाने का जिक्र नहीं किया ।

6—रासायनिक खाद की कमी को दूर करने, वितरण व्यवस्था में सुधार लाने एवं खाद की चोर बाजारी को रोकने के लिये किसी प्रभावकारी कदम उठाने की ओर संकेत नहीं दिया ।

7—सीलिंग के कानून की कमजोरियों से फायदा उठाते हुये और भ्रष्ट नौकरशाही से मिल कर किसी प्रकार बड़े-बड़े भूमिपतियों ने अपनी जमीनें बचायी हैं और मौजूदा कानून के अनुसार जो जमीन भूमिहीनों को मिल सकती थीं, उनको वास्तव में उपलब्ध नहीं कराया गया, इसका उल्लेख नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त हरिजनों को आवास के लिये दी गई भूमि पर उन्हें कब्जा दिलाने के किसी प्रयास का जिक्र नहीं किया ।

8—पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखंड व पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये किसी ठोस कार्यक्रम की घोषणा नहीं की ।

3—श्री मोहन लाल कपूर — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: —

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने चुनाव में सत्तारूढ़ दल द्वारा हुई हिंसा, धांधली व बेईमानी के सम्बन्ध में निम्न बातों का जिक्र नहीं किया :—

1—प्रदेश के पश्चिमी भाग में उच्च न्यायालय की बेंच खोलने के विषय में कोई वर्णन नहीं है ।

2—जूनियर माध्यमिक व बेसिक शिक्षा में सुधार व विकास के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा गया ।

3—माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत गैर-शिक्षकों के वेतन-मान नियमावली के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया ।

क्रम सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रुप
	4—यह कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वर्षों से चले आये अधिनियम में परिवर्तन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
	5—यह कि मेरठ जिला व उसके आस-पास के क्षेत्रों में लाखों टन गन्ना खेतों में खड़ा है व सूख रहा है उसकी पिराई का कोई प्रबन्ध नहीं किया ।
	6—विद्युत् शक्ति के अभाव में मेरठ व पश्चिमी भाग के उद्योग व खेती को भारी नुकसान पहुंच रहा है, इसका जिक्र नहीं किया ।
	7—स्वायत्त शासित कर्मचारियों के राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान स्तर प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
	8—जूनियर इन्जीनियरों को जो जेल में बन्द हैं नहीं छोड़ा गया तथा उनके द्वारा चल रही दो महीने पुरानी हड़ताल के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है ।
	9—गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों की सेवा दशा के सम्बन्ध में कोई वर्णन नहीं किया ।
	10—मेरठ आदि अनेक नगरपालिकायें जो भंग हैं उनके चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है ।
	11—होली के पर्व पर सदा की भांति झगड़ों को रोकने में शासन असफल रहा तथा इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया ।
	12—आवश्यक वस्तुओं के दूषित व कम वितरण से प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई कदम उठाने का उल्लख नहीं किया गया है ।
4—श्री कल्याण सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ दिया जाय :—
	"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—
	1—सिंचाई के भयंकर अभाव और भीषण पाले से रबी की फसल पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप किसानों को हुई हानि के लिये क्षति पूर्ति करने और उन्हें लगान एवं आबपाशी की वसूली से मुक्त करने तथा अन्य देय धनराशियों की वसूली स्थगित करने,
	2—कृषि कार्यों एवं लघु उद्योगों को चौबीस घंटे बिजली देने,
	3—नहरी क्षेत्रों में सिंचाई हेतु भरपूर मात्रा में रजबहे चालू रखने,
	4—किसानों को सही समय पर सही मात्रा में सस्ते मूल्यों पर खाद उपलब्ध कराने,
	5—लागत व्यय को ध्यान में रखते हुये किसानों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य प्रदान करने,
	6—प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने,

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री कल्याण सिंह	7—विधान सभा के हाल ही में सम्पन्न हुये सामान्य निर्वाचन में सत्ताधारी दल द्वारा सत्ता के खुले दु पयोग मतदान में गड़बड़ी और गणना में की गई घपलेबाजी की जांच कराने और— 8—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, अतरौली, जिला अलीगढ़ में आवागमन के लिये सड़कों तथा काली नदी पर पुल-निर्माण की कोई घोषणा नही की है।
5—श्री इन्द्रपाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में:— 1—बिजली न मिलने के कारण ठप्प हुये लघु उद्योगों को पूरे समय बिजली देकर, बेरोजगारों को रोजगार देने, 2—बिना मुकदमा चलाये बन्दी किये गये, राज्य कर्मचारियों की, अविलम्ब रिहाई, करने, और 3—प्रदेश के जूनियर इन्जीनियर्स के दो माह से अधिक अवधि से चल रहे आन्दोलन के समाप्त कराने हेतु उनकी मांगों को स्वीकार करने की घोषणा नहीं की।"
6—श्री ओम प्रकाश सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— 1—किसानों को उनकी उपज गेहूं, धान तथा गन्ना का प्रोत्साहक मूल्य देने की, 2—पन बिजली के संकट को दूर करने के लिये अणुशक्ति से बिजली बनाने की, 3—प्रकृति पर निर्भर अनिश्चित सिंचाई व्यवस्था को दूर कर प्रत्येक खेत को पर्याप्त मात्रा में पानी देने की गारन्टी करने की, 4—विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन तथा उनकी सेवा की शर्तों में समानता स्थापित करने की, 5—गंग बरार की भूमि को मल्लाहों में वितरित करने की, 6—मार्जिनल किसानों को सुविधा दिये जाने वाले 6 जिलों में मिर्जापुर का नाम स्पष्ट रूप से जोड़कर प्राथमिकता देने की, 7—किसानों को सिंचाई के लिये 24 घंटे बिजली देने की गारन्टी करने की, 8—गत वर्ष किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार खाद, पानी बिजली आदि न दे पाने के कारण हुई हानि को दृष्टिगत रखत हुये लगान में छूट देने अथवा आग कोई कर न लगाने का आश्वासन दने की कोई घोषणा नहीं की।

क्रम सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रुप

7—श्री आशा राम यादवेश प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—

1—मिर्जापुर व वाराणसी में लगे लाखों बुनकरों व बीड़ी मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने की किसी योजना की,

2—प्रदेश के सभी किसानों को उनकी आवश्यकता भर बिजली मिल सके इसकी गारन्टी देने की,

3—मिर्जापुर नगर में बिजली न मिलने के कारण बर्तन उद्योग के ठप्प होने, बेकार हजारों मजदूरों की दशा सुधारने अथवा उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार देने की, और

4—सम्पूर्ण वेतन व मूल्य सूचकांक के साथ सम्बद्ध करने की कोई घोषणा नहीं की ।

8—श्री हरीश कुमार गंगवार तथा श्री सत्य प्रकाश—

धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जावे:—

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में व्याप्त भुखमरी, बेकारी, महंगाई व तीव्र भ्रष्टाचार को निर्मूल करने के सम्बन्ध में कोई नीति स्पष्ट नहीं की तथा खाद्यान्न, मिट्टी के तेल के वितरण में गड़बड़ी को दूर करन के लिये पग उठाने का कोई संकेत नहीं किया, साथ ही बरेली में रोहिलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना की तिथि घोषित नहीं की और प्रदेश में हड़ताल कर रहे बाईस हजार जूनियर इंजीनियर्स की मांग पूरी करने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया ।

9—श्री राम सजीवन, श्री चन्द्रभान आजाद तथा श्री ऊदल—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में—

1—बांदा जिले में हरिजनों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के ऊपर होने वाल अन्याय एवं अत्याचारों,

2—बांदा में पेयजल और सिंचाई सुविधाओं, और

3—बांदा जिले में शिक्षा का प्रसार, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालज और पशु-चिकिसा प्रशिक्षण कालेज की स्थापना क बारे में कोई उल्लेख नहीं किया ।

10—श्री ऊदल—

धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में—

(1) वाराणसी जिले में कछवां-बड़ागांव सड़क पक्की तथा उसी म पड़न वाली बरुण नदी म कालिका धाम में पुल कब तक

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		तथा भोजूपीर से, गड़खड़ा तक पक्की सड़क कब तक बनेगी, जिक्र नहीं किया और बसनी से बरही नवादा, फूलपुर से धरसौना, पंचकोशी, बाबतपुर, मंगारी से चौबपुर, उठिरांव से बड़ागांव की कच्ची सड़क को पक्का बनाने का जिक्र नहीं किया।
		(2) वाराणसी जिले में नाद नदी में सरायगांव में तथा कुड़ी नाला में उनिपर गांव में पुल बनाने का जिक्र नहीं किया।
		3—नाद नदी के उत्तर गांव गड़खड़ा डगराडीह, सिधोरा, मसई, सराय शेष लाड, दिनदासपुर बेलारी, भगौतीपुर शाहपुर, चारों, नरोप, चितौरा, पतिराजपुर, भदेउली चितोरा, सहमलपुर, कामापुर, धरसौना, देउजीवरवां, गोढ़िया रतनपुर में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाने का जिक्र नहीं किया तथा बैरहना, रामपुर बलुआ द्वितीय, उनियर द्वितीय, जनकपट्टी, हरनाथपुर परगना पन्द्रह व सगुनहा असवारी, कहरका, कैथउली, पिंडरा (असला) चेहरा, परगना कोल असला वाराणसी में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाने की घोषणा नहीं की।
		4—प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकारी हाई स्कूल व इन्टर कालेज खोलने की घोषणा नहीं की।
		5—प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण एवं एक समान शिक्षा सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया।
11	श्री पुरुषोत्तम	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—
		किन्तु खेद है कि:—
		1—(क) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों की 19 मार्च, 1974 से प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के नौ निहालों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। छोटे शिशुओं के पोषण की एक गंभीर समस्या है, बालकों के पौष्टिक आहार का बड़ा अभाव है। जिससे बाल पक्षाघात व अन्य बाल रोगों का प्रसार दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। छोटे शिशुओं के पौष्टिक आहार की योजना का भी उल्लेख अभिभाषण में किया जाना चाहिये था।
		(ख) अल्पवयस्क किशोरों में बढ़ती हुई अपराध की मनोवृत्ति की गंभीर राष्ट्रीय समस्या के मनोवैज्ञानिक ढंग से बाल अपराधों के नियंत्रण के लिये सुनियोजित रचनात्मक पद्धति सरकार द्वारा अपनाये जाने का उल्लेख अभिभाषण म नहीं है।
		2—राष्ट्र पिता गांधी जी के इस सन्देश के अनुरूप कृषि प्रधान देश में हरित क्रांति का स्वप्न खण्डित हो रहा है, डीजल क अभाव में फसल सूख रही है, किसानों में हाहाकार छाया हुआ है। विश्व

क्रम-सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री पुरुषोत्तम	के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डाक्टर नार्मल बोरलांग ने कृषि के लिये अधिकाधिक डीजल की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। डा० बोरलांग ने देश के कर्णधारों को आने वाले वर्षों में कृषि संकट के लिये जो चेतावनी दी है वह गंभीर रूप से विचारणीय है। डा० बोरलांग के अनुसार उद्योगों की अपेक्षा कृषि कार्य के लिये डीजल की अधिकाधिक व्यवस्था की जानी चाहिये। डीजल की वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया है। 3—उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से बड़ा पिछड़ा है। स्वर्गीय पं0 जवाहर लाल नेहरू ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की कारुणिक दशा से द्रवित होकर वहां औद्योगिक विकास हेतु पटेल कमीशन नियुक्त किया था आज तक पटेल कमीशन की सिफारिश पर कोई अमल नहीं हुआ। अभिभाषण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक पिछड़ेपन की कोई चर्चा नहीं है। 4—सरकार ने उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों की गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया और न तो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में गन्ना उत्पादकों की कठिनाइयों का जरा भी उल्लेख किया है, जब कि चालू सीजन में अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर गन्ना किसानों ने अभूतपूर्व ऐतिहासिक शांतिपूर्ण हड़ताल का एक कीर्तिमान कायम किया। 5—राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में चालू सत्र में लगभग 9 लाख हरिजनों व अन्य खेतिहर मजदूरों को 74 हजार ग्रामों में घर बनाने के लिये जमीन देने का उल्लेख किया है, अन्दाजन एक लाख अठारह हजार एकड़ सीलिंग की भूमि भूमिहीनों में आवंटित किये जाने का उल्लेख किया है किन्तु यह कागजी कार्यवाही तक ही सीमित हैं। तथ्यों की जानकारी के लिये विधान-मंडल माननीय सदस्यों की एक जांच कमेटी इस सम्बन्ध में नियुक्त किये जाने का उल्लेख नहीं किया है कि वस्तुतः भूमिहीनों या हरिजनों में भूमि आवंटित की गयी है या नहीं ?
12—श्री शतरुद्ध प्रकाश	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्न-लिखित का जिक्र नहीं किया है :— 1—कांग्रेसी सरकार ने गत चुनाव में जो धांधली, भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं मतपेटिकाओं की जो अदला-बदली की है, उनका कोई वर्णन नहीं किया है। 2—बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी को समाप्त करने के लिये कोई भी मार्ग निर्देशन नहीं किया है और न ही बिजली, पानी, खाद, की कमी को दूर करने का जिक्र किया है।

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री शतरुद्ध प्रकाश	3—उत्तर प्रदेश के चौकीदारों के वेतन को 10 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये किये जाने का जिक्र न कर उनके साथ अन्याय किया है।
	4—प्रदेश के अन्दर मातृभाषाओं के सार्वजनिक प्रयोग एवं अंग्रेजी के खात्मे की घोषणा नहीं की है।
	5—जाति प्रथा को समाप्त करने और अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने का जिक्र नहीं किया है।
	6—बढ़ती हुई महंगाई को खत्म करने के लिये चीजों के दाम बांधने की घोषणा नहीं की गयी है।
	7—अनाजों के दाम उत्पादन की लागत से ड्योढ़े से ज्यादा बाजार में नहीं होने चाहिये, इसकी घोषणा नहीं की है।
	8—हरिजन उत्थान के लिये कोई ठोस बात नहीं कही है।
	9—शिक्षण संस्थाओं के संचालन एवं शिक्षा के जनतन्त्रीकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। लखनऊ विश्वविद्यालय के अचानक बन्द किये जाने पर विश्वविद्यालय को खोलने एवं बन्द करने के उपकुलपतियों के अधिकार का जिक्र नहीं किया।
	10—इस समय बिना पानी के रबी की खड़ी फसल सूख रही है, इसलिये तत्काल फसल को बचाने के लिये सिंचाई की व्यवस्था करने का जिक्र नहीं किया है।
13—श्री सुबेदार प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:

1—जनपद मिर्जापुर के दक्षिणांचल में तहसील दुद्धी राबर्ट्सगंज को मिला कर जिला बनाने का,

2—राबर्ट्सगंज में डिग्री कालेज, बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ (चतरा) चोपन एवं कोन (चोपन ब्लाक) में उच्चतर हाई स्कूल, चोपन ने आई० टी० आई० एवं राबर्ट्सगंज में पालिटेक्निक कालेज खोलने का;

3—जनपद मिर्जापुर को सूखा क्षेत्र घोषित करने तथा अविलम्ब देय सरकारी वसूली माफ करने तथा सस्ता गल्ला एवं राहत कार्य खोले जाने का;

4—टा० राबर्टसगंज की जनता के वन विभाग में लकड़ी, बगई, बांस, घरेलू प्रयोग के लिये निश्चित मात्रा तक भी देने तथा बनवासियों का एक मात्र जीवकोपार्जन का सहारा महुआ, हर्र, बहेरा आंवला एवं चिरौंजी को छूट देने का;

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	श्री सूबेदार प्रसाद	5—त० राबर्ट्सगंज, दुद्धी आदि की वर्ग 4 आदि का अविलम्ब बन्दोबस्त कराने का;
		6—मिर्जापुर के औद्योगिक कारखानों में स्थानीय व्यक्तियों को नौकरियों में प्राथमिकता देने का;
		7—डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगों को पूरा करने का;
		8—राबर्ट्सगंज के पहाड़ी क्षेत्रों में पलगंज, बसुहरी, मलखन से गुरदह एवं ओबरा से सिल्पी मध्य प्रदेश की सीमा तक सड़कों का निर्माण कराये जाने का;
		9—कोन काटा सड़क के बीच कनहर नदी तथा कोन-बिन्डमगंज सड़क के बीच पान्डु नदी पर पुल निर्माण कराने का,
		10—राबर्ट्सगंज चुर्क क्षेत्रों में चोपन वन में बिजली देने का;
		11—राबर्टसगंज से ट्यूबवेल तथा धांधर नदी से सलखन बसुईटंक को पानी देने तथा कर्मनाशा पर चेकडैम, नरगवां बंध, बड़ी नहर पर पनिप के पास लिफ्ट तथा कोन को पाण्डु नदी पर छलका एवं नालों पर बांध निर्माण कराने का;
		12—रामगढ़-चतरा के हसुआ नाला पर पुल निर्माण कराने का;
		13—भूमिहीन हरिजनों को कम से कम 10 बिस्वा भूमि आवंटित करने का;
		14—किसानों को 24 घंटे बिजली एवं पानी के रेट कम करने का ;
		15—राबर्ट्सगंज क्षेत्र से मास्टर प्लान हटाने का;
		16—राबर्ट्सगंज एवं दुद्धी क्षेत्र में शुष्क कृषि योजना लागू करने का;
		17—मिर्जापुर में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने का, तथा
		18—ओबरा बांध का पुल आवागमन के लिये निःशुल्क करने का तथा चोपन बैरियर का टोल टैक्स समाप्त करने का ।
14	श्री शिव सम्पत्ति राम	प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय:—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने निम्नलिखित घोषणाएं नहीं हैं—

1—मिर्जापुर जिले में पड़े सूखे के कारण होरही बरबादी के सहायतार्थ राहत कार्य, फ्री किचेन, खोले जायेंगे ।

2—मिर्जापुर जिला के दुद्धी क्षेत्र में पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकान खोली जायेंगी ।

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	3—दुद्धी क्षेत्रों में अब तक बाकी सरकारी वसूलियां माफ कर दी जायेंगी तथा महुआ का ठेका फ्री कर दिया जायगा ।
	4—मिर्जापुर जिला में दुद्धी क्षेत्र के वनों में रहने वाले वनवासियों के जीवन यापन के लिये हर्रा, बहेरा, आंवला, गोंद, बगई आदि का व्यापार फ्री कर दिया जाय ।
	5—मिर्जापुर जिला के दुद्धी क्षेत्र में कनहर नदी पर पुल, भरहरी नवारी, जुगेल पर सोई से ओबरा तक पक्की सड़क का निर्माण तथा ओबरा बांध पर जाने के लिये सड़क का निर्माण तत्काल किया जायगा ।
	6—मिर्जापुर जिले के बिढमगंज में एक राजकीय कालेज, दुद्धी में बालिका इन्टर कालेज तथा बम्हनी में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की जायगी । दुद्धी डिग्री कालेज में विज्ञान तथा भूगोल की व्यवस्था होगी । चोपन या दुद्धी में आई० टी० आई० खोला जायगा ।
	7—मिर्जापुर जिले के दुद्धी क्षेत्र के झारोखास में एक राजकीय औषधालय खोला जायगा तथा इस क्षेत्र में जिन अस्पतालों में भवन नहीं हैं वहां भवन बनाये जायेंगे ।
	8—दुद्धी क्षेत्र के बिढमगंज तथा सांगाबांध, बचराव मन्त्री मेवरपुर, जरहा के बीच राजकीय बस सेवा प्रारम्भ की जायगी ।
	9—बीड़ी पत्ते के व्यापार का राष्ट्रीयकरण समाप्त किया जायगा ।
	10—दुद्धी क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था होगी तथा लाख के व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा ।
	11—मिर्जापुर जिले के औद्योगिक संस्थानों (निजी तथा सरकारी) स्थानीय जनता को नौकरी देने में प्राथमिकता दिया जायगा ।
15—श्री बाबा राम नाथ तथा श्री भगवती सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :
	1—सत्तारूढ़ दल धन सत्ता आदि के दुरुपयोग और भ्रष्ट तरीकों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बाद भी राज्य में पड़े वैध मतों का केवल एक तिहाई से भी कम मत प्राप्त कर सका । अतः नई सरकार जनता के अल्पमत का ही प्रतिनिधित्व करती है । भ्रष्ट तरीकों और धन तथा सत्ता के दुरुपयोग से जनतन्त्र की परम्पराओं को सत्तारूढ़ दल ने गहरी ठेस पहुंचाई है ।
	2—मौजूदा सरकार राज्य में जमाखोरी और तस्करी को रोकने में और कमजोर वर्गों को बढ़ती हुई कीमतों के कुप्रभाव से

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

बचाने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस तरह की बनाई गई है कि बड़े और छोटे शहरों तथा शहरी और देहाती क्षेत्रों में भेद-भाव बरता गया है। यह वितरण प्रणाली अक्सर लुञ्ज हो जाती है और राशन की दुकानों से हफ्तों खाद्यान्न, शक्कर, वनस्पति घी आदि गायब रहते हैं। जनता के बहुत बड़े हिस्से को जीवनोपयोगी वस्तुओं की पूर्ति के लिये चोरबाजार पर निर्भर रहना पड़ता है जिसमें कीमतों की बेतहाशा वृद्धि को रोकने में प्रशासन तथा राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किये गये समस्त अध्यादेश निरर्थक सिद्ध हुए हैं।

3—खाद्यान्नों के थोक व्यापार के अधिग्रहण की योजनाओं को जानबूझ कर इसलिये असफल कर दिया गया कि सरकार बाजार में बिकने वाले खाद्यान्नों के अधिकांश भाग के उत्पादक भू-स्वामियों और सम्पन्न बड़े कृषि उत्पादकों से उनके बाजार में बिकने के लिये पैदा किये गये अतिरिक्त खाद्यान्न के अधिकांश भाग को अनिवार्य वसूली के रूप में लेने को तैयार नहीं थी। यह अतिरिक्त पैदावार जानबूझ कर चोरबाजार में जाने दी गई और अब सरकार इस योजना में कदम ब कदम हटकर चोरबाजारियों और भू-स्वामियों को आगे पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रही है।

4—राज्य सरकार ने खेत मजदूरों, बीड़ी मजदूरों अथवा अन्य असंगठित उद्योगों के मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन की दरों आदि के सम्बन्ध में जो आदेश जारी किये वे अधिकतर कागज पर बने रहे क्योंकि उनको प्रभावी रूप से कार्यान्वित कराने के लिये आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था नहीं लागू की गई। सेवायोजक अभी तक अधिकांश जगहों पर मनमानी दरों से वेतन दे रहे हैं।

5—राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन को कुचलने और उनमें फूट डालने का सरकार बराबर प्रयत्न कर रही है। उनके जाने माने दो नेताओं सर्वश्री पी0 एन0 शुकुल तथा शिव कुमार मिश्र को लगभग 10 माह से अकारण जेल में बन्द रखा जा रहा है और अब चुनाव के बाद श्री शुकुल को नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है जो निश्चित रूप से बदले की भावना से प्रेरित एक कदम है।

6—उत्तर प्रदेश में जल विद्युत् के निर्माण की जितनी सम्भावनायें थी उनका आज बहुत कम इस्तेमाल किया गया है तथा जो परियोजनायें निर्माणाधीन भी हैं उनको पूरा करने में अनावश्यक देरी की जा रही है। राज्य में ट्रांसमिशन लाइनों के राजनीतिक दबाव के फलस्वरूप अनियोजित प्रसार बिजली और उसके तार और ट्रांसफार्मरों की चोरी को रोकने में असफलता के फलस्वरूप जितनी बिजली बनती है उसका एक तिहाई के करीब भाग बेकार चला जाता है। खराब रख-रखाव और मशीनों के अकुशल संचालन के कारण विद्युत् क्षमता का बड़ा भाग इस्तेमाल में नहीं आता और सार्वजनिक धन से निर्मित विद्युतगृहों से जनता को बिजली

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		नहीं मिल पाती। इस प्रकार राज्य का विद्युत् संकट मानव निर्मित संकट है जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य विद्युत परिषद् के निकम्मेपन की है। नई सरकार ने आते-आते 25 प्रतिशत की बिजली की कटौती करके अपने निकम्मेपन का एक और प्रमाण प्रस्तुत किया है।
		7—उत्तर प्रदेश में जिस अनुपात में अनुसूचित तथा जनजातियों के लोग रहते हैं उसकी तुलना में इन जातियों के लोगों को नौकरियों में स्थान नहीं दिया गया है तथा प्रशासन की अब तक की नीति इन जातियों के प्रति अत्यन्त उपेक्षापूर्ण रही है। सरकार हरिजनों पर आये दिन होने वाले हमलों को रोकने में पूरी तरह से असफल रही है तथा इस राज्य में असंख्य हरिजन अत्यन्त नारकीय अवस्था में दिन काट रहे हैं।
		8—राज्य में भूमिसुधारों के सम्बन्ध में जो भी कानून अब तक बनाये गये हैं वे गरीब और छोटी जोत वाले किसानों को अपनी भूमि पर सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए हैं जिसके फलस्वरूप 1951 के बाद से इस राज्य में खेत मजदूरों की संख्या लगभग तिगुनी हो गई है।
		9—राज्य के सबसे बड़े उद्योग बुनकर उद्योग को आवश्यक मात्रा में सूत, स्टेपुल रंग तथा आवश्यक कच्चा माल की पूर्ति कराने में प्रशासन पूरी तरह से असफल रहा है और यह वस्तुयें बुनकरों को अधिकतर चोरबाजारी में बहुत बढ़े हुए मूल्यों पर खरीदनी पड़ती है। नियंत्रित मूल्य भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं जिसका एक मात्र उद्देश्य सूत के निर्माता जैपुरिया जैसे अरबपतियों को मुनाफा पहुंचाना है। बुनकरों के तैयार माल की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था सरकार ने अब तक नहीं की है। इन सब कारणों से यह उद्योग भयंकर संकट के दौर से गुजर रहा है और लाखों बुनकर परिवार भुखमरी के शिकार हैं।
		10—गत दो वर्षों में चीनी उद्योग में बेतहाशा मुनाफा लगातार बढ़ते हुये मूल्यों के कारण हुआ है जिन्हें बढ़ने से रोकने का सरकार ने कोई भी प्रयत्न नहीं किया। इन बढ़े हुए मुनाफों के अनुपात में उद्योग-पति न तो गन्ने का मूल्य बढ़ाने को तैयार हैं और न मिल मजदूरों के वेतन और भत्ते तथा सरकार उन्हें गन्ने का उचित मूल्य देने तथा मजदूरों को उचित वेतन और भत्ते दिलवाने के लिये आवश्यक कदम नहीं उठा रही है।
		11—सरकार ने जानबूझ कर चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को खटाई में डाल दिया है और राज्यपाल के अभिभाषण से पता चलता है कि निकट भविष्य में राष्ट्रीयकरण का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	12—शिक्षा के राष्ट्रीयकरण और अध्यापकों को सीधे राजकीय कोष से वेतन दिलवाने के प्रश्न को भी सरकार बराबर टालती चली जा रही है।
	13—चुनाव के पहले हुये मेरठ के हिन्दू-मुसलिम दंगों और राजधानी में इस समय होने वाले शिया-सुन्नी दंगों के समय पुलिस की सतर्कता में निन्दनीय रूप से कमी इस बात को सिद्ध करती है कि प्रशासन साम्प्रदायिक शक्तियों को अपनी घृणित कार्यवाहियां करने से रोकने में पूरी तरह से असफल रहा है। हाल के चुनावों में मुसलिम मतों को प्राप्त करने के लिये शासक दल ने जिस प्रकार से विभिन्न फिरकों के मुसलिम सम्प्रदायवादियों को इस्तेमाल किया है और बढ़ावा दिया है उसी का भयावह परिणाम लखनऊ नगर में शिया-सुन्नी दंगों के रूप में प्रकट हुआ है।
	14—गत वर्ष के मई माह के समय पुलिस तथा पी० ए० सी० के जवानों में अपनी सेवा की हालतों, अधिकारियों के दुर्व्यवहार तथा बढ़ती हुई महंगाई के कारण असन्तोष प्रकट हुआ जिसके कारण का पता लगाकर उन्हें दूर करने तथा दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने के बजाय हजारों जवानों को बर्खास्त कर दिया गया जिनमें से सैकड़ों व्यक्ति आज भी जेलों में बन्द है।
16—कुंवर श्रीपाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में जोड़ दिया जाये कि:—
	1—खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रजातन्त्र के विकास हेतु, चुनावों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग, मतदाता को उत्कोच देने तथा जातिवाद आदि को समाप्त करने का जिक्र नहीं किया है।
	2—खेद है कि बांदा क्षेत्र सुलतानपुर जैसे अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में नलकूपों का जाल बिछाकर सिचाई की उन्नति करने का जिक्र नहीं किया है।
	3—खेद है कि सड़कों के बनने जैसे खेतों के खराब होने से बचाने के लिये नहरों की पटरी की बारहमासी सड़कों में परिवर्तित करने का जिक्र नहीं है।
17—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय:—
	किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में—
	1—पूर्वांचल के त्वरित विकास के लिये किसी योजना पर प्रकाश नहीं डाला,
	2—बार-बार घोषणा के पश्चात् भी प्रदेश में चीनी उद्योग के विषय में कुछ नहीं कहा।
	3—माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के विषय में कोई संकेत नहीं दिया,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4—डिप्लोमा इंजीनियर्स न्यायोचित मांग के लिये दो माह से संघर्षरत हैं, उनके विषय में कोई चर्चा नहीं की, 5—खेत में उत्पादित वस्तुओं के उचित मूल्य का आश्वासन किसानों को नहीं दिया गया; 6—गोरखपुर जनपद की पिपराइच चीनी मिल बन्द है, लाखों रुपये किसान एवं मजदूरों को मिलने हैं, इसी प्रकार घुघली चीनी मिल का प्रबन्धक भी किसान एवं मजदूरों का लाखों रुपये लेकर बैठा है, इन बातों का भी उल्लेख नहीं है, तथा 7—इलाहाबाद जिले के सिराथ रेलवे स्टेशन पर रेल भाड़ा वृद्धि के विरोध में सोशलिस्ट पार्टी के अहिंसक सत्याग्रहियों पर गोली चलाई गयी, जिसमें एक दर्जन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, इस घटना पर भी प्रकाश नहीं डाला।
18	श्री रामप्रकाश त्रिपाठी	महामहिम राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— 1—इस वर्ष के भयंकर तुषारापात से रबी की फसल के व्यापक विनाश से पीड़ित किसानों को सुविधा देने की कोई चर्चा नहीं की है, यद्यपि इस वर्ष फर्रुखाबाद जनपद में लगभग 75 प्रतिशत गेहूं की फसल में दाना नहीं पड़ा है। 2—सारे प्रदेश में विशेष रूप से फर्रुखाबाद जनपद में फैली अराजकता, जिसमें खुले रूप से डकैतियां, लूट व हत्याओं की आई हुई बाढ़ जिससे जनजीवन त्रस्त हो उठा है और शासन के अस्तित्व का विश्वास ही उठ गया है, की कोई चर्चा नहीं की है।"
19	श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरि केवल प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में— 1—इस भीषण महंगाई के दौर में सरकार की दाम नीति की चर्चा नहीं की गई। 2—चीनी, कपड़ा, जूट आदि मिलों के बिना मुआवजे के राष्ट्रीयकरण की चर्चा नहीं की गई। 3—बीस रुपये क्विंटल गन्ने का दाम किसानों को देने की घोषणा नहीं की गई। 4—पुलिस-पी0 ए0 सी0 के ऊपर फौज द्वारा अकारण गोली चलाने से 300 लोग मरे, 250 जवान जेलों में बन्द हैं तथा 3,000 पुलिस कर्मचारी नौकरी से अकारण बर्खास्त कर दिये गये हैं, उन्हें तत्काल नौकरी पर लेने की घोषणा नहीं की गई और न मृतक परिवारों को मुआवजा देने की कोई चर्चा है। 5—सीलिंग के कानून की कमजोरियों से फायदा उठाते हुए और भ्रष्ट नौकरशाही से मिल कर किस प्रकार बड़े-बड़े भूमिपतियों

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		ने अपनी जमीनें बचायी हैं और मौजूदा कानून के अनुसार जो जमीन भूमिहीनों को मिल सकती थी उनको वास्तव में उपलब्ध नहीं करायी गयी, इसकी भी चर्चा नहीं की गई है।
		6—पूर्वांचल एवं प्रदेश की बेरोजगारी मिटाने के लिये कोई स्पष्ट योजना पेश नहीं की गई है।
		7—साम्प्रदायिक भेदभाव मिटाने के लिये सरकार की नीतियों की कोई चर्चा नहीं की गई है।
		8—विधान सभा के चुनाव में सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्ता के दुरुपयोग, कालेधन का उपयोग तथा किये गये भ्रष्टाचार की जांच के लिये निष्पक्ष आयोग के गठन की कोई चर्चा नहीं की गई है।
		9—दसवीं दर्जे तक के विद्यार्थियों की फीस माफी की चर्चा नहीं की गई है।
		10—दस बीघे तक के खेत की मालगुजारी समाप्त करने की घोषणा नहीं की गई है।
		11—मांटेसरी कान्वेन्ट एवं शिशु मन्दिर जैसे विद्यालयों को समाप्त कर सामान्य शिक्षा प्रणाली की घोषणा नहीं की गई है।
		12—बिजली की कमी एवं नियमित रूप से सप्लाई न करने के कारण जो कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है।
		13—रासायनिक खाद की कमी को दूर करने, वितरण व्यवस्थाओं में सुधार करने एवं खाद की चोरबाजारी रोकने के लिए किसी प्रभावकारी कदम उठाने की ओर संकेत नहीं है।
		14—पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये किसी ठोस कार्यक्रम की घोषणा नहीं है।
		15—पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये बाढ़-कटाव रोकने के लिय घाघरा-राप्ती की 180 करोड़ की परियोजना की संस्तुति नहीं की गई।
		16—देवरिया जनपद में भागलपुर में घाघरा पर पक्का पुल, महुआपाटन पुल (छोटी गंडक), भटनी में पुल (छोटी गंडक), चुनकी में पुल (छोटी गंडक), कपरवार पटना घाट पर पुल के प्रस्तावित निर्माण की कोई योजना नहीं है।
		17—देवरिया जनपद में चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने एवं आबादी से वंचित किये हरिजनों को आबादी देने आदि की चर्चा नहीं है, तथा
		18—देवरिया में कागज मिल, भटनी में बोन मिल एवं लौह उद्योग, सलेमपुर में अल्मुनियम उद्योग खोलने की योजना नहीं है।

क्रम-सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
20—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित की घोषणा नहीं की:— 1—फैजाबाद में दूध की डेरी खोलने । 2—फैजाबाद जिले के पूरा ब्लाक में पूरा से टांडा तक सड़क निर्माण । 3—फैजाबाद में किसी बड़े उद्योग को खोलने । 4—टांडा में लगे हजारों बुनकरों व मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने की किसी योजना । 5—फैजाबाद जिला जेल में बन्द जूनियर इंजीनियरों को रिहा करने एवं जिला जेल में पूरी सुविधा देने की ; तथा 6—फैजाबाद जिले की सदर तहसील में पूरे सीजन में नहरों को न खोलने के कारण फसल नष्ट हो गई और किसानों को फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान में सुविधा देने ।
21—डा0 जितेन्द्र कुमार अग्रवाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— 1—उन क्षेत्रों में जहां बराबर बाढ़ आती रहती है वहां बाढ़ की रोकथाम की व्यवस्था का जिक्र नहीं किया । 2—बिक्री-कर को एक सूत्रीय करने का आश्वासन नहीं दिया । 3—विकास-कर जो किसानों के ऊपर भारी बोझ है उसे समाप्त करने की घोषणा नहीं की ।
22—श्री बेनी प्रसाद वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :— 1—पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया वर्षों से बकाया चला आ रहा है । उक्त रकम मिल मालिकों की तिजोरी से निकलवा कर समाज के पोषक किसान को दिलाने का कोई जिक्र नहीं किया । बाराबंकी की बुढ़वल शुगर मिल पर उक्त बकाये की रकम इतनी बढ़ चुकी है कि किसान गन्ना की खेती से ही नफरत करने लगा है । बुढ़वल चीनी मिल सरकारी रिसीवर की देख-रेख में चल रही है परन्तु मिल मालिक के समय में उतना बकाया नहीं होता था जितना रिसीवर के समय में बकाया बढ़ता जा रहा है । उक्त बकाये में कांग्रेस की भ्रष्ट चुनाव प्रणाली भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है । जब से उक्त मिल सरकारी रिसीवर की देख-रेख में चली, उत्तर प्रदेश में तीन आम चुनाव सन् 1969, 1971 व 1974 में हुए और इन्हीं वर्षों में अधिकतम बकाया भी हैं । इससे साफजाहिर है कि रिसीवरशिप में चल रही बुढ़वल शुगर मिल पर

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	किसानों के बकाये की जिम्मेदारी भ्रष्ट अफसरशाही व सत्ता कांग्रेस पर है। परन्तु न तो उक्त तथ्यों का ही संकेत किया गया और न बकाया दिलाने का ही संकेत किया गया। 2—प्रदेश के पिछड़े देहाती क्षेत्रों में यातायात की सुविधा समुचित रूप से उपलब्ध कराने का संकेत नहीं है। जिला बाराबंकी के दरियाबाद क्षेत्र में यातायात की सुविधा के नाम पर शून्य है। मुख्य मार्ग फैजाबाद रोड को जाने के लिये कल्यानी नदी पर एक-मात्र पुल गोकुला महीनों से खराब है केवल पैदल यात्री ही निकल पाते हैं। उक्त क्षेत्र में न तो कोई निजी न सरकारी बस चलती है। उक्त क्षेत्र में कल्यानी नदी पर बने गोकुला पुल की मरम्मत होनी चाहिये। दो नये पुल गाजीपुर व रामपुर में बनना नितान्त आवश्यक है किन्तु महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 3—नहर सिंचाई की असुविधा को समाप्त करने का कोई संकेत नहीं है। जिला बाराबंकी में हैदरगढ़ व दरियाबाद ब्रांच से सिंचित क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से समय पर पानी न मिलने से फसल को अपार क्षति हो रही है। किसानों की गृहस्थी टूटती जा रही है। इस पर भी महंगी दर। परन्तु नहरों में सुचारु रूप से पानी चलाने और सिंचाई दर कम करने का कोई जिक्र नहीं किया है।
23	श्री रामअधार राय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न-लिखित का उल्लेख नहीं किया है — 1—आजमगढ़ जिले के गोपालपुर क्षेत्र में महाराजगंज तथा सरदहा में जहां पुल बनना बहुत ही आवश्यक है, 2—जैगहा से जैराजपुर होते हुए कन्धरापुर जाने वाली सड़क के निर्माण का, 3—महराजगंज व बिलरियागंज में एक राजकीय बालिका विद्यालय (इन्टर) खोला जाना नितान्त आवश्यक है, 4—महराजगंज तथा सरदहा से शंकरपुर तक की सड़क का निर्माण करना व दोनों सड़कों के बीच से एक सड़क द्वारा मिलाने का, 5—इस क्षेत्र के द्वारा क्षेत्र में एक चीनी मिल का खोलना अति आवश्यक है, 6—सिंचाई की दरों में कमी की जाये तथा बिजली पर्याप्त मात्रा में दी जाय और इसकी पूर्व जानकारी किसानों को दी जाय, 7—सराय काजी से सरदहा तक की सड़क को पक्का बनाया जाय,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8—आजमगढ़ जिले में बालकों के लिये राजकीय विद्यालय खोला जाय,
		9—उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र में सगड़ी में लघु उद्योग खोला जाय,
		10—गोपालपुर के उत्तरी क्षेत्र में पुलिस थाना की व्यवस्था की जाय, तथा
		11—विकास-कर को समाप्त किया जाय।
24	श्री ओम प्रकार सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—
		किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—
		1—समान-कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार करने की,
		2—शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार की गारण्टी देने की,
		3—बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की स्पष्ट, निश्चित व विस्तृत कार्यक्रमों, योजनाओं आदि को बनाने तथा कार्यान्वित करने की,
		4—न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये निश्चित योजना की,
		5—गांवों को चिकित्सा की व्यापक सुविधा देने की,
		6—किसानों पर लगे विद्युत् अधिभार तथा भूमि विकास कर को समाप्त करने की,
		7—रिहन्द बांध में बड़ी नदियों से पानी उठा कर पानी भरने की व्यवस्था की,
		8—चुनार में गंगा नदी पर पुल बनाने की,
		9—चुनार के मिट्टी खिलौना उद्योग का विकास करने की,
		10—चुनार तथा राबर्ट्सगंज तहसील (मिर्जापुर) की गरीब मजदूर "बियार" जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखने की,
		11—बिक्री-कर प्रणाली को सुविधाजनक बनाने की, तथा
		12—खाद्यान्न महंगाई के लिये जिम्मेदार गल्ला व्यापार अधिग्रहण समाप्त करने की घोषणा नहीं की।
25	श्री आशाराम यादवेश	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—
		किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :
		1—भूखे नंगे लोगों के लिये भोजन, वस्त्र व निवास की व्यवस्था की योजना,
		2—बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के उपायों की,
		3—जो नहरें इस समय प्रदेश में हैं उनसे किसानों के आवश्यकता भर पानी देने,

क्रम-सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	4—बेकार नौजवानों के काम की व्यवस्था, 5—जो बिजली हरिजन बस्तियों में पहुंचाई गई उसे हमेशा जलते रहने की व्यवस्था, 6—सूत बनाने के लिये नई कताई मिलों के स्थान पर छोटे उद्योग के रूप में सूत बनाने की व्यवस्था, 7—सामानों में मिलावट को रोकने, 8—खुले हुए, अस्पतालों के ठीक ढंग से चलने की व्यवस्था, 9—मिर्जापुर एक औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर एक औद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना।
26—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणाएं नहीं कीं— 1—मुरादाबाद नगर में पेयजल की कठिनाई के निवारणार्थ कोई समुचित कदम उठाने, 2—बिक्री-कर लगाने की न्यूनतम सीमा की छूट 12 हजार रुपये प्रति वर्ष की बिक्री के स्थान पर 25 हजार रुपया करने, 3—मुरादाबाद में मेडिकल कालेज खोलने, तथा 4—मुरादाबाद नगर में उच्च न्यायालय की एक बेंच खोलने।
27—श्री झाम लाल अहरवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित की घोषणा नहीं की— 1—फर्रुखाबाद जनपद के अन्तर्गत कन्नौज तहसील में खाद्यान्न की कमी को दूर करने। 2—जिला फर्रुखाबाद के डड़वारी क्षेत्र में जहां 2 लाख किसान हैं स्वतंत्रता के 27 वर्षों के बाद भी कोई माध्यमिक शिक्षा, स्कूल, सड़क तथा सरकारी नलकूप की व्यवस्था न किये जाने। 3—जिला फर्रुखाबाद के बधलाल क्षेत्र में कोई सड़क, माध्यमिक स्कूल खोलने, तथा 4—जिला फर्रुखाबाद के कन्नौज विधान सभा क्षेत्र में आवागमन के लिये काली नदी पर पुल की व्यवस्था।
28—श्री तीरथराम कोहली	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का जिक्र नहीं किया— 1—इलाहाबाद जिले में द्वाबा क्षेत्र में कच्ची सड़कों को पक्की करवाने की, जिसमें खास तौर से पीपलगांव से असरावे खुर्द तक की सड़क, पीपलगांव से गांजा ग्राम, चौकी, करामत से करेहदा,

क्रम-सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	आदि ग्रामों को जानेवाली सड़क, जी0 टी0 रोड से बम्हरौली गांव, जी0 टी0 रोड से फतेहपुर गांव आदि तक की सड़कें हैं,
	2—रबी की फसल पाले के कारण नष्ट होने का जिक्र श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया परन्तु इससे हुई किसानों को हानि और उनको उचित मुआविजा जिसमें लगान तथा तकावी आदि की वसूली को रोकना, किसानों को ऋण मुक्त कर्ज देना और पाला आदि का आगे प्रकोप न हो, उसकी व्यवस्था,
	3—इलाहाबाद जिले की चायल तहसील के करेहदा ग्राम के आसपास यहां कोई भी नलकूप राज्य सरकार का नहीं है। वहां पाले के प्रकोप से बचाव के लिये जमुना नदी के लिफ्ट योजना से सिंचाई के प्रबन्ध का,
	4—प्रदेश के अन्दर बढ़ती हुई अराजकता और इलाहाबाद जिले की सिराथू तहसील म हुई गोलीकांड की न्यायिक जांच तथा गोलीकांड से पीड़ित व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिये जाने,
	5—फूलपुर में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा खाद के कारखाने का जो शिलान्यास किया गया, उस कारखाने के लिये बिजली की पूर्ति कहां से होगी, जब कि प्रदेश में चालीस प्रतिशत बिजली की कटौती की गई है और अधिकांश कारखाने बिजली न मिलने के कारण बन्द पड़े हैं जिसम गोरखपुर की खाद फैक्टरी पूरी बिजली न मिलने के कारण उत्पादन क्षमता आधी से कम रह गई है तो फूलपुर में लगने वाले खाद कारखाने को बिजली कहां से प्राप्त होगी,
	6—गेहूं एवं गल्ले आदि को प्रदेश के अन्दर हर स्थान पर ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने, तथा
	7—गेहूं व्यापार सरकार के हाथ में आने के कारण मूल्य वृद्धि तथा प्रदेश में गेहूं की कमी हुई और सरकार इस कार्य में विफल सिद्ध हुई जैसा कि देश के राष्ट्रपति ने भी इसका उल्लेख किया है। इस व्यापार को सरकार द्वारा अब नहीं चलाये जाने।
29—श्री सत्यपाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—
	किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—
	1—बिजली की सप्लाई कम होने से गन्ना मिलों के पूरे समय काम न करने के कारण, प्राइवेट गन्ना मिल मालिकों द्वारा किसानों को गन्ने की अधूरी कीमत देने एवं जिला शाहजहांपुर में गन्ना कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, परची वितरण में गड़बड़ी आदि को समाप्त करने, गन्ना की शीघ्र खपत तथा तिलहर में, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत गन्ना मिल के शीघ्र निर्माण के विषय में,
	2—तहसील तिलहर व जलालाबाद जिनके मध्य रामगंगा व बहुगुल नदियां निकलती हैं और पिछले वर्ष अभूतपूर्व बाढ़ आने से दोनों तहसीलों की सारी फसलें नष्ट हो गईं, मकान गिर गये,

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		इस वर्ष रबी की फसल भीषण सूखे एवं पाले से नष्ट हो जाने से उत्पन्न क्षति के लिये अनुदान एवं राहत प्रदान करने के विषय में, 3——कुछ गाड़ियां एवं बसों की संख्या कम कर दिये जाने के कारण जिला शाहजहांपुर के यात्रियों की भीषण परेशानियों को दूर करने हेतु बसों की संख्या बढ़ाये जाने एवं कटरा, तिलहर के लिये सिटी बस सर्विस प्रारम्भ करने के विषय में, 4——म्युनिसिपल बोर्ड तिलहर जिसकी जन-संख्या 30 हजार से भी अधिक है, पूरे समय बिजली दिये जाने के विषय में ।
30	——श्री जगन्नाथ सिंह	प्रस्ताव के अन्त में जोड़ दिया जाय:—— किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणायें नहीं कीं:—— 1——बांदा जिले में एक राजनैतिक दल के निरन्तर प्रयास से हरिजन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को बरगला कर अकारण वर्ग संघर्ष खड़ा करने की योजना के विरुद्ध कार्यवाही करने, 2——बांदा जिले में विशेष कर जसपुरा क्षेत्र, महौन्ध क्षेत्र में सिंचाई एवं पेय जल की समस्या के समाधान के लिये बड़े पैमाने पर कार्य प्रारम्भ करने, 3——बांदा जिले में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों का समुचित उपयोग हो सके इस हेतु औद्योगी करण किये जाने पर विशेष बल देने, 4——उत्तर प्रदेश में पिछड़ा जिला बांदा और बांदा जिले में पिछड़ा जसपुरा ब्लाक क पिछड़पन को दूर करने के लिये वर्ग शिक्षा, यातायात एवं अस्पताल, पशुसेवा केन्द्रों की विशेष व्यवस्था, 5——बांदा जिले के तिरहार क्षेत्र को जोड़ने के लिये केन नदी पर पुल बनाकर बांदा जसपुरा मार्ग सुगम कर दिया जाये, 6——जिस भीषण पाले के कारण नष्ट हुई फसलें जिससे सामान्य जीवन त्रस्त हो रहा है सहायतार्थ सरकारी वसूलियां माफ कर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिये सस्ते गल्ले की दुकान खोले जाने की, तथा 7——शहरी और ग्रामीणों के बीच वितरण होने वाले आवश्यक जीवनोपयोगी सामान में सौतेला व्यवहार बन्द करने की ।
31	——श्री मन्ना लाल	प्रस्ताव के अन्त में जोड़ दिया जाय:—— किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणायें नहीं कीं:—— 1——गत आम चनाव में हुई धांधलियों, बेईमानी, भ्रष्ट आचरण की जांच कराने, 2——हरिजनों व मुस्लिम वोटों को आतंक द्वारा हथियाने तथा पैसे द्वारा वोटरों के खरीदने,

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री मन्ना लाल	3—हरिजनों तथा सैनिकों को जो कि भूमिहीन हैं उन्हें कृषि योग्य भूमि दिलाने,
	4—खीरी जनपद में मिलों में गन्ने के दाम कम दिये जाने तथा क्रशरों पर 4 रु० से 7 रु० तक ही प्रति कुंटल दाम दिये जाने एवं गरीब किसानों को अपने परिश्रम तथा लागत भर के दाम दिलानें,
	5—हरिजनों पर आये दिन अमानुषिक अत्याचारों को रोकने तथा अत्याचार करने वालों को दंडित करने,
	6—हरिजनों को सरकारी नौकरियों में स्थान दिये जाने की कागजी कार्यवाही को कार्यरूप में परिणित करने,
	7—खीरी जनपद की तहसील मोहम्मदी के क्षेत्र में मोहम्मदी से पसगवां जाने वाली सड़क तथा मोहम्मदी से औरंगाबाद जाने वाली सड़क के पुखता कराने,
	8—खीरी जनपद के मोहम्मदी क्षेत्र के खतरनाक नाले पर हरिहरपुर-बढ़वारी के बीच तथा गुलौली व बौधीखुर्द के बीच नाले पर पुलिया बनवाने,
	9—खीरी जनपद में मिट्टी का तेल, डीजल, सीमेन्ट, खाद, शकर, डालडा का अति अभाव है तथा दूनी, चौगुनी कीमत पर मिल पाता है, उसे ठीक कराने की सुविधा,
	10—खीरी जनपद में डकैतियां, कत्ल, आगजनी की इतनी अधिकता है कि आम जनता का जनजीवन ही बेकार है, उसे ठीक कराने की व्यवस्था, तथा
	11—उत्तर प्रदेश के जूनियर इंजीनियर, डाक्टरों, अध्यापकों तथा मजदूरों की न्यायोचित मांगों को पूरा कराने ।
32—श्री लक्ष्मी प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—
	किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:—
	1—बांदा जिले में पिछड़ेपन को दूर करने के लिये किसी प्रकार की फैक्टरी की स्थापना,
	2—मानिकपुर क्षेत्र में असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिये ट्यूबवेल लगवाने,
	3—मानिकपुर तथा मऊ ब्लाक के कोलों के जीवन निर्वाह के लिये कोई सस्ते गल्ले की दूकानों की व्यवस्था,
	4—मऊ तथा मानिकपुर में लड़कियों की शिक्षा के लिये सरकारी हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज खोलने,
	5—राजापुर, मऊ तथा मानिकपुर में महिलाओं की चिकित्सा के लिये सरकारी अस्पताल खोलने,
	6—पाटा क्षेत्र में पेयजल योजना के अन्तर्गत कई गांवों में पाइप लाइन तथा टंकिया बनी हैं लेकिन उन गांवों में पानी नहीं जा रहा है, वहां पानी देने,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7—कृषि कार्यों एवं लघु उद्योगों को चौबीस घंटे बिजली देने, 8—प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने, 9—राजापुर में एक सरकारी डिग्री कालेज खोलने, 10—गांवों में शहरी कस्बों की भांति यूनिट के अनुसार चीनी, मिट्टी के तेल तथा गल्ला देने की व्यवस्था, 11—भूमि विकास कर समाप्त करने, 12—बीड़ी पत्ते के व्यापार का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने, 13—राजापुर (बांदा) यमुना में बने पीपे के पुल को स्थायी पुल बनाने, 14—सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों की भांति पेंशन, चिकित्सा आदि की सुविधा देने, 15—बांदा जिलें में मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज खोलने, तथा 16—भीषण पाले से रबी की फसल नष्ट हो जाने के कारण किसानों को क्षतिपूर्ति।
33	श्री उमानाथ सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में— 1—उत्तर प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य के लिये बिजली की अव्यवस्था दूर करने, नियमित नलकूपों को चलाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं किया। 2—युवकों की बेरोजगारी मिटाने के लिये शिक्षा को उद्योग पर बनाने की कोई योजना नहीं दी। 3—जौनपुर जनपद में यातायात को सुगम करने के लिये पक्की सड़कों के निर्माण की ओर कोई संकेत नहीं किया। 4—जफराबाद से बेलाबंधा होते हुए देवकली मार्ग व मड़ियाहूं-मछलीशहर मार्ग को पक्का बनाने की किसी योजना की घोषणा। 5—जौनपुर जनपद में बढ़ती हुई शिक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा नहीं की। 6—जौनपुर जनपद में बढ़ती हुई आबादी के कारण कृषि पर भार कम करने, बेकारों को काम देने तथा गरीबी कम करने के लिये किसी उद्योग धंधे की स्थापना का जिक्र नहीं किया। 7—जौनपुर जनपद को प्रति वर्ष आई हुई बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए किसी भी प्रकार की योजना बनाने का उल्लेख नहीं किया। 8—पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को वरीयता देने का उल्लेख नहीं किया।

क्रम-स0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
34—श्री बाबूलाल वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में जोड़ दिया जाय :—

1—राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि जिस शान्तिपूर्ण ढंग से पिछले चुनाव सम्पन्न हुए, यह भी दरअसल इस राज्य की जनता के लिये और आप सब के लिये गौरव का विषय है और इससे लोकतंत्र प्रणाली में हमारी आस्था को बल मिलता है किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सत्ता कांग्रेस द्वारा की गयी धांधलियों, सत्ता एवं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वोटों की चोरी, मतगणना में धांधलियों एवं चुनाव के अवसर पर अनेक स्थानों पर हुई मारपीट, गोलीकांड आदि की न्यायिक जांच कराने की घोषणा नहीं की।

2—राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि सूखा और बाढ़ जैसी कुदरती मुसीबतों का अनेक जिलो पर असर पड़ा। रिहन्द के इलाके में बरसात न होने के कारण राज्य को बिजली की बड़ी कमी का सामना करना पड़ा जिससे उद्योग और खेती दोनों को ही गहरा धक्का लगा। किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, बीज, तकावी व लगान में छूट, कृषकों को सिंचाई के लिये 24 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा नहीं की।

3—राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि थोड़ी दिक्कतों और समस्याओं को हल करने की दिशा में बहुत से कदम उठाये गये और सहायता दी गई किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में सरकारी मशीनरी द्वारा कमजोर वर्ग की सहायता पाने में की गई धांधलियों एवं अनियमितताओं की जांच कराने की घोषणा नहीं की।

4—किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने लखनऊ से बहराइच और गोंडा को जोड़ने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर घाघरा नदी के ऊपर घाघरा घाट के निकट यातायात की सुविधा के लिये पुल निर्माण की घोषणा नहीं की।

5—(1) राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि इस साल गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी होने के बावजूद चीनी उद्योग को गन्ने की बढ़ी हुई कीमत देने के लिये राजी किया गया। अतिरिक्त गन्ने को बेंचने के लिए पावर क्रशरों का लाइसेंस बड़ी उदारता के साथ दिये गये। किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में क्रशर पावर के पाने वालों के साथ सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं धांधलियों की जांच कराने की घोषणा नहीं की,

(2) इस समय किसानों के पास जो गन्ना खड़ा है तथा मिल वाले समय पर लेने से इंकार कर रहे हैं। गन्ना पाइरिया रोग से ग्रस्त है और सूख रहा है। किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभि-

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		भाषण में किसानों का गन्ना बिकवाने, रोग से बचाने तथा उचित मूल्य दिलाने की घोषणा नहीं की। 6—पिछले कई सीजन का किसानों का गन्ना मूल्य करोड़ों रुपया चीनी मिलों पर बकाया है, प्रदेश के तमाम मिलें इस समय सरकार के नियंत्रण में चल रही हैं किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किसानों को पिछले वर्षों का बकाया गन्ना मूल्य तत्काल दिलाने की घोषणा नहीं की। 7—जरवल रोड चीनी मिल पर सरकारी रिसीवर नियुक्त है, पिछले कई वर्षों का करीब 60 लाख रुपया गन्ना मूल्य कृषकों का मिल पर बकाया है किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जरवल रोड से संबंधित किसानों को उनका गन्ना मूल्य दिलाने की घोषणा नहीं की। 8—जरवल रोड चीनी मिल को मजदूरी का बोनस, ग्रेचुएटी (आनुतोषिक), रिटेनिंग, भविष्य निधि, ओवरटाइम एवं वेतन आदि का काफी रुपया मिल पर बकाया है, किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में मजदूरों को उनके रुपये दिलाने की घोषणा नहीं की। 9—राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि पिछले साल देश में चीनी की उत्पादन में 7 लाख टन का इजाफा हुआ उसमें अकेले हमारे राज्य का हिस्सा 5 लाख टन का है, किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति मास 1 किलो चीनी भी देने की घोषणा नहीं की तथा चीनी वितरण में की गई धांधलियों की जांच कराने की घोषणा नहीं की।
35	श्री मधकर दिघे	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित तथ्यों का जिक्र नहीं किया है— 1—प्रदेश में हुए चुनावों में बड़े पैमाने में भ्रष्ट साधनों और तरीकों का इस्तेमाल करके सत्तारूढ़ दल ने प्रजातंत्र की हत्या की है। 2—वर्तमान सरकार बहुमत की सरकार नहीं है और अपवित्र साधनों का उपयोग करके पदारूढ़ हुई है। 3—प्रदेश में सीलिंग कानून से निकली जमीन का भूमिहीनों में उचित बंटवारा नहीं किया गया और बड़े भूमिपतियों को ऐसी जमीन के नाजायज कब्जे से बेदखल नहीं कराया गया। 4—गोरखपुर जिलान्तर्गत पिपराइच और सरइया चीनी मिल पर किसानों का लाखों रुपया बकाया वर्षों से पड़ा हुआ है, उसको दिलाने और देने की व्यवस्था शासन ने नहीं की है। 5—गोरखपुर जेल के अन्तर्गत सड़कों, यातायात के साधनों की अत्यधिक कमी है, शासन ने ऐसे सभी गांवों को जिसकी

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		आबादी 2,000 से ऊपर है मुख्य सड़कों से जोड़ने की जो योजना बनायी है और उसके लिये जो धनराशि आवंटित की उसका दुरुपयोग हुआ, मंत्रियों ने बेईमानी से अपने क्षेत्रों में उसका उपयोग करके अपने वोट ठीक करने के लिये उस साधन का इस्तेमाल किया जिससे जिले के अनेक उपयुक्त हिस्सों में सड़कें नहीं बन पायीं । 6—डि० इंजीनियरों की जायज मांगों पर चुप्पी साध ली और उनके शांतिमय आन्दोलन को कुचलने के लिये उनके नेताओं की गैरकानूनी गिरफ्तारियां कीं और उनको जेलों में बन्द करके रखा है । 7—दिन प्रति दिन बढ़ती हुई बेकारी, महंगाई, अभाव, दोषपूर्ण वितरणव्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकार की है । 8—प्रदेश की वर्तमान सरकार और उसका सम्पूर्ण शासन-तंत्र भ्रष्ट हो गया है। 9—बिजली, डीजल, कोयला, कच्चे माल की आपूर्ति के कारण राज्य में कई उद्योग ठप्प पड़ गये हैं और उसके फलस्वरूप लाखों मजदूरों को अपनी रोजी से हाथ धोना पड़ा है । वर्तमान शासन की अकर्मण्यता, सूझ की कमी और भ्रष्टता ही इस महान् आपत्ति की जिम्मेदार है ।
36	श्री रामपालसिंह यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्न-लिखित का उल्लेख नहीं किया है— 1—बेकारों को काम या बेकारी का भत्ता दिया जायगा । 2—सभी असिंचित भूमि को 5 वर्षों के अन्दर सिंचित करने की योजना बनाकर पूरी की जायगी । 3—प्रदेश की नट, कंजर, जोगी जातियों को आवास तथा भूमि देकर बसाया जायगा । 4—डेरापुर क्षेत्र में झींझक से कचौसी बाजार तक नहर गंग साख इटावा की पटरी को पक्की सड़क बनाया जायगा । 5—क्षेत्र डेरापुर से रूरा से बचीपाराथ सुन्दरपुर गजेन, संभाऊ होकर रसूलाबाद तक पक्की सड़क बनाई जायगी। 6—डेरापुर क्षेत्र में कहिजरी से सिठमरा-बहिरी उमरी होते हुए डेरापुर तक पक्की सड़क बनाई जायगी । 7—डेरापुर क्षेत्र से टेस्ट वर्क के अन्तर्गत बनाई जाने वाली बिलहा से अनजपुर और रसूलाबाद से लहरापुर की अधूरी सड़कों को शीघ्र पूरा करके पक्का करवाया जायगा।

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री रामपाल सिंह यादव	8—डेरापुर क्षेत्र के स्वीकृत बहेरा व परोख और बान नालों को बरसात के पहले खुदवाकर मुकम्मिल करा दिया जायगा ।
	9—डेरापुर क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई और राजकीय नलकूपों को लगाए जाने की शीघ्र व्यवस्था की जायेगी।
	10—डेरापुर तहसील के अन्तर्गत लीड बैंक और निगम की ओर से स्वीकृति विद्युतीकरण की स्कीमों के कार्यों को तेज करके इस सबसे पिछड़े इलाके के गांवों का शीघ्र विद्युतीकरण किया जाय ।
	11—प्रदेश में बाढ़, सूखा और पाले के प्रकोप से किसानों की कई वर्षों से फसलें मारी जाती रहीं जिसके कारण प्रदेश के किसान आर्थिक संकट में हैं इसलिये पिछली बकाया मालगुजारी व विकास-कर को समाप्त कर दिया जाय ।
	12—प्रदेश के किसानों पर से विकास-कर समाप्त कर दिया जाय ।
	13—डेरापुर तहसील में होने वाली चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को समाप्त किया जायगा ।
	14—हरिजनों को आवास के लिये जो आवास स्थान दिए गये हैं उनमें भवन बनाने के लागत की सम्पूर्ण धनराशि को अनुदान के रूप में बरसात के पहले दिया जायगा ।
	15—प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, अभाव, भुखमरी और गरीबी को तत्काल समाप्त किया जायगा।
37—श्री गिरजा शंकर पाठक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—
	किन्तु खेद का विषय है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित तथ्यों पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है—
	1—वाराणसी जिले के ज्ञानपुर तहसील तथा उसके आस-पास के इलाके के करीब 80 हजार कालीन बुनकरों की दयनीय दशा को सुधारने के लिये और उन्हें उनके मेहनत व हुनर का पूरा-पूरा पारिश्रमिक दिलाने के लिये सरकार की कोई योजना है जबकि सरकार को इस व्यवसाय से बहुत बड़ी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । अभी तक कालीन बुनकरों को उनकी बढ़ी हुई मजदूरी नहीं मिल पा रही है सरकार उसे दिलाने की क्या कार्यवाही कर रही है ?
	2—वाराणसी जिले की औराई की काशी सहकारी चीनी मिल कितने रुपये के लागत से कब तैयार हुई उसको प्रतिवर्ष कितना हानि-लाभ हो रहा है, उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर का चुनाव कब, कैसे और कितने समय के लिये हुआ । औराई

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

सहकारी चीनी मिल में जो पावर पैदा करने के लिये जेनरेटर लगा हुआ है उससे करीब 300 ट्यूबवेल चलाये जा सकते हैं। अगर चीनी मिल के 10 मील के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हर खेत को नहीं मिल पायेगी तो गन्ना के अभाव में, मिल बन्द हो जायगा और उसमें लगे मजदूर बेकार हो जायेंगे। ऐसी दशा में बिजली की कमी को देखते हुए अगर सरकार मिर्जापुर के ग्राम पचवरा के पास गंगाघाट पर लिफ्ट नहर द्वारा ज्ञानपुर के असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करने जा रही है या नहीं इसी के साथ-साथ क्या सरकार बिजली की कमी की गत 5 वर्ष से बन्द भदोही का पावर हाउस पुनः चालू करने के लिये सरकार की कोई योजना है?

3—गोपीगंज ज्ञानपुर टा0 ए0 में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने का गजट कई वर्षों से हो गया किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई, माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस दिशा में कुछ भी प्रकाश नहीं डाला।

4—वाराणसी जिले के ज्ञानपुर तहसील के कार्य की अधिकता को देखते हुए क्या सरकार का वहां अतिरिक्त एस0 डी0 एम0 रखने का विचार है और उसके साथ ही साथ ज्ञानपुर एस0डी0 एम0 के अहाते में वकीलों के बैठने की कोई जगह तथा शेड बनाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है।

5—माधोसिंह से पिपरैपुर होते हुए ज्ञानपुर तक तथा गिर्द बड़गांव से गोहिलाव होते हुए कपसेही तथा इसी प्रकार झवां से चौरी तक पक्की सड़क की जो योजना जनहित में बनायी गयी थी उस पर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है?

6—धौसिया को टाउन एरिया कब तक घोषित कर दिया जायगा।

7—क्या सरकार ज्ञानपर तहसील के डी0वाई0 एस0 पी0, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार के भ्रष्ट कार्यवाही की जांच-पड़ताल करने जा रही है।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 22 वि0 सभा—(482)—1974—835.